लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 39 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXIX Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक -39, शुक्रवार, 17 अप्रैल, 1970/27 चैत्र, 1892 (शक)
No.—39, Friday, April 17, 1970/Chaitra 27, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
1051. आसाम में तेजपुर न्यायालय की इमारत पर लाल झंडा फहराया जाना	Hoisting of a Red Flag on Tezpur Court Building in Assam	1—4
1052. प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगें	Demands of Primary and Secondary School Teachers	4—10
053. गैर सरकारी संग्रहकर्ताओं के पास पुरातन वस्तुएं	Antiques with Private Collectors	10—15
1054. पश्चिमी बंगाल में हथियार तथा गोला बारूद का बरामद होना	Recovery of Arms and Ammunition in West Bengal	15—18
अल्प सूचना प्रश्न		
S. N. Q.		
20. अयस्क के निर्यात के लिये जापान के साथ करार	Contract with Japan for Ore Export	18—27

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या / S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
1055.	पश्चिमी बंगाल प्रशासन से राजनीतिक तत्वों को हटाना	Weeding out of Political Elements from West Bengal Administration	27—28
1056.	भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के उपाय	Measures to Root out Corruption	28
1057.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की हवाई पट्टियों को सुदृढ़ बनाना	Strengthening of Runways at International Airports	28—29
1058.	कलकत्ते में लेनिन की मूर्ति का अनावरण	Unveiling of Lenin's Statue in Calcutta	29
1059.	समुद्री जहाज से यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों को विदेशी मुद्रा की सुविधाएं	Foreign Exchange Facilities to Indian Tourists going Abroad by Streamers	29—30
1060.	आंध्र तामिलनाडु सीमा विवाद	Andhra Tamil Nadu Boundary Dispute	30
1061.	बेरोजगार इंजीनियर	Jobless Engineer	30—31
1062.	पश्चिम बंगाल में छापामार युद्ध प्रशिक्षण शिविर	Guerrilla Training Camps in West Bengal	31—[illegible]
1063.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण से राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ भवन को हटाना	Shifting of R. S. S. Building from Banaras Hindu University Campus	32
1064.	संविधान की सातवीं अनुसूची से संवर्ती सूची के हटाये जाने के बारे में तमिल नाडु के मुख्य मंत्री का सुझाव	Suggestion by Tamil Nadu Chief Minister for Abolition of Concurrent List from Seventh Scheduled of Constitution	32
1065.	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के वैज्ञानिकों के योगदान को मान्यता	Recognition to Contribution made by Scientists of C. S. I. O.	32—3
1066.	सर्वोच्च न्यायलय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें	Service Conditions of Supreme Court and High Court Judges	33—34

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1067. आंगल भारतीय अन्तर्राज्यीय शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करना	Implementation of National Edudation Policy in Schools Run by Inter-State Board of Anglo Indian Educat;on	34
1068. भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान	Indian Institutes of Technology	34—35
1069. हाल के दंगों में हरियाणा को केन्द्रीय सरकार की ओर से सेना तथा पुलिस की सहायता	Central Military and Police help to Haryana during Recent Disturbances	35
1070. गुजरात में भूकम्प	Earthquake in Gujarat	35 -36
1071. दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों का बढ़ाया जाना	Enhancement of Pay Scales of Delhi Teachers	36—37
1072. जहाज निर्माण उद्योग में भारत की स्थिति	India's Position in Ship Building Industry	37—38
1073. कूच बिहार हवाई अड्डे का विकास	Development of Cooch Bihar Arifield	38
1074. कलकत्ता सिलचर मार्ग में विमान दुर्घटना की जांच	Enquiry into Plane Crash on Calcutta Slichar Route	38—39
1075. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सम्बन्ध में सरकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब	Delay in Submitting Report of Sarkar Committee on C. S. I. R.	39—40
1076. भारत के होटल तथा रेस्टोरेन्ट एसोसियेशन के फैडरेशन द्वारा स्टार होटलों के वर्गीकरण के लिये नई पुनरीक्षण समिति का सुझाव	Suggestion by Federation of Hotels and Restaurants Association of India to have new Review Committee for Classification of Star Hotels	40
1077. सान्ता क्रुज़ हवाई अड्डे बम्बई को नया रूप देना	Face Lifting of Santa Cruz Airport, Bombay	40—41
1078. दिल्ली के निलम्बित पुलिस कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण	Review of Cases of Suspended Policemen of Delhi	41

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1079. पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक तटीय नौवहन सेवा	Coastal Shipping from East Coast to West Coast	41—42
1080. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों का देर से चलना	Late Running of I. A. C. Flights	42

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

6493. चंडीगढ़ में मार्क्सवादियों को प्रशिक्षण	Marxists Undergoing Training in Chandigarh	42—43
6494. जम्मू और काश्मीर के जंगलों में आग	Forest Fires in Jammu and Kashmir	43
6495. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाएं	Examinations Conducted by UPSC	43—45
6496. भारत रूस विमान सेवा करार	Indo Soviet Air pact	45—46
6497. स्थायी कर्मचारियों को ऊंचे पदों के लिये रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने की अनुमति देना	Allowing Permanent Employees to Register their names with Employment Exchanges for Higher Posts	46
6498. नई दिल्ली में अपजीकृत गैर सरकारी शिक्षा संस्थाएं	Unregisterd Private Educational Institution in New Delhi	46
6499. होटल पुनरीक्षण और सर्वेक्षण समिति की सिफारिशें	Recommendations made by Hotel Review and Survey Committee	47
6500. ताज क्षेत्र को खूबसूरत बनाने की योजना	Scheme to Beautify Taj Area	47—4
6501. महरौली काहनपुर रोड दिल्ली पर ट्रक दुर्घटना	Truck Accident on Mehrauli—Khanpur road in Delhi	48 - 49
6502. जम्मू तथा काश्मीर सरकार के वन विभाग का एक कर्मचारी पाकिस्तानी गुप्तचर के रूप में	Forest Official of Jammu and Kashmir Government working as a Pakistani Spy	49—50

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6503.	रिंग रोड, नई दिल्ली पर बिजली की व्यवस्था / Electric Lights on Ring Road, New Delhi	50
6504.	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग, सोलन की जीपों की दुर्घटनाओं के बारे में जांच / Enquiry into Jeep Accidents of Zooligical Survey of India at Solan	50—51
6505.	तमिलनाडु राज्य के मुख्य मंत्री की राज्य को अधिक स्वायत्ता देने की मांग / Tamil Nadu Chief Minister's Demand for Greater Autonomy to the States	51
6506.	प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल के सदस्यों द्वारा वैज्ञानिक विभागों के बारे में दिये गये अपने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करना / Refusal by Members of ARC's Study Team to Sign its Report on Scientific Departments	51—52
6507.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें / Complaints against Director, Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Delhi	52
6508.	राष्ट्रीय राजपथों पर निर्माण कार्य / Progress of Works on National Highway	52—53
6509.	दल बदलू शब्द की परिभाषा / Definition of Director	53
6510.	दिल्ली के एक कार्यकारी पार्षद् को बर्खास्त करने की मांग सम्बन्धी ज्ञापन / Memorandum demanding Dismissal of a Delhi Executive Councillor	53—54
6512.	पूना के मौसम विज्ञान कार्यालय द्वारा कृषि सूखा के बारे में अखिल भारतीय अध्ययन / All India Study of Agricultural Drought by Poona Meterological Office	54
6513.	प्लास्टिक के घोल से कंकरीट के स्लेब बनाना / Manufacture of Concrete Slabs from Plastic Solution	54—55
6514.	एडवोकेटों को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाये जाने पर रोष / Concern over the Appointment of Advocates as Judges of Delhi High Court	55

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6515. भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर में स्वायत्तशासी संगणक विभाग की स्थापना	Setting up of Autonomous Computer Department at Indian Institute of Science, Bangalore	55—56
6517. अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक तत्व	Anti Indian and Pro-Pakistani Elements in Aligarh University	56
6519. स्कूटर/टैक्सी चालकों द्वारा यात्री जनता को तंग किया जाना	Harasment of Travelling Public by Scooter Taxi Drivers	56
6520. नई दिल्ली-गाजियाबाद सड़क का निर्माण	Construction of New Delhi Ghaziabad Road	57
6521. बिहार में मिथिला विश्व-विद्यालय की स्थापना	Establishments of Mithila University in Bihar	57—58
6522. प्राचीन वस्तुओं और दुर्लभ पाण्डुलिपियों की एक राष्ट्रीय पूंजी बनाना	Maintenance of a National Register of Antiques and Rare Manuscripts	58
6523. भारत के स्वतन्त्रता संग्राम से सम्बन्धित ऐतिहासिक स्मारकों का रख रखाव	Maintenance of Historical Monuments Associated with India's Independence Struggle	58—59
6524. भारतीय प्रशासनिक सेवा में लद्दाख के लोग	Ladakhis in I. A. S.	59
6525. भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां समाप्त करने के सम्बन्ध में महान्यायवादी की राय	Opinion of Attorney General re. Abolition of Privy Purses	59
6526. दिल्ली में कुछ संस्थाओं द्वारा जाली डिप्लोमाओं तथा डिग्रियों का जारी करना	Issue of Fake Diplomas and Degrees by Certain Institutions in Delhi	60
6527. मध्य प्रदेश में बलाई जाति के लोगों पर ज्यादतियां	Atrocities on people Belonging to Balai Caste in Madhya Pradesh	60
6528. मनीपुर में प्रभुत्व सम्पन्न सरकार का गठन	Formation of Sovereign Government in Manipur	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6529.	एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने वाले भारतीयों को 100 डालर साथ ले जाने की अनुमति देने का निर्णय	Decision to Allow Indians Travelling by Air India to Carry 100 dollars with them	60—61
6530.	इण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं में दी जाने वाली खाद्य वस्तुओं की किस्म में सुधार करने का प्रस्ताव	Plea to Improve Quality of Food Items Served on Indian Airlines Flights	61—62
6531.	अध्यापकों के लिये सलेक्शन ग्रेड	Selection Grades for Teachers	62—63
6532.	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Employees of Delhi Administration	63—64
6533.	भारत में हवाई अड्डों का डिजाइन तैयार करने के लिये आमंत्रित अमरीकी विशेषज्ञ	American Expert Invited for Designing Airports in India	64
6534.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के टैक्सी ट्रैकों का सुदृढ़ बनाया जाना	Strengthening of Taxi Tracks at International Airports	65
6535.	गोआ में मिट्टी की प्रतिमाओं (टेराकोटा) तथा अन्य वस्तुओं का मिलना	Discovery of Terracota and other Finds in Goa	65—66
6536.	प्रलेख पोषण सेवाओं सम्बन्धी समिति का गठन	Composition of Committee on Documentation Services	66
6537.	भारत में पर्यटकों की रुचि आकर्षक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के बारे में प्रचार तथा जानकारी का अभाव	Dearth of Publicity and Information Re: attractive and Historical Places of Tourist Interest in India	67
6538.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	Jawaharlal Nehru University	67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6539.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मालीनाड शिक्षा संस्था को दी गई धनराशि	Amount Granted to Malinad Education Society by UGC	67–68
6540.	चूंगी का समाप्त किया जाना	Abolition of Octroi Duty	68
6541.	ऐतिहासिक रिकार्डों (अभिलेखों) का अर्जन	Acquisition of Historical Records	68—69
6542.	सांस्कृतिक संगठनों को इमारतों के लिये अनुदानों का आवंटन	Allocation of Building Grants to Cultural Organisations	69
6543.	नक्सलवादियों पर रोक	Ban on Naxalites	70
6544.	पश्चिम बंगाल, राजस्थान और जम्मू तथा काश्मीर में हथियारों तथा गोलाबारूद की बरामदगी	Recovery of Arms and Ammunition in West Bengal Rajasthan and Jammu and Kashmir	70—71
6545.	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी तथा चीनी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani and Chinese Spies in Jammu and Kashmir	71
6546.	सभी राज्यों में समान जेल नियमावली की आवश्यकता	Need for Uniform Jail Manuals in All States	71
6547.	सेंट्रल स्कूल दानापुर छावनी (बिहार) के प्रधानाचार्य के विरुद्ध आरोप	Charges against Principal of Central School, Danapur Cantt. (Bihar)	72
6548.	भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित भारतीय क्रान्तिकारियों का रिकार्ड	Record of Indian Rovolutionaries involved in India's Indepenedence Struggle	72
6549.	लन्दन संग्रहालय में उपलब्ध भारतीय स्मारकों का पुनः प्राप्त करना	Retireving of Indian Monuments available in London Museum	72—73
6550.	मध्य प्रदेश में मांडू का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Mandu in Madhya Pradesh as a Tourist Centre	73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6551.	मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में बदलने का प्रस्ताव	Proposal to Convert Onkareshwar in Madhya Pradesh into Tourist Centre	73
6552.	गुप्तचर विभाग में संयुक्त सहायक निदेशको के पदों को भरना	Filling up of Posts of Joint Assistant Directors ih Intelligence Bureau	73—74
6553.	जालन्धर में विश्वविद्यालय	University at Jullunder	74—75
6554.	पंजाब विश्वविद्यालय को एक रिहायशी विश्वविद्यालय के रूप में बदलना	Conversion of Punjab University into a Residential University	75
6555.	विभागीय परीक्षाओं में वैकल्पिक भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi as Alternate Language in Departmental Examinations	75
6556.	हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी पर्यवेक्षकों के पदों पर विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति	Promotion of Departmental Candidates to posts of Hindi Officers and Hindi Supervisors	76
6557.	हिन्दी सहायकों, हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों का संवर्ग	Cadre for Hindi Assistants, Hindi Translators and Hindi Officers	76—77
6558.	केन्द्रीय सचिवालय के हिन्दी के कार्य से सम्बन्धित वे पद जो किसी संगठित सेवा में शामिल नहीं हैं	Isolated posts for Hindi work in Central Secretariat which do not form Part of any Organised Service	77—78
6559.	मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निकट गंगा नदी पर पुल	Bridge over River Ganga near Mirzapur in U. P.	78
6560.	संविधान में लद्दाखी भाषा को शामिल करना	Inclusion of Ladakhi Language in the Constitution	78
6561.	नक्सलवादियों को प्रशिक्षण देने के लिये भूमिगत कालेज	Underground College for Training Naxalites	79
6562.	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किये गये हिन्दी सहायक	Hindi Assistants Appointed through UPSC	79

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
6563.	हिन्दी सहायक शिक्षकों हिन्दी अनुवादकों आदि के लिये पदोन्नति के अवसर	Channels of Promotion for Hindi Assistants Teachers, Hindi Translators etc.	80
6564.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम रेजिमेंटल संगठन	Muslim Regimental Organisations in Aligarh Muslims University	80
6565.	वन्य पशु शरण्य स्थल टेक्काडी (केरल) में पर्यटकों का आना कम हो जाना	Tourist Traffic to Thekkady (Kerala) wild Life Sanctuary	80-81
6566.	उत्तर प्रदेश में होटलों तथा रेस्तरां की कमी	Dearth of Hotels and Restaurants in Uttar Pradesh	81
6567.	भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधिकारियों के प्रशिक्षण की प्रणाली	New System of Training for IAS Probationers	82
6568.	त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान	Place of Sanskrit in Three Language Formula	82
6569.	मुख्य मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C. B. I. Enquiries against Chief Ministers and State Ministers	83
6570.	दिल्ली में आतंकवादियों की गिरफ्तारी	Arrest of Terrorists in Delhi	83—84
6571.	संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के मापदंड	Criteria for Grant of Statehood to Union Territories	84
6572.	कर्त्तव्यपालन न करने के कारण पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Officers of West Bengal for not carrying out their Duties	84
6574.	दिल्ली परिवहन की बसों में अपराध तथा गैर कानूनी कार्य	Crime and Lawlessness in DTU Buses	84—85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6575. चण्डीगढ़ के प्रश्न के बारे में किये गये आन्दोलन के दौरान हरियाना में धर्म-स्थानों को अपवित्र किया जाना	Desecration of Shrines in Haryana during Agitation over Chandigarh Issue	85
6576. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये हिन्दी के ज्ञान की अनिवार्यता सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के आदेशों की वैधता पर आपत्ति उठाने वाली प्रादेश याचिका	Writ Petition Challenging Validity of Central Government orders required Compulsory Knowledge of Hindi for Central Government Emyloyees	85
6577. विमान परिवहन व्यवस्था के बारे में भारत तथा सीरिया के बीच बातचीत	Talks held between India and Syria on Air Transport Arrangements	85—86
6578. विभिन्न कालेजों में पाठ्यक्रम	Courses of Study in various Colleges	86
6579. एक पदच्युत पुलिस कॉंस्टेबल को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाना	Appointment in CSIR of a Dismissed Police Constable	86—87
6580. दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में उप-प्रधानाचार्य के पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिये कोटा आरक्षित करना	Reservation of Quota for S. C. and S. T. for Posts of Vice Principal in Education Department of Delhi Administration	87
6581. त्रिपुरा में नक्सलवादी गतिविधियां	Naxalite Activities in Tripura	87—88
6582. त्रिपुरा के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Tripura Employees	88
6583. त्रिपुरा सीमा क्षेत्र में समाज विरोधी गतिविधियां	Anti Social Activities along Tripura Border	88
6584. व्यवसाय प्रधान शिक्षा पद्धति	Profession Oriented Education System	89

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6585.	अध्यापकों के वेतन बिलों में से आयकर की कटौती / Deductions of Income Tax from Pay Bills of Teachers in Delhi	89
6586.	सिंधी भाषा सम्मेलन / Conference on Sindhi	90
6587.	आगरा में बन्दूक तथा पिस्तौल बनाने वाले कारखाने का पता लगाया जाना / Unearthing of a Factory producing Guns and Pistols in Agra	90–91
6588.	आसाम की राजधानी का शिलांग से हटाया जाना / Shifting of Capital of Assam from Shillong	91
6589.	कलकत्ता कूच बिहार तथा रूपसी (आसाम) के बीच विभाग सेवा सम्पर्क / Linking of Air Service between Calcutta Cooch Behar with Rupsi Assam	91–92
6590.	आशुलिपिक ग्रेड III के लिये आशुलिपिक में दुहरी परीक्षा / Double Test in Stenography for Stenographers Grade III	92
6591.	हैदराबाद में कोयला गैसी करण संयंत्र / Coal Gasification Plant at Hyderabad	93–94
6592.	उड़ीसा में प्रशासनिक सुधार / Administrative Reforms in Orissa	94
6593.	केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय से पुस्तकें दिये जाने के बारे में शिकायतें / Complaints Re. Issue of Books from Central Secretariat Library	94–95
6594.	भारत में रहने के इच्छुक पाकिस्तानी राष्ट्रजन / Pak Nationals desiring to Settle in India	95
6595.	उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाओं को छिपाना / Concealment of Crime in Uttar Pradesh	95
6596.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा स्थापित टेलीफोन सेवा तथा हिन्दी सूचना केन्द्र का कार्यकरण / Functioning of Telephone Service and Hindi Information Centre set up by Central Hindi Directorate	95–96
6598.	मोटर गाड़ियों के आवागमन पर लगे प्रतिबन्धों को नर्म करना / Liberalization of Restrictions on movement of Transport Vehicles	96–97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6599.	दिल्ली में उग्रपंथी शक्तियों का पनपना	Growth of Extremist Forces in Delhi	97
6600.	कलकत्ता में बिड़ला फर्मों के अधिकारियों पर हमले	Assault on Officers of Birla Concern in Calcutta	97
6601.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of Corruption against Central Government Employees	98
6602.	लोक सभा के प्रतिपक्षी नेता पर आक्रमण	Attack on Leader of Opposition in Lok Sabha	98
6603.	स्थायी तथा अस्थायी अधिकारियों के लिये पदोन्नति के समान अवसर	Equal Opportunity for Promotion of Permanent and Temporary Officers	99
6604.	पाकिस्तान में मनीपुर युवकों की गिरफ्तारी	Arrest of Manipuri Youth in Pakistan	99
6605.	गुजरात के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक की बहाली	Reinstatement of former Inspector-General of Police, Gujarat	99—100
6606.	राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की शक्ति बढ़ाना	Strengthing CRP in States	100
6607.	आई०एन०ए० हवाई अड्डा रिहायशी कालोनी, नई दिल्ली में गंदगी	Unhygienic Condition of INA Airport Residential Colony, New Delhi	100—101
6608.	थेक्काडी वन्य पशु शिकार निषिद्ध क्षेत्र में से लुप्त होना	Disappearance of Tigers from Thekkady Wild Life Sanctuary	101
6609.	कलकत्ता से रक्सौल तक अनिश्चित विमान सेवा	Non Scheduled Air Service from Calcutta to Raxaul	101—102
6610.	भारत अमरीका पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकें छापना	Printing of Text Books under Indo American Text Book Programme	102
6611.	कालेजों के लिये कम मूल्य की पाठ्य पुस्तकें मुद्रित करने की योजना	Scheme to Print Low Priced Text Books for Colleges	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
6612.	बडे शहरों में साम्यवादी सहित्य का वितरण	Distribution of Communist Literature in Big Cities	103
6613.	एक ही स्थान पर कर लेने की व्यवस्था पर अधारित यातायात वाहनों का अबाध आना जाना	Free movement of Transport Vehicle on a Single point Tax System	103—104
6614.	दिल्ली में अपराध	Crime in Delhi	104—105
6615.	मनीपुर में आन्दोलन	Agitation in Manipur	105—106
6616.	ड्राइवरों के प्रशिक्षण की अवधि, के बारे में मैसूर मोटर गाड़ी नियम, 1963 के नियम, 5(7) को हटाना	Delegation of Rule 5(7) of Mysore Motor Vehicles Rules 1963 re. period of Training of Drivers	106
6617.	दिल्ली और नई दिल्ली के होटलों तथा रेस्तरांओं में कैबरे नृत्य	Cabaret dances in Delhi and New Delhi Hotels and Restaurants	106—107
6618.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा इंडिया द्वारा विमान सेवा राष्ट्रीय-करण अधिनियम को लागू किया जाना	Associating Private Operators to Develop Feader Services and to Enable Improvement of Services of Indian Airlines and Air India	107
6619.	मैसूर में जनगणना कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaint against Officers of Census Operations in Mysore	107 -108
6620.	पुस्तकों के लिये पुरस्कार	Awards for Books	108
6621.	सरकारी कर्मचारियों के लिये मद्यनिषेध सम्बन्धी आचार संहिता	Code of Conduct for Government Employees to Prohibit Drinking	108—109
6622.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में एक कलाकार (आर्टिस्ट) का पद का भरा जाना	Filling up of Post of an Artist in National Museum, New Delhi	109—110
6623.	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में वरिष्ठ निजी सहायक सेवा के पद	Posts of Senior Personal Assistants in Central Secretariat Stenographers' Service	110—111

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6624.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में कलाकार के पद पर नियुक्ति करना	Filling up of Post of an Artist in National Museum, New Delhi	111—112
6625.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में कलाकार (आर्टिस्ट) के पद का भरा जाना	Filling up of post of an Artist in National Museum, New Delhi	112—113
6626.	ड्राफ्टसमैनों के वेतनमानों में विषमता	Anomally in the Grades of Draftsmen	113—114
6627.	दानापुर (पटना) की एक हरिजन लड़की के साथ कथित बलात्कार	Alleged Rape of a Harijan Girl of Danapur (Patna)	114—115
6630.	चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित लोगों को पद्मश्री तथा पद्म विभूषण उपाधियां देना	Padma Shri and Padma Vibhushan Awards to Persons Belonging to Film Industry	115
6631.	अन्तर्राष्ट्रीय योगाश्रम केन्द्र, नई दिल्ली	International Yogashram Centre, New Delhi	115—116
6632.	पश्चिम बंगाल के गृह विभाग के अधिकारियों की राइटर्स बिल्डिंग में उपस्थिति	Attendance at Writers' Building by Officers of Home Department of West Bengal	116
6633.	तलकर्षकों की वर्तमान क्षमता तथा भविष्य में उनकी आवश्यकता	Existing Capacity and Future Requirements of Dredgers	116—117
6634.	पालम हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के एक निर्माणाधीन हैंगर का गिर जाना	Collapse of a Air India Hanger under Construction at Palam Airport	117—118
6635.	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने का प्रस्ताव	Proposal to Constitute all India Judicial Service	118
6636.	कौशाम्बी में अनुसन्धान तथा खुदाई कार्य के लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अनुदान	Grants of Allahabad University for Research and Excavation Work in Kaushambi	118

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
6637. संसद् सदस्यों द्वारा लाबी में प्रचार पर रोक	Check on Lobbying by Members of Parliament	119
6638. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के स्काई मास्टर विमानों की एक गैर सरकारी विमान कम्पनी को बिक्री	Sale of Skymaster Planes to IAC to a Private Operator	119
6639. बेलगांव हवाई अड्डा टर्मिनल इमारत	Belgaum Airport Terminal Building	120
6640. संयुक्त सचिवों को वरिष्ठ निजी सहायक देना	Providing Senior Personnal Assistant to Joint Secretaries	120
6641. पश्चिम बंगाल में सड़कों एवं गलियों के नाम रखना	Naming of Roads and Streets in West Bengal	120—121
6642. भीलवाड़ा से अन्य राज्यों को चोरी छिपे शराब ले जाना	Smuggling of Liquor from Bhilwara to other States	121
6643. सेतु समुद्र नहर परियोजना के बारे में व्यवहारिकता प्रतिवेदन	Feasibility Report about Sethusamudram Canal Project	121
6644. चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की फायर आपरेटरों के रूप में पदोन्नति	Promotion of Class IV Staff as Fire Operators	122
6645. असैनिक उड्डयन विभाग में कर्मचारियों की श्रेणीवार स्थिति	Category Wise Staff position in the Civil Aviation Department	122
6646. हवाई अड्डों पर कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Staff Quarters at Airports	122
6647. श्री मदन लाल लाम्बा को पालम हवाई अड्डे पर भोजन व्यवस्था का टेका देना	Awarding of Catering Contracts for Palam Airport to Shri Madan Lal Lamba	122—123
6648. दिल्ली में कालेज की छात्राओं का अपहरण	Kidnapping of College Girls in Delhi	123—124

प्रता० प्र० संख्या / विषय	Subject	पृष्ठ
I.S.Q. Nos.		Pages
6649. राजस्थान और पंजाब में यात्री सेवायें चलाने के लिये जामेर एयर लाइन्स को लाइसेंस देना	Grant of Licence to Jamair Airlines to Operate Passenger Services in Rajasthan and Punjab	124
6650. प्रशासनिक सुधार आयोग की श्रेणी दो से श्रेणी एक के पदों पर पदोन्नति के कोटे से सम्बन्धी सिफारिशें	Recommendations of Administrative Reforms Commission Re. promotion Quota from Class II to Class I Posts	124
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	125
जादवपुर विश्वविद्यालय के गांधी केन्द्र में लूट खसोट के समाचार	Reported Ransacking of Gandhi Centre at Jadhavpur University	125—130
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	130—131
अनुदानों की मांगें 1970-71	Demand for Grants, 1970-71	131
इस्पात तथा भारी, इंजीनियरिंग मंत्रालय	Ministry of Steel and Heavy Engineering	131—132
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	132—134
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	134—136
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	136—137
श्री प्र० कु० घोष	Shri P. K. Ghosh	137—139
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	139—140
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	140—141
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	141
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	141
61 वां प्रतिवेदन	Sixty-first Report	141
बेरोजगारी की समस्या के बारे में संकल्प अस्वीकृत	Resolution Re: unemplayment problem—Negatived	141
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	141—142
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	142—143
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	143—145

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua	145
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	145—147
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	147—148
श्री राज देव सिंह	Shri Raj Deo Singh	148
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	148—151
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	151—152
सम्पत्ति के अधिकार के बारे में संकल्प	Resolution re. right to Property	152
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	152—158
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	158
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	158
राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारत के खाद्य निगम को सहायता	Help to Food Corporation of India by Nationalised Banks	158
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	158—160
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	160—163

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 17 अप्रैल, 1970/27 चैत्र, 1892 (शक)
Friday, April 17, 1970/Chaitra 27, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम में तेजपुर न्यायालय की इमारत पर लाल झंडा फहराया जाना

*10 1. **हेम बरुआ** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि तेजपुर न्यायालय की इमारत पर लाल झंडा फहराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

16 मार्च 1970 को आसाम सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने उस इमारत से, जिसमें जिला न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय है और उप आयुक्त कार्यालय की कुछ शाखाएं हैं, राष्ट्रीय झण्डा उतार कर आयताकार लाल झंडा लगा दिया था जिस पर असमिया भाषा में "स्वाधीन भारत" लिखा था । पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था और उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज कर लिया गया था । इस मामले की जांच की जा रही है ।

श्री हेम बरुआ : महोदय, राष्ट्रीय झंडा-तिरंगा झंडा उतारने के बाद लाल झंडा फहराया गया था जिसके लिये हजारों भारतीयों ने हंसते-हंसते अंग्रेजों की गोलियां और संगीनें खाई थीं ।

दिन के समय लाल झण्डा लहराया गया था। प्रस्तुत विवरण में यह बताया गया है कि दोषी व्यक्ति को गिरिफ्तार कर लिया गया है—क्या इस दोषी व्यक्ति की गिरिफ्तारी से आसाम में उग्रवादियों की गतिविधियों का पता चला है ? क्या सरकार इस कार्य को दंडात्मक अपराध करार देगी ? क्या उनके विचार में राष्ट्रीय झंडे का अपमान करना गद्दारी का काम है और क्या सरकार यदि आवश्यक हो, तो संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आसाम सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सच है कि दिन के समय यह झंडा उतारा गया था। ग्यारह बजे का समय बताया गया है।

श्री हेम बरुआ : लाल झण्डा फहराने का यह शुभ समय है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह अपराध था। जिनको अपराध करना होता है उनके पास समय होता है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार इसे दंडात्मक अपराध करार देगी और क्या वह संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में यह दंडात्मक अपराध है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि इसे राष्ट्रीय झण्डे का अपमान समझा जायेगा या नहीं। परन्तु यह मामला धारा 379 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है जिसका सम्बन्ध राष्ट्रीय झण्डे की चोरी से है।

श्री हेम बरुआ : गृह मन्त्री ने इस सभा में एक वक्तव्य में बताया था कि विद्रोही नागाओं को चीन से शस्त्रास्त्र तथा गोला बारूद मिलता है और आसाम तथा उसके आसपास के क्षेत्र में उग्रवादियों की गतिविधियां चल रही हैं। एक नागा ने मुझे बताया है कि शस्त्रास्त्र तथा गोला-बारूद चीन से मिलता है और क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि आसाम की जनता की आर्थिक दशा बहुत खराब है, इसलिये यह समस्या और भी गम्भीर बन गई है। अतः क्या सरकार का विचार इस समस्या का आरम्भ में ही समाधान करने का है और इस प्रकार वहां की जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह कार्य किसी सरकार विशेष द्वारा करने का नहीं है। वस्तुतः इस दिशा में हमारे प्रयत्न जारी हैं। इस स्थिति को कम समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कार्य में काफी समय लगता है।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न भिन्न था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने बताया है कि इन मामलों पर दो जगह कार्यवाही की जाती है—एक तो मुकदमा चलाने जैसी कार्यवाही करने के लिए कार्यकारी स्तर है और दूसरा इन लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के साथ निपटाने का काम है। आसाम की अपनी समस्याएं भी हो सकती हैं। आसाम सरकार, योजना आयोग तथा अन्य संस्थाएं इस समस्या को सुलझा सकती हैं। मैं इस समय कोई विशेष आश्वासन नहीं दे सकता।

Shri K. N. Tiwary : This question does not pertain to Assam only. It has come to our notice that photographs of Gandhiji are being damaged and red flags hoisted in other parts of the country also Photographs of Gandhiji are being replaced by the photographs of Mao Tse-Tung. May I know as to what action Government propose to take in the matter ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक राष्ट्रीय झण्डे का सम्बन्ध है, एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाने वाला है। इस प्रयोजन के लिये अभी कोई विशेष दण्ड निर्धारित नहीं है। जहां तक माओ-से-तुँग के चित्र आदि का सम्बन्ध है मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि इस देश में किसी व्यक्ति का चित्र लेकर चलना अपराध नहीं है। अन्ततोगत्वा इन मामलों में हम देश की जनता की देशभक्ति की भावना पर निर्भर करते हैं।

श्री दे० वेंकटसुब्बया : विवरण में कहा गया है कि आयताकार का एक झण्डा फहराया गया था जिस पर असमिया भाषा में "स्वाधीन भारत" लिखा था। क्या यह पश्चिम बंगाल से आसाम तथा अन्य स्थानों पर नक्सलवादियों की गतिविधियों का विस्तार प्रदर्शित करने का एक निश्चित तरीका है ? यदि हां तो गृह मन्त्री को इस बात की जाँच करने की क्या आवश्यकता है कि यह चोरी का मामला है या नहीं ? फिर मंत्री महोदय समय-समय पर द्वारा दिये गये वक्तव्य से पता चलता है कि यह मामला कानून और व्यवस्था का न समझ कर आर्थिक समस्या का समझा जाना चाहिये। यह वक्तव्य इस संदर्भ में कहां तक ठीक है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कानून और व्यवस्था के बारे में सरकार की प्रशासनिक जिम्मेदारी को कभी कम नहीं समझा। परन्तु जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो हम अन्य पहलुओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। निःसंदेह सर्व प्रथम इसका सम्बन्ध कानून और व्यवस्था से है और उसका दृढ़ता से मुकाबला किया जाना चाहिये। यदि कोई गलत धारणा बनी है तो मैं उसे ठीक कर देना चाहूँगा।

Shri Rabi Ray : It may be recalled that similar incidence had taken place in Gauhati. On 26th January and now the same thing has happened in Tezpur on 16th March. I want to know whether any enquiry was held by the Central Government through C.B.I. or its other Departments of Intelligence and if so, the details thereof ? I would also like to know whether Government propose to set up a commission to go into the activities of Naxalites in Bengal and Assam.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में आयोग नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि यथावश्यक विशेष और सख्त कार्यवाही की जाये। आयोग की नियुक्ति का पहला प्रभाव यह होता है कि वह कार्यवाही स्थगित हो जाती है। दूसरे इससे यह धारणा बनती है कि हम स्थिति को ठीक प्रकार से नहीं समझते और न ही हम उसके कारणों को जानते हैं। अतः आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक उपर्युक्त मामले का सम्बन्ध है उसकी जांच की जा रही है। जब तक जांच अधिकारी यह महसूस न करे कि उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो या आसूचना विभाग की सहायता की आवश्यकता है, हम सामान्यता उनकी पेशकश नहीं करते। परन्तु यदि उन्हें किसी अवस्था पर उनकी सहायता की आवश्यकता महसूस हो तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।

Shri Sitaram Kesri : I want to know whether any prosecution has been launched by the Central Government against the persons involved in the said incidence ?

Mr. Speaker : This question was asked earlier and it has been replied to.

Shri Y. B. Chawan : I had stated that the culprit has been arrested and necessary action is being taken.

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या मंत्री महोदय यह समझते हैं कि यह गतिविधि अवैध गतिविधियां अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं ? क्या इस अधिनियम के अधीन नक्सलवादियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में इसे अवैध गतिविधियां अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता क्योंकि इस अधिनियम का प्रयोजन बिल्कुल भिन्न है । यह किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही के लिये नहीं है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : चीन के झंडे का फहराया जाना पृथकतावाद को बढ़ावा देना है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में इस मामले को उस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता ।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगें

*1052. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता समिति और कोठारी आयोग की सिफारिशों पर मुख्यत: स्कूलों के अध्यापकों की सेवा की शर्तों के बारे में केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल अध्यापक एसोसिएशन ने 2 मार्च, 1970 को अध्यापकों की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से राष्ट्रीय एकता परिषद् तथा शिक्षा आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है ।

(ख) जहां तक स्कूल अध्यापकों की सेवा शर्तों के बारे में राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों का सम्बन्ध है, वर्तमान विनियमों के अनुसार सरकारी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा किसी ऐसी गतिविधि में भाग लेना निषिद्ध है जो धर्मनिर्पेक्षता के विरुद्ध हो अथवा जिससे साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है । जहां तक सहायता प्राप्त स्कूलों का सम्बन्ध है, मान्यता

तथा सहायता अनुदान के नियमों में प्रबन्धकों अथवा निरीक्षण अधिकारों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है ।

जहां तक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है बहुत से राज्यों में वेतन-मानों का पुनरीक्षण किया गया है ।

सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में बहुत से राज्यों ने अंशदायी भविष्य निधि अथवा त्रि-लाभ योजना को चलाया है । सरकारी तथा स्थानीय निकाय स्कूलों के अध्यापकों की शर्तों में धीरे-धीरे काफी समानता लायी जा रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण स्कूलों के अध्यापकों की अधिकतर मांगों पर राज्य सरकारों का विचार करना है ।

Shri Bhogendra Jha : All India Secondary School Teachers Association has put forth their demands many times and they had organised a demonstration in Delhi on 2nd March 19 0 to ventilate their grievances. I think the hon'ble Minister must be aware of the strike in which all the teachers right from primary to college are going to take part on 28th April. Moreover the teachers are already on strike in Bihar since 8th April, 1970 and because of which no examination could take place there. The future of lakhs of students is in the dark. In view of this I want to know the recommendations of Central Government which has been sent to State Governments on the basis of demands put forth by All India Secondary School Teachers Association on 2nd March 1970 and steps taken by the hon'ble Minister to lighten the burden of financial difficulty experience by State Governments.

Shri Bhakt Darshan : The demands which were put forth on 2nd March are so much exhaustive that it is not possible to give any straight answer. For example it has been stated :

> "Investment of atleist six per cent of the gross national income of the country, allottment of ten percent of the expenditure in the Central Budget and atleast 13 per cent in the State Budgets of those States which are spending less under the head of Education should be made immediately."

These suggestions are very exhaustive and State Governments have to take decision and implement them. What can I say in this matter ? Besides their other demands cannot be implemented unless amendment is not carried in the Constitution itself. One of the demand is that :

> "Secondary Education Commission on the pattern of University grants commission to be appointed at once."

We have consulted Law Ministry in the matter. In their opinion it would be illegal until the Constitution is amended.

Shri Bhogendra Jha : The Central Government should deal with the demands with which they are concerned. The budget provision under Education head is negligible at present and this year this has further been reduced. I want to know whether Ministry of Education has made any suggestions to Finance Ministry or State Government that how much increase is required to be made in the budget according to their estimates.

Out of the 50 per cent demanded by the Teacher's Association, how much they think is to be accepted and if in their opinion there is need to amend the Constitution then what he suggested regarding the amendment of the Constitution. The Constitution has

been amended many times and still there is room for making amendment. He took the question lightly. If the strike takes place in the whole country then we will have to make discussion several times on it.

Mr. Speaker : You ask your supplementary question directly.

Shri Bhogendra Jha : So I am asking direct question from the Hon. Minister that if the Constitution is to be amended, as he has stated, then whether he has given suggestion for this ? May I know whether he has demanded or not the money to be spent out of 50 percent and if so then what reply has come ?

Shri Bhakt Darshan : The Hon. Member know how much it is difficult to amend the Constitution ? Under present circumstances it has become absolutely necessary... *(Interruption)*

An Hon. Member : We are ready to support you.

Shri Bhakt Darshan : I welcome your support but the State Government should also agree--Then only it can take place.

Shri Bhogendra Jha : The Hon. Minister has not replied how much percentage he thinks necessary ? The second part...

Mr. Speaker : Order, Order. Do not indulge in arguments. The Hon. Minister has replied. It may be so that the Hon. Minister has not replied in accordance to the wishes of the Hon. Member and since he is not assured with this so it is wrong to go on in arguments. The Hon. Minister had to reply and he did so.

Shri Bhogendra Jha : I asked that out of the 50 percent as demanded, how much percentage he thinks to be accepted ? What reply has been given to the demand made by them ?

Shri Bhakt Darshan : As far this question is concerned that more amounts should be made available for education, the Education Ministry has always been trying to do so but our Hon. Members are well aware of the difficulties lying before us. For example at the time of drafting the Fourth Five Year Plan, the National Development Council itself made provision of 1210 crores of rupees for the education but when it was finally accepted by you all, it was reduced to Rs. 800 crores.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister has stated that the question of Pay Scales of teachers relates to States but so far Delhi is concerned, you take decision for it at the last, then whether it is true that when the teachers of Delhi agitated here that their Pay Scales is less than in comparison to their conterparts in Haryana and Punjab then the Education Minister Shri Triguna Sen asked the interpretation of Kothari Commission. The interpretation related to that report and the Delhi Administration set up a Committee on the basis of that interpretation of which myself was the Chairman and that Committee submitted the report regarding the subjects to be included and the benefits the teachers can get. So I want to know what recommendations the Delhi Administration has submitted regarding the report and what action the Government has taken on it. If no action has been taken then by what time the same will be done ?

Shri Bhakt Darshan : The Hon. Member has continuously brought his questions No. 1071. Mr. Speaker, with your permission I want to reply to that question. The position is that the Pay of teachers of Delhi has already been enhanced much. And there is no doubt that there is a difference of salary in the Scales of Haryana and Punjab teachers. Now the Third Pay Commission to be set up with the advice of the Home Ministry will

look into the Pay Scales of employees of Union Territories and the case of the teachers of Delhi and Himachal Pradesh will be included in it.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माध्यमिक स्कूल अध्यापकों की एक महत्वपूर्ण मांग यह थी कि सरकारी माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों और गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों का वेतन समान किया जाये और गैर सरकारी स्कूल के अध्यापकों की मांग समूचे राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया गया त्रि-लाभ योजना प्राप्त करना था। मैं मंत्री महोदय से यह विशिष्ट उत्तर जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने पहले ही विभिन्न राज्यों में माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि करने के लिए धन की मंजूरी दे दी है परन्तु राज्य सरकारें इसमें अपना अंशदान नहीं कर रही हैं। क्या सरकार यह देखेगी कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपना अंशदान दें और उस योजना को शीघ्र ही क्रियान्वित करें तथा सभी राज्यों में त्रि लाभ योजना को लागू किया जाये ?

श्री भक्त दर्शन : मैं आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यदि वे चाहते हैं तो भी केन्द्रीय सरकार अपने निधि में से सहायक अनुदान नहीं दे सकती है। यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और हमारी सूचना के अनुसार राज्य सरकारें सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों के वेतन मानों को समान करने में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक त्रि-लाभ योजना का सम्बन्ध हैं, मेरी सूचना यह है कि व्यावहारिक रूप से सभी राज्य सरकारें इसको क्रियान्वित कर रही हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह गलत उत्तर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस राज्य सरकार ने इसको क्रियान्वित किया है ? उनका कहना है कि सभी राज्य सरकारे ऐसा कर रही हैं।

श्री भक्त दर्शन : जी हां, हमारी सूचना के अनुसार उड़ीसा सरकार सहित सभी राज्य सरकार ऐसा कर रही है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : यह एक गलत वक्तव्य है जो कि इस सभा में दिया जा रहा है।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जो कि मेरे विचार में इसका पूरा उत्तर देंगे। यद्यपि शिक्षा राज्य का विषय है, फिर भी मुद्रास्फीती से इस पर व्यय बढ़ गया है जो कि केन्द्र की नीतियों का परिणाम है। अतएव मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप सरकार वर्तमान अन्तर को समाप्त करके अध्यापकों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते को सरकारी कर्मचारियों के स्तर तक नहीं आयेगी। दूसरा, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने पेंशन के बारे में क्या किया है जो कि पुराने दरों पर आधारित है और जिसका धन के वर्तमान मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं है तीसरा, शिक्षा के किस्म और अध्यापकों को संतुष्ट करने का एक सरल तरीका है यदि अध्यापकों के लिए सलेक्शन ग्रेड बना दिये जायें जिसमें 20 प्रतिशत अध्यापकों के लिए 20 प्रतिशत अधिक वेतन

हो, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्र को क्यों नहीं इन तीन उद्देश्यों के लिये विशेष अनुदान नहीं देना चाहिए ।

श्री भक्त दर्शन : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिये सहायता अनुदान नहीं दे सकती है ।

श्री लोबो प्रभु : क्यों ? यह मंत्रालय किसके लिए बना हुआ है ?

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : कोई तर्क नहीं होना चाहिए, उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय ने वाद-विवाद में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री रंगा : उन राज्यों को, जो कि अध्यापकों का वेतन बढ़ाना चाहते हैं, वे 80 प्रतिशत तक देना चाहते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री नम्बियार

श्री लोबो प्रभु : उन्होंने मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मंत्री महोदय इसका उत्तर क्यों नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप एक सेवा निवृत्त आई० सी० एस० अधिकारी है और मैं आशा करता हूँ कि आपको नियमों के बारे में अधिक जानकारी होगी । आपका प्रश्न सुझाव देने वाला था । आपने कुछ सुझाव लेकर आये थे ।

श्री लोबो प्रभु : क्या वह मेरे सुझाव से सहमत नहीं हैं । क्या वे इतने अयोग्य हैं कि आप उन्हें उपेक्षा के पात्र बना दें ? (व्यवधान)

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या...

श्री चेंगलराया नायडू : परन्तु मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री नम्बियार

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूँ कि क्या केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच राज्यों को शिक्षा के लिए दिये गये धन के आबंटन के बारे में कोई विवाद है और क्या राज्य सरकारें केन्द्र के इस परामर्श पर नहीं चल रही हैं कि उनको आवंटित किया गया धन शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में लगाया जाये ?

श्री भक्त दर्शन : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच ऐसा कोई मतभेद नहीं है । शिक्षा के लिए धन के आबंटन के बारे में माननीय सदस्य को यह पता होगा कि यह राज्य सरकारों का काम है कि वह शिक्षा तथा अन्य मदों के लिए धन का आबंटन करें । हम राज्य सरकारों को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

Shri S M Joshi : The reply given by the Hon. Minister is not so clear. He has stated that under the Constitution we cannot give them amounts from the Central funds. I recall that in 1967 an education Panel Comprising of Members of Parliament was formed and it was recommended there that a Secondary Education Grants Commission similar to University Grants Commission may be Constituted. Now the Hon. Minister says that amendment will have to be made in the Constitution but it can not done even if the need arises. After all he may state what is the obstacle in amending the Constitution ? who wants to oppose it ?

Shri Bhakt Darshan : As far as the question of Secondary Education Commission is concerned, it cannot be solved until the education is included in the Concurrent List.

Shri S. M Joshi : It involves expenditure of money.

Shri Bhakt Darshan : The money cannot be spent even if there may be desire as such. The Hon. Members, Planning Commission, National Development Council are there. As far as the Secondary Education Commission is concerned, it cannot be solved until the education is included in the Concurrent List. It needs amendment in the Constitution.

Shri S M. Joshi : I had asked a clear question that how the Constitution is coming in the way of providing money.

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : क्या मैं अपने सहयोगी द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में कुछ और कह सकता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भय है कि आप इसको और जटिल बना दोगे (व्यवधान)

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं ऐसा करने का भरसक प्रयत्न करूंगा । हमारे पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जिसको आस्तित्व में इस कारण से लाया गया है क्योंकि संविधान के एक उपबन्ध के अनुसार केन्द्र पर उच्च शिक्षा के समन्वय और देख-रेख का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । माध्यमिक शिक्षा के प्रश्न के बारे में हमें यह परामर्श दिया गया है कि वित्त तथा अन्य बातों के अलावा माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का कार्य उचित नहीं होगा क्योंकि माध्यमिक शिक्षा पूर्णतः राज्य का विषय है । माध्यमिक शिक्षा आयोग के बिना भी हम अतीत में राज्य सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के सुधार संबन्धी कुछ उद्देश्यों के लिए दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनुदान देते रहे हैं । ये केन्द्र द्वारा आयोजित योजनायें थी । परन्तु दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय विकास परिषद ने जिसका प्रतिनिधित्व सभी मुख्य मंत्री करते हैं, यह कठोर रवैया अपनाया है कि उन्हें राज्य के क्षेत्र में केन्द्र द्वारा आयोजित योजनाओं की अपेक्षा नहीं है और वे चाहते हैं कि इस समूचे धन को राज्यों को दे दिया जाये और यह उनका कार्य है ।

एक माननीय सदस्य : क्या कानून में कोई कठिनाई है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : कानून में ऐसी कोई कठिनाई है परन्तु हमें यह परामर्श दिया गया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं । जिस पर भी केन्द्र द्वारा आयोजित योजनाओं को काफी सीमा तक समाप्त कर दिया गया है । अतः मेरे सहयोगी ने बार-बार सभा को बताया है कि यह राज्य सरकारों का काम है और वे यह परेशानी, जो हम शिक्षा मन्त्रालय में अनुभव

करते हैं, व्यक्त कर रहे थे कि जहां तक माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, हम अपने आपको सलाह देने के अलावा अन्य कार्य करने में बहुत निःसहाय पाते हैं। और जब सलाह के साथ धन नहीं होता है तो इसको स्वीकार नहीं दिया जाता है।

श्री क० रमानी : प्रश्न के भाग (क) में विशेषकर स्कूल अध्यापकों की सेवा की शर्तों के बारे में" पूछा गया है। अतः यह केवल वेतन के बारे में ही नहीं है। आज अध्यापक अधिक काम के बोझ से दब रहा है। विद्यार्थियों की संख्या जिनको प्रत्येक अध्यापक पढ़ाता है, बढ़ गई है। कोठारी आयोग ने इस बारे में विशेष सिफारिश की है। क्या सरकार ने इस पर विचार किया है तथा कोई योजना बनाई है और इसको क्रियान्यन के लिये राज्य सरकारों की सिफारिश की है ताकि अध्यापकों पर कार्य का भार कम हो जाये और शिक्षा का स्तर बढ़े तथा शिक्षकों को और रोजगार उपलब्ध हो सके? क्या उन्होंने राज्य सरकारों को ऐसा कोई निदेश दिया है ?

श्री भक्त दर्शन : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने पहले ही कह दिया है कि शिक्षा आयोग की सभी सिफारिशों को, जिसमें यह विशेष सिफारिश भी शामिल है तथा जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है और उनको क्रियान्वित करना उनका कार्य है।

Antiques with Private Collectors

*1053. **Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some rare and valuable antiques are available with the private collectors in the various parts of the country but these are not being well-preserved due to shortage of funds ; and

(b) whether Government would give financial aid to the collectors of such objects so that our National heritage could be preserved for the benefit of Research Scholars and future generation ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) देश में पुरातन वस्तुओं के बहुत से प्राइवेट संग्रहकर्ता हैं किन्तु सरकार को उनके संग्रह के ब्यौरों की जानकारी नहीं है और न ही किसी ने सरकार को सूचित किया है कि उनके कब्जे में जो पुरातन वस्तुएं हैं उनको धन की कमी के कारण भली भांति परिरक्षित नहीं किया जा सकता।

(ख) पुरातन वस्तुओं के संग्रहकर्ताओं को आर्थिक सहायता देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय संग्रहालय की रसायन प्रयोगशाला, चित्रों तथा अन्य कला विषयक वस्तुओं के संबन्ध में अथवा उनके परिरक्षण या मरम्मत के लिए तकनीकी सलाह प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय संग्रहालय भी कला-वस्तुओं का पता लगाने में सहायता कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, प्राइवेट संग्रहकर्ताओं के अपने रिकार्डों और पाण्डुलिपियों के आफ्टीकरण, रासायनिक लेप, माइक्रोफिल्म तैयार करने तथा मुफ्त तकनीकी सलाह प्रदान करके उनकी

मदद कर रहा है । सरकार ने, प्राइवेट पार्टियों के स्वामित्व वाली महत्वपूर्ण पुरातन वस्तुओं/पाण्डुलिपियों । रिकार्डों की खरीद के लिए भी धन की व्यवस्था की है ।

Shri Ramavtar Sharma : Just it has been stated in the reply that they do not have details about the persons possessing antiques and the sort of antiques they have. I want to know what are the reasons for not obtaining this information. May I know whether no one saught any assistance for the preservation of such things and if they saught any assistance, whether that has been given to them so far ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, प्राइवेट लोगों से उनके पास जो पुरातन वस्तुओं के भण्डार हैं उनके विषय में उनसे घोषणा करने के लिए कहने के बारे में अब तक कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है । अब हमारा विचार इस सभा में एक विधान पुरःस्थापित करने का है जो अन्य बातों के साथ-साथ उस विशेष बात को भी अपने में शामिल करेगा जिसकी ओर माननीय सदस्य ने सभा का ध्यान दिलाया है । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है जहां तक मुझे पता है प्राइवेट संग्रहकर्ताओं द्वारा सहायता के लिए कोई पूछताछ नहीं की गई है । यदि पूछताछ की जाती अथवा निवेदन किये जाते हैं तो मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि वित्तीय सहायता दी जा सकती है । हम केवल आपट्टीकरण तथा दीप्रीकरण आदि द्वारा संरक्षण आदि करने के सम्बन्ध में सलाह देकर तकनीकी सहायता दे सकते हैं ।

Shri Ramavtar Sharma : When I talk about antiques I mean ancient books also. In Chitrakut, even today, there is manuscript of Ayodhaya Kand of Ramayana written by Tulsi Das. I want to know why the Government is unaware of it and if the Government is aware of it why arrangement is not made to preserve such things. We read in the newspapers that such things are being taken away in large number by the thieves and are being exported Government must be knowing about it. May I know what is being done to check it and if nothing is being done why it is so ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य इस विशिष्ट पांडुलिपि के बारे में मुझे ब्यौरा देंगे तो मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि इस विशेष मामले में हम क्या कर सकते हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : What else we can give ? We have given the information.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे भी गुप्त जी की बात पर बड़ा आश्चर्य है कि वे उस विवरण के बारे में पूछ रहे हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है । मुझे अभी बताया गया है कि तुलसीकृत रामायण के अध्योध्या मिश्र की एक पुरानी हस्तलिपि है जोकि बहुत बुरी दशा में है तथा इस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता है । मैंने कहा कि इस बारे में ब्यौरा देने की आवश्यकता है कि यह किस के कब्जे में है, कहां है और आदि आदि । तब मैं जांच कराऊंगा और देखूंगा कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं । जहां तक चुराई गई पुरातन वस्तुओं का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों की भाँति मुझे भी इस पर चिन्ता है । पुरातन वस्तुओं की इस प्रकार चोरी और उसके पक्ष से निर्यात पर हम बहुत गम्भीरता से सोचते हैं, इसलिये जैसा मैंने अभी कहा,

हमारा इस सभा में एक विधान पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है, मैं नहीं जानता यह इस सत्र में संभव होगा अथवा नहीं, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा। यह विधान इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करेगा, इसमें कठोर दण्ड की व्यवस्था होगी और जहाँ तक निर्यात का सम्बन्ध है इस बारे में इसमें उचित प्रबन्ध होगा, इसमें कला की वस्तुओं आदि के प्राइवेट व्यापारियों के लाइसेंसीकरण तथा रजिस्ट्रीकरण के बारे में भी विचार किया जायेगा, हमें आशा है कि जब नया विधान पुर:स्थापित पारित तथा कार्यान्वित किया जायेगा, तब इस समस्या को हल करने के लिए कुछ कारगर कार्य अवश्य किया जायेगा।

Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Sheikh Abdulla has sold many old manuscripts of Sanskrit of Kashmir to the foreigners.

श्री बलराज मधोक : आप इस बात पर क्यों हंस रहे हैं ? वह सत्य बोल रहे हैं और शत-प्रतिशत सत्य बोल रहे हैं... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : वह उन लोगों का उल्लेख कर रहे हैं जो यहां अपने पक्ष के समर्थन में नहीं बोल सकते।

Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Sheikh Abdulla has sold the Sanskrit literature in large volume to the foreigners. I want to know what efforts the Government have made to protect and preserve the Brahman Granthas and other Granthas of the Raghunath Mandir which are written on Bhoj Patra ? If no efforts have been made, will they make any effort ?

Two years back Prof. Sher Singh assured in this House that Government will make efforts to procure the letters exchanged between Swami Dayanand Saraswati and famous revolutionary Shyamji Verma. I want to know what success you have achieve in this matter

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं मामले की जांच करूंगा।

श्री जि० मो० विस्वास : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप उन व्यक्तियों के संबन्ध में प्रश्न पूछने की अनुमति कैसे दे रहे हैं जो यहां नहीं आ सकते और अपने समर्थन में नहीं बोल सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नाम लेकर उनका उल्लेख न किया जाये।

श्री जि० मो० विस्वास : यह एक ऐसे व्यक्ति के प्रति आक्षेप जो यहां नहीं है। सदस्यों को विरोध करने दीजिये लेकिन आपको इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जि० मो० विस्वास : मैं श्री शेख अब्दुल्ला का समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह एक आक्षेप है।

Shri Kanwar Lal Gupta : He has taken the responsibility to support all anti-National activities.

श्री जि० मो० विस्वास : हम जनसंघ को इस सदन का राजनीतिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग करने की अनुमति नहीं देंगे।...(**व्यवधान**)।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपकी तरह हम भी यहां राजनीतिक कार्य के लिये हैं, आप इस प्रकार व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।.....

श्री जि० मो० विस्वास : श्री शेख अब्दुल्ला जनसंघ के लोगों से अधिक देश-भक्त हैं। यदि आप ऐसी चर्चा की अनुमति देंगे तो इससे देश में साम्प्रदायिक संकट हो जायेगा, इसकी पुरातन वस्तुओं से कोई संगनना नहीं है।

Shri Ramavatar Shastri : He has no right to say that there is no patriot except him.

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, when we speak against Naxalites when they raise trouble and burn the National flag, or when Shiekh Abdulla indulges in wrong activities then these people accept it. All of them are anti-national.

Mr. Speaker : I draw the attention of the hon. Member before raising the point of order that why he is referring to individuals by name.

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, you kindly expunge it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री जि० मो० विस्वास : इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये, इसे कार्यवाही में लिया गया है, यदि उनके पास कोई प्रमाण हो तो वे उसे गृह-कार्य मन्त्रालय के सामने प्रस्तुत कर दें। इस बारे में जांच होने दी जाये।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम इस चनौती को स्वीकार करते हैं। हम इसे सिद्ध कर देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम किये जाने का समर्थन करते हैं।

श्री बल राज मधोक : जब श्री शेख अब्दुल्ला काश्मीर के मुख्य मन्त्री थे।..... (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री बलराज मधोक : **

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, who started this issue ? May I know whether the name of Shri Shiekh Abdulla cannot be mentioned in this House. If the insinuation is wrong, the hon. Minister can refute it. Si ce when these people have become the supporters of Shri Sheikh Abdulla ?...(*Interruptions*).

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

श्री उमानाथ : जब किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं जो यहां अपने पक्ष के समर्थन नहीं बोल सकता तो आप स्वयं उसपर आपत्ति करते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, our friends here daily abuse Birla and Tata ...*(Interruptions)*

Shri J. M. Biswas : These people are ruining the country *(Interruptions)*

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Seikh Abdulla is ruining the country in collusion with the Communist Party. *(Interruptions)* It is their conspiracy *(Interruption)*

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, you might be remembering that these people put insinuations against General Kariappa and Shri Sankaracharya when they were not in this House, but today these people have become the supporters of Shri Sheikh Abdulla. There will be one Rule for all *(Interruption)*

Shri Kanwar Lal Gupta : These people talk against Birla, Tata and Sankaracharya. These people have different standards. These people always support anti-national activities. This is a wrong thing. *(Interruption)*

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, just Shri Atal Bihari Vajpayee asked that since when the Marxist Communist have become the supporters of Shri Sheikh Abdulla. These people become his supporters since China became friend of Pakistan.

Shri Bhogendra Jha : We became supporter of Shri Sheikh Abdulla at the time when he did not allow Muslim League to come up. Then they were traitor. When Maharaja Hari Singh ran away, then Shri Shiek Abdulla faced Pakistan with arms.

श्री स० कुण्डू : हम टाटा, बिरला, शंकराचार्य, करियाप्पा शेख अब्दुल्ला आदि सभी के बारे में पूछ सकते हैं और इसे कोई नहीं रोक सकता। यह आजाद देश है।

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा।

श्री क० लकप्पा : हमारे महान् देश की परम्परा और संस्कृति को बताने वाली इन दुर्लभ तथा मूल्यवान पुरातन वस्तुओं के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने भूतपूर्व शासकों तथा महाराजाओं के पास उपलब्ध इन दुर्लभ तथा मूल्यवान पुरातन वस्तुओं का संग्रह करने के लिये क्या उपाय किये हैं और क्या सरकार का विचार इन दुर्लभ तथा मूल्यवान पुरातन वस्तुओं को प्राप्त करने और उनका संरक्षण करने के लिये भूतपूर्व शासकों तथा महाराजाओं के घरों पर छापा मारने का है, मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार महान् भारत की संस्कृति और परम्परा की रक्षा करने के लिये इन दुर्लभ तथा मूल्यवान पुरातन वस्तुओं के संग्रह के संबंध में शीघ्र कोई विधान ला रही है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जैसा मैंने थोड़ी देर पहले सभा को बताया, हम ऐसी कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में सभी व्यक्ति चाहे वे राजा हों अथवा भूतपूर्व राजा या महाराजा, यदि उनके पास पुरातन वस्तुओं अथवा कला आदि की अन्य मूल्यवान वस्तुएं हैं तो वे उनकी घोषणा करें और इससे हमें पता चल जायेगा कि पुरातन वस्तुओं के रूप में देश

के पास कुल कितना धन हो और किस के पास हो तथा उनके संरक्षण के लिये उनके द्वारा क्या किया जा रहा है।

पश्चिमी बंगाल में हथियार तथा गोला-बारूद का बरामद होना

+

*1054. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री दे० प्रभात :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री समर गुह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1970 के दूसरे पखवाड़े में कलकत्ता में विभिन्न भागों से बड़ी मात्रा में बम तथा गोला-बारूद बरामद किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इन हथियारों और गोला-बारूद के आने के स्रोत की जांच की है ; और

(घ) पश्चिम बंगाल में हथियारों, गोला-बारूद के निर्माण और/अथवा चोरी छिपे उनके लाये जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 मार्च, 1970 से लेकर 31 मार्च, 1970 तक पुलिस द्वारा कलकत्ता में 377 बम, 44 क्रैकर तथा 800 राउंड गोला-बारूद बरामद किया गया था और पकड़ा गया था, 377 बमों में से, तीन पेट्रोल बम थे और एक ग्रिनेड, ऐसा समझा जाता हो कि बरामद किये गये सारे बम देश में निर्मित हैं। इन वस्तुओं को बरामद करने के सम्बन्ध में कई व्यक्तियों का गिरफ्तार किया गया है और स्रोत का पता लगाने के संबंध में जांच चल रही है।

Shri Sitaram Kesri : The hon. Minister has stated in the statement placed with the reply of the Question that 377 foreign made bombs have been recovered. The Police Commissioner, Shri B. K. Sen gave a statement before the Pressmen on 23rd March, in which he has stated that besides bombs pipe gun and pant pocketed pistols have been recovered. Therefore I want to know whether you have seized any bomb manufacturing Centre also ? We come to know from the newspapers that there is bomb trading in Calcutta these days. If you have seized any such centre, whether you have come to know that who are the bomb traders ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक वर्तमान जानकारी का प्रश्न है, इसका संबंध 16 मार्च और 31 मार्च के बीच बरामद हुए माल से है, यह सामान वह है जो केवल 15 दिनों में बरामद हुआ ।

यह सच है कि यह सामान राज्य के विभिन्न भागों में, विशेषकर कलकत्ता शहर और उसके आस-पास के क्षेत्र में पाया गया था। मैं सोचता हूँ इस प्रकार का सामान बरामद करने के लिए एक अभियान चलाना चाहिये। आज तक हमें कोई बम निर्माण करने वाले कारखाने का पता नहीं चला हैं। ऐसा पता चलता है कि यह कार्य एक से अधिक स्थानों पर किया गया क्योंकि यह बहुत विस्तृत रूप से उपलब्ध है। मेरे विचार से ऐसे विस्तृत सामान के स्रोत का पता लगाने के लिये एक विशेष अभियान आवश्यक है।

श्री स० कुण्डू : क्या कुटीर उद्योग जैसा कोई उद्योग चल रहा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसा ही मालूम पड़ता है।

Shri Sitaram Kesri : In your statement he has stated that some people have been apprehended. The same Police Commissioner had said that the two hundred detenue who were apprehended earlier have again been arrested ; then may I know whether those who have been arrested belong to a particular political party, so as to find as to which are the people of that party who have been indulging in these anti-national activities of producing bombs ? Is there any particular party to which they belong ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं उन व्यक्तियों के बारे में कोई भ्रम उत्पन्न करना नहीं चाहता जोकि पकड़े गये थे, छोड़ दिये गये थे तथा फिर पकड़े गये हैं, क्योंकि इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। जिन 25 व्यक्तियों के बारे में जांच की जा रही है, वे इस विशिष्ट मामले से संबंधित हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : वे किस दल से संबंधित हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजनीतिक उग्रवादी हैं।..... **(व्यवधान)**।

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Home Minister is deliberatly not giving the names of those persons who are connected with the bomb case. Actually, they are those very naxalites from whom bombs have been recovered. I would, therefore, like to know whether after the President's Rule, the Government would install a formal inquiry against these Communist and would punish those who are found in possession of bombs ? May I know whether he is contemplating to impose a ban on Communist Party ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जो लोग बम बना रहे हैं या इस कार्य से संबंधित हैं, वे किसी भी दल से संबंधित हो, हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री समर गुह : क्या यह सत्य है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के 13 मास के शासन-काल में केवल 100 नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में बम विस्फोट की हजारों घटनायें हुई ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि संयुक्त मोर्चा के शासन काल में कोई भी नई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि गृह-कार्य मन्त्रालय ने यह सोचा कि यह कार्य लोगों के अपने उद्देश्य के लिये लोगों के ही आंदोलन का एक भाग यह क्रान्तिकारी आन्दोलन था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि 16 मार्च के बाद पुलिस द्वारा प्रतिदिन सैंकड़ो बम फैंके गये ? क्या यह भी सच है कि प्रेजीडेन्सी कालेज की प्रयोग-शाला तथा कई अन्य कालेज बम बनाने के छोटे-छोटे कारखाने पाये गये, तथा क्या यह भी सच

है कि इनमें से कुछ बम तो पाकिस्तान से भी प्राप्त किये गये थे ? मेरे पास जानकारी तो है परन्तु मैं उसे प्रगट नहीं करना चाहता ।.....(व्यवधान) । यदि वे इंकार करते हैं, तो मैं उन्हें यह जानकारी दे दूंगा । पश्चिम बंगाल को वहाँ रहने वाले लोक-तान्त्रिक व्यक्तियों के लिये शांतिपूर्ण व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि वे लोग वहाँ शान्तिपूर्ण तथा कानून-पूर्ण वातावरण में रह सकें ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं भी यही कहना चाहूँगा । मैं यह तो गारंटी से नहीं कहता और न ही कहूंगा कि पाकिस्तान से कुछ नहीं आ रहा है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है तो वह बड़ा विश्वास रख कर मुझे बतादें क्या मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अवश्य ही उसकी जांच कराऊंगा । वह चाहते थे कि मैं इस सम्बन्ध में अपना मत दूं । मैंने अनेक बार कहा है कि वहां स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है ; और संभवतः ही अब वह अवसर आ गया है कि हम इस मामले की जड़ में जायें और यदि संभव हो तो हम उसमें सुधार करें । आज भी हमने एक घटना के बारे में सुना है जोकि प्रेजीडेन्सी कालेज तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में घटित हुई है । विश्वविद्यालयों के अहाते ही एक गम्भीर समस्या बने हुये हैं और मेरे विचार से, इस बारे में मुझे शिक्षा मंत्री से विचार-विमर्श करना होगा कि इस मामले में क्या कार्यवाही करें । साधारणतः तो यह परम्परा है कि पुलिस विश्वविद्यालय के अहाते में प्रवेश नहीं करती । आज मैं जादवपुर विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ, तथा मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में अपनी कठिनाइयाँ स्पष्ट करूंगा । मैं इसे बिल्कुल मानता हूं कि कुल विश्वविद्यालयों के अहाते ऐसे स्थान बनते जा रहे हैं जहाँ उग्रवादी अपनी गतिविधियां चला रहे हैं और हमें इसकी ओर ध्यान देना है । सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला जिस पर हमें ध्यान देना है वह यह है कि कुछ अत्याधिक प्रतिभाशाली छात्र भी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं ।

श्री समर गुह : पूलिस ने कुछ स्टेनगनें और ब्रेनगनें भी पकड़ी हैं, और ये समाचार अखबारों में छपे हैं ! क्या ये समाचार सही हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई स्टेनगन या ब्रेनगन नहीं बरामद की गई है ।

श्री दे० अमात : बमों की बिक्री पश्चिम बंगाल में बाजार गर्म है तथा इन बमों को झगड़ों तथा अपराध-कार्यों में स्वच्छन्दत से इस्तेमाल किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कलकत्ता तथा इसके उपनगरीय क्षेत्रों में बम बनाने के हजारों कारखानों ने जन्म ले लिया है । अतः, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे अवैध व्यापार के लिये बमों के निर्माण के लिये आवश्यक इतनी मूल्य-वान् सामग्री, इतनी मात्रा में कहाँ से उपलब्ध होती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस विशिष्ट मामले पर बड़े ही ध्यान से विचार किया जा रहा है तथा इसकी जांच की जा रही है और इस बारे में एक सामान्य निष्कर्ष तो यह भी निकाला जा सकता है कि देश में बनाये गये बमों में इस्तेमाल होने वाली कुछ बारूद-सामग्री ऐसी है जोकि सामान्यतः औद्योगिक तथा निर्माण कार्यों आदि के लिये उपलब्ध हैं तथा इनमें से कुछ

तो आधार-भूत सामग्री है। हमें इस मामले की जांच करनी पड़ेगी परन्तु इस बारे में यह एक प्रारम्भिक संकेत है।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether it is ture that lately, there was a news in the press that the CP(M) there had issued a circular to its members giving instructions as to how and where such Bombs should be dropped ? Also I want to know whether such small bomb factories are running under the patronage and shadow of certain police staff ? Secondly, as regards the bombs and other ammunition recovered, whether those include foreign made bombs and other arms ? If so, to which countries do they belong ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पहले प्रश्न के उत्तर में तो मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे इस मामले की विशिष्ट जानकारी नहीं है। परन्तु शायद वह मुझे यह संकेत दे रहे हैं कि किन-किन दृष्टिकोणों से जांच कार्य किया जाना चाहिये। हम उसी दृष्टिकोण को लेकर जांच करेंगे ?

जैसा कि मैंने कहा है कि कितनी भी विस्फोटक-सामग्री हमें मिली है वह किसी एक प्रकार की नहीं है। ऐसा लगता है कि वह हाथ की बनाई गई,—देश में ही बनी जैसी हैं। कोई कह सकता है कि यह तो एक प्रकार ग्रामीय उद्योग-सा है।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : क्या आप जानते हैं कि गत एक वर्ष में बम की कीमत दो रुपये प्रति बम की दर से घट गई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने बमों के बाजार-भाव पर विचार नहीं किया है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या पश्चिम बंगाल में बरामद किये गये बमों की सामग्री सामान्यतः बमों का निर्माण करने वाली सामग्री से कुछ मिलती-जुलती है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या ये बम किसी एक व्यक्ति या किसी समूह द्वारा बनाये जाते हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक समानता का प्रश्न है, मूल रूप में तो कुछ समानता है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये एक ही स्थान पर बनाये जाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद इनके निर्माण में एक जैसा तकनीक ही काम में लाया गया हो ?

जहां तक व्यक्ति तथा किसी दल का संबंध है, इन विषयों पर तो जाँच की जायेगी। इस समय तो मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके आधार पर मैं ऐसे ही किसी दल का नाम ले सकूं।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

अयस्क के निर्यात के लिए जापान के साथ करार

अ० सू० प्र० 20. श्री एस० आर० दामानी : श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अयस्क का बड़ी मात्रा में निर्यात करने के लिए जापान के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया के साथ जापान द्वारा किये गये करारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सम्बद्ध है।

(ग) और (घ). जी हां। लौह अयस्क सप्लाई करने के लिये जापान का आस्ट्रेलिया से एक लम्बे समय का करार हुए हैं। इन करारों की शर्तें और मूल्य भिन्न-भिन्न करारों में भिन्न-भिन्न हैं। औसतन आस्ट्रेलिया से जापान को प्रतिवर्ष 400 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क सप्लाई होगा तथा इनकी समय सीमा 7 से 15 वर्ष तक है।

विवरण

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष श्री आर० आर० बहल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 3 अप्रैल, 1970 को जैपनीज स्टील मिल, टोकियों के साथ कुल 717 लाख टन लौह अयस्क का करार किया। करार का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

(क) **बेला डिला करार :**

1971-74 में विशाखापटनम के आंतरिक पत्तन से निर्यात	147 लाख टन
1974-80 में विशाखापटनम के बाह्य पत्तन से निर्यात	464 लाख टन
	613 लाख टन
	मूल्य 467 करोड़ रुपये

(ख) पारादीप, मद्रास, कलकत्ता एवं काकीनाडा से लादा जाने वाला बाराजमाडा। बेल्लारी अस्यक समेत समाक्षारीय लौह अयस्क

1970-71	35 लाख टन
1071-72	35 लाख टन
	70 लाख टन
	मूल्य 49 करोड़ रुपये

(ग) मद्रास तथा अन्य छोटे पत्तनों से जाने वाला बैल्लारी-होसपेट का उच्च स्तरीय लौह अयस्क

1970-74 34 लाख टन

मूल्य 26.2 करोड़ रुपये

इस के अतिरिक्त 1970 में 2.4 करोड़ रुपये के 3,00,000 टन मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने का करार भी किया गया है ।

श्री एस० आर० दामानी : यह पहला अवसर है कि एम० एम० टी० सी० ने इतनी अधिक मात्रा तथा इतनी लम्बी अवधि का करार किया है । दिये गये ब्यौरे से स्पष्ट होता है कि इससे जापानी इस्पात मिलों को लाभ रहेगा क्योंकि उन्हें लौह-अयस्कों की सप्लाई 9 वर्ष तक इसी मूल्य पर मिलेगी ।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इतनी लम्बी अवधि का करार करने से पूर्व क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया था कि अगले दस वर्षों में मूल्यों का रुख क्या होगा ? यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

क्या यह सत्य है कि बेलाडिला अयस्क के मूल्यों में गत दो वर्षों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ? अयस्क की इस लागत में अगले 9 वर्षों के दौरान कितनी वृद्धि होगी ? क्या अयस्क की लागत की वृद्धि के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है । लौह-अयस्क का आयात गैर सरकारी कम्पनी करती है । क्या इस बारे में गैर सरकारी कम्पनी से भी विचार विमर्श किया गया था तथा क्या उसे भी इतनी लम्बी अवधि के करार में भागीदार होने को कहा गया था ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ? इस लम्बी अवधि के करार के कारण हमारा मैंगनीज अयस्क का निर्यात समाप्त हो जायेगा । क्या मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये इतनी ही लम्बी अवधि का करार करने के लिये जापान के साथ जो कि मैंगनीज अयस्क का भारी मात्रा में खरीददार भी है, कोई प्रयास या विचार विमर्श किया गया था ?

अन्त में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस लम्बी अवधि वाले करार से जापान को हमारा निर्मात बढ़ेगा ; यदि हां, तो इसमें किस सीमा तक वृद्धि होगी ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने पांच प्रश्न पूछे हैं । पहले तो उन्होंने यह पूछा है कि क्या यह पहला अवसर है जबकि इतनी लम्बी का करार किया गया है । यद्यपि यह इतनी बड़ी मात्रा वाला तथा इतनी लम्बी अवधि वाला विशिष्ट करार अपने ढंग का पहला करार है, तथापि यह केवल पहला ही अवसर नहीं है जबकि इस देश अथवा अन्य किसी देश द्वारा लौह-अयस्क सम्बन्धी ऐसा करार किया गया हो । इससे पूर्व भी किरीबुरन खान के विकास के लिये 2 करोड़ टन के तथा बेलाडिला खानों के विकास के लिये 8 करोड़ टन के करार की योजना बनाई गई थीं । इस करार के एक भाग को गत कुछ वर्षों के दौरान पूरा कर लिया गया है । जहां तक बेलाडिला का सम्बन्ध है, ब्यौरे से पता चल सकता है कि कुल जितने का करार किया गया था उसमें से 613 लाख टन माल अगले 9 वर्षों में वर्ष 1980 तक सप्लाई कर दिया

जायेगा । अतः यह कोई नया ही करार नहीं है । यह पिछले ही करार के संदर्भ में है यद्यपि इसमें कुछ नया ब्यौरा तथा कुछ नई बातें शामिल हैं ।

इसके पश्चात् माननीय सदस्य ने विश्व में मूल्यों के उतार-चढ़ाव के बारे में पूछा है, इस अन्तर मंत्रालय समिति की बैठकों में में लम्बी अवधि के करार उसके लाभ-हानि आदि विषयों पर विचार किया गया था । इस पर मन्त्री मण्डल ने पूरी तरह से विचार किया था । ऐसे करारों में लाभ-हानि का ध्यान रखा जाता है । जैसा कि सभा को मालूम है कि लोहे की खानों में भारी घनराशि लगी हुई हैं ; अतः जब तक बाजार के रूख का सुनिश्चय न हो, कठिनाई यह होगी कि आपका सारा पूंजी निवेश अलाभ सिद्ध हो सकता है । आने वाले वर्षों के दौरान जो मूल्य होंगे तथा जो मूल्य अन्य सप्लायरों को दिये गये हैं जापान को भी इतनी ही बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है उनके सर्वेक्षण तथा लम्बी अवधि तथा बड़ी मात्रा वाले पूंजी निवेश और उनके हानि कर सिद्ध होने से बचाव की आवश्यकता जैसे सभी प्रश्नों पर विचार किया गया है । मैं सभा को याद दिलाता हूँ कि जब देतारी खानों के विकास का काम हाथ में लिया जा रहा था, तो माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी क्या प्रदीप पत्तन का जिस पर इतनी धन राशि खर्च की जा रही थी, उपयोग भी किया जायेगा या नहीं ; और सभा ने इस सबंध में एक लम्बी अवधि के करार की मांग की थी ।

अतः हमने जो कुछ किया है अपने पूंजी निवेश तथा अपने हितों की रक्षा के लिये किया है । हमने लम्बी अवधि तक मूल्यों के रूखों तथा अन्य बातों सहित अभी पहलुओं पर विचार किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह अपनी निराधार कहानियों से हमें डरायें नहीं ।

श्री ब० रा० भगत : न मुझे किसी व्यक्ति को डराने की आदत है और न मैं निराधार टिप्पणी करता हूं । मैं तथ्यों पर आधारित बात ही कहता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनके अपने कोई विचार नहीं हैं तथा वह नौकरशाहों द्वारा बताये गये मार्ग पर चल रहे हैं ।

श्री ब० रा० भगत : उसके पश्चात् माननीय सदस्य ने लागत में वृद्धि होने की बात कही । इस सम्बन्ध में भी जांच की गई थी । बड़े खुले माल वादकों को ध्यान में रखते हुए भावी सम्भावनाओं, दीर्घकालिक निवेशों और अधिक बिक्री तथा लागत और मूल्यों पर प्रभाव आदि इन सभी बातों की जांच की गई है तथा जिस प्रकार हमें लाभ रहे उस आधार पर निर्णय किया गया है ।

जहां तक गैर-सरकारी समवायों का सम्बन्ध है, इस ठेके में उनसे परामर्श करने का कोई प्रश्न नहीं हैं । किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूँ कि केवल गोआ में लौह अयस्क का व्यापार करने के लिए गैर-सरकारी समवायों को अनुमति दी गई है तथा उसका भी ऐतिहासिक कारण है । उनमें से कुछ समवायों ने जापान से दीर्घ कालीन ठेके किये हैं ।

माननीय सदस्य ने निर्यात में वृद्धि के बारे में भी प्रश्न किया है । इस सम्बन्ध में मेरा

निवेदन है कि वैसीलाडीला से इस वर्ष 47 लाख मीट्रिक टन का तथा 1979 में 78 लाख मीट्रिक टन का निर्यात किया जायेगा। इस प्रकार निर्यात में वृद्धि होगी।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि मैंगनीज अयस्क के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का ठेका क्यों नहीं किया गया। विवरण में इसका उत्तर दिया गया है कि हमने 2.4 करोड़ रुपये के मूल्य के 300,000 मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क के लिये ठेका किया है और सौ करोड़ रुपयों के मूल्य का दीर्घ अवधि का ठेका किया है। केवल वैलडिला के लिये ही 467 करोड़ रुपयों के मूल्य का ठेका किया गया है। अतः दीर्घ अवधि के ठेके के एक लाभ इतनी बड़ी धन राशि का भी है। कम मूल्य के ठेके से इतना लाभ प्राप्त नहीं होता तथा हम देश का कोई भी व्यक्ति मैंगनीज अयस्क के लिए दीर्घ अवधि का ठेका नहीं करना।

श्री एस० आर० दामानी : माननीय मन्त्री ने बताया है कि 2.4 करोड़ रुपयों के मूल्य के 3 लाख टन मैंगनीज अयस्क का ठेका किया गया है जबकि 467 करोड़ रुपयों के मूल्य के लौह अयस्क का ठेका किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैंगनीज अयस्क का हमारा निर्यात घटता जा रहा है तथा हमारी खाने बन्द होती जा रही है सरकार जापान से मैंगनीज अयस्क के सम्बन्ध में दीर्घ अवधि का ठेका करने के लिये आग्रह क्यों नहीं करती क्योंकि इससे हमारे देश को सहायता मिलेगी।

दूसरी बात यह है कि विवरण में मूल्य का कोई संकेत नहीं किया गया। क्या बातचीत हमारी ओर आरम्भ की गई थी अथवा जापान ने आरम्भ की थी। बातचीत आरम्भ करते समय चालू मूल्य क्या थे तथा ठेका किस मूल्य पर किया गया था और उन दोनों में क्या अन्तर है? क्या पैनों में ऋण सम्बन्धी तथा अयस्क को भारतीय जहाजों में होने के सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था की गई है?

श्री ब० रा० भगत : मैंगनीज अयस्क के सम्बन्ध में दीर्घ अवधि का ठेका क्यों नहीं किया जा सकता इस सम्बन्ध में मैं उल्लेख कर चुका हूं। यह मैंगनीज अयस्क बढ़िया किस्म का है तथा बाहर इसकी बहुत मांग है क्योंकि लौह-मैंगनीज उद्योग में बहुत प्रगति देखी है तथा बढ़िया किस्म का अयस्क लौह-मैंगनीज कारखानों में उपयोग होता और इसके निर्यात में वृद्धि हो रही है।

जहाँ तक घटिया किस्म के अयस्क का सम्बन्ध है प्रतिवर्ष इसके निर्यात में वृद्धि हो रही है किन्तु इसके मूल्य गिरे हैं। फिर भी निर्यात की वृद्धि से हम विदेशी मुद्रा की कुल आय में कमी नहीं होने दे रहे।

गत वर्ष के मूल्यों पर हमने जापान से एक करार किया है जो हमारे हित में है क्योंकि मैंगनीज अयस्क के मूल्य विश्व में गिरते जा रहे है और विशेषकर इस किस्म के अयस्क के।

श्री एस० एम० कृष्ण : जापानी फर्म और एन० एम० डी० सी० ने एक भारी ठेका किया है तथा जापान के आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण मूल्य भी जापान ने ही निर्धारित किये हैं। जिन अधिकारियों ने यह ठेका किया है वे इतने असमर्थ थे कि इस ठेके को लाभकारी नहीं बना सके। सभी आर्थिक संस्थानों ने सामान्यतः यह स्वीकार किया है कि निर्यात किये जाने वाले अयस्क के जो मूल्य जापान से प्राप्त हो रहे हैं। वे जापान की उसी फर्म द्वारा अन्य देशों

को दिये जाने वाले मूल्यों से बहुत कम हैं। क्या लौह अयस्क के मूल्यों के बारे में भारत ने कोई विश्व संधि करने का प्रयास किया था ? मुझे पता है कि भारत, ब्राजील, चिलि, पेरू तथा कुछ अन्य यूरोपयी देशों की जनेवा में बैठक हुई थी तथा वे लौह अयस्क का कोई मूल्य निर्धारित करना चाहते थे जो उन देशों के लिए लाभप्रद होगा जहाँ लौह-अयस्क पाया जाता है तथा जो दूसरे देशों में उसका निर्यात करते हैं। उसमें आम राय क्या व्यक्त की गई थी। हाल ही में अमरीका का मारकोना निगम तथा जापान से मान उद्योग समुद्र के प्रतिनिधि भारत आये थे तथा मंगलौर पत्तन से 60 मील दूर स्थित मैसूर राज्य के कुदिरहिमुख लौह अयस्क के निक्षेपों को देखन गये थे। मैसूर राज्य कई वर्षों से केन्द्र सरकार से वहां उपलब्ध लौह अयस्क का पता लगाने के लिये निवेदन कर रही है। भारत सरकार ने मैसूर राज्य में विद्यमान लौह-अयस्क की क्षमता का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत : दूसरा प्रश्न इससे पृथक प्रश्न है किन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि परियोजना में प्रगति हो रही है। एक प्रयोगात्मक कारखाने का परक्षीण किया गया था जो सफल रहा तथा अब मैंगनीज का निर्यात करने के लिए बड़े स्तर के कारखाने की व्यवहार्यता की रिपोर्ट मिली है...(**व्यवधान**)... इन मामलों को पूरा करने के लिये कई स्थितियों से गुजरना पड़ता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति एक दम नहीं की जा सकती। मूल प्रश्न यह है कि क्योंकि हमारी आर्थिक क्षमता कम हैं अतः क्या हमें अधिक मूल्य नहीं प्राप्त हो सके। माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें अन्य देशों की अपेक्षा कम मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अन्य देशों की अपेक्षा हमें अधिक उपयुक्त मूल्य मिल रहे हैं। यह तथ्य है।.. (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे यह सुन कर हंसी आती है कि हमें अधिक उपयुक्त मूल्य मिल रहे हैं।

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि हमारी सौदा बाजी करने की क्षमता कम है क्योंकि अन्य देशों की तुलना में हमारी नई खानों तथा नये विकसित पत्तों पर प्राद्योगिक उपकरण इतने सुधरे किस्म के नहीं है जिससे हमें कुछ घाटा रहता हैं इसके अतिरिक्त जापान अब इस सम्बन्ध में हमारे ऊपर आश्रित नहीं है यद्यपि पहले वह आश्रित था। जापान को आस्ट्रेलिया, पेरू, ब्राजील आदि देशों से इसकी सप्लाई होती है तथा इन देशों में इस प्रकार की अच्छी व्यवस्था है। अब जापान की साइबेरिया की खानों और वहां के बड़े निक्षेपों की ओर ध्यान है। वहां प्रगति भी हो रही है। इसके अतिरिक्त मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे अधिकारियों ने उचित रूप से कार्य किया है तथा उन्होंने अन्य देशों की अपेक्षा अधिक मूल्य प्राप्त किये हैं।

श्री स० कुण्डू : मैं दीर्घ अवधि के ठेके का स्वागत करता हूँ क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया के साथ हुआ ठेका वार्षिक ठेका है तथा उसके मूल्य प्रति वर्ष पुनरीक्षित होते हैं किन्तु हमारे लिये 8-9 वर्ष के लिए मूल्य निर्धारित किये गये हैं ? क्या आस्ट्रेलिया के मूल्यों की अपेक्षा ढुलाई आदि के कारण हमारे मूल्य कम है ? दूसरे विवरण में कहा गया है कि 467 करोड़ रुपयों के मूल्य के माल का निर्यात विभाग के माध्यम से तथा 49 करोड़ रुपयों के मूल्य के माल का निर्यात पारादीप, मद्रास, कलकत्ता और काकीनाडा के माध्यम से किया जायेगा तथा यह 1971-72 के

लिये मैं जानना चाहता हूँ कि विजाग तथा अन्य पत्तनों के सम्बन्ध में भेदभाव क्यों बरता जा रहा है तथा क्या मन्त्री महोदय पारादीप, मद्रास, कलकत्ता और काकीनाडा से होने वाले निर्यात के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। क्या मन्त्री महोदय सभा को विश्वास दिलायेगें कि इन पत्तों से निर्यात करने के लिए भी एक दीर्घ-अवधि की निर्यात योजना बनाई जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आपने इस साधारण प्रश्न में एक और नहीं बात सम्मिलित कर दें।

श्री ब० रा० भगत : यह ठेका मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से दीर्घ अवधि का ठेका है। हमें केवल मात्रा के सम्बन्ध में दीर्घ अवधि का ऐसा ठेका नहीं प्राप्त हो सका जिसके मूल्यों के बारे में प्रति वर्ष बातचीत की जा सके। जापानी इस बात से सहमत नहीं होंगे। हमें सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक यूनिट में कितने मात्रा में लोइस तत्व हैं इस बात को देखते हुए मूल्य का निर्धारण करने की रीति उत्तम है। हमारे अयस्क में जितने लोइस तत्व हैं उनके हिसाब से हमें उसके अनुकूल मूल्य मिले हैं तथा अन्य देशों की अपेक्षा, विशेषकर आस्ट्रेलिया की अपेक्षा हमारे देश को अधिक मूल्य मिले हैं।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि अन्य पत्तनों से निर्यात करने के दीर्घ अवधि के ठेके क्यों नहीं किये गये मैं निवेदन कर चुका हूँ कि हर एक मामले के बारे में बातचीत करनी थी। मद्रास पत्तन से अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। अन्य देशों के साथ भी और ठेके हैं। यह सच है कि इस ठेके की अवधि दो वर्ष है किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि अन्य कोई ठेका किया ही नहीं जायेगा। वैटरी होसपैट ठेका चार वर्षों की अवधि का है। वैल्टी होसपैट का बढ़िया किस्म के अयस्क का ठेका 1970-1971 के लिये है।

Shri A. S. Sehgal : I want to know from the hon. minister the percentage of amount given to Madhya Pradesh out of the earnings made by the contracts of iron ore from Japan and other countries

अध्यक्ष महोदय : इससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उमा नाथ : मैं समझता हूं कि जापान ने हमारा लौह अयस्क लेने का वचन इस आधार पर दिया है कि उनका अनुमान है कि हम अपने इस्पात के वर्तमान उत्पादन को बढ़ाकर जो 800 लाख मीट्रिक टन है 1500 लाख मीट्रिक टन कर सकेंगे। किन्तु जापानी समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि बहुत से बड़े उद्योगों का विचार है कि जहां तक इस्पात उद्योग का सम्बन्ध है इतनी क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके विचार से केवल 1200 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो सकता है। यदि यह बात सच है तो, जापान ने जिस 1500 लाख टन के अनुमान को आधार बनाकर लौह अयस्क लेने के लिए ठेके पर हस्ताक्षर किये हैं उसका कोई अर्थ नहीं रह जायेगा क्योंकि यदि उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो अवश्य ही हमारे निर्यात पर कुप्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी जिससे इस करार पर भी असर पड़ेगा। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या बातचीत के समय तथा ठेके पर हस्ताक्षर करते समय आशंका का भी ध्यान में रखा गया था, और यदि इस को ध्यान में रखा गया था तो यदि ऐसी बातें सामने आती हैं तो उनको रोकने के लिये करार में क्या गारन्टी दी गई है ?

श्री ब० रा० भगत : जापान ने वर्ष 1969 में 800 लाख टन लौह अयस्क का आयात किया। वहां विभिन्न अन्य देशों से 1500 लाख टन अयस्क का निर्यात किया जाना है। किसी समय भारत ही उसके लिए मुख्य सप्लाई-कर्त्ता था तथा बाद में भी यहां से भारी मात्रा में अयस्क की सप्लाई की गई। इस बारे में भारत का योगदान महत्वपूर्ण है। किन्तु आस्ट्रेलिया जैसे अन्य देश भी हैं जो प्रति वर्ष 400 लाख टन अयस्क का निर्यात करेंगे। केवल आस्ट्रेलिया की तुलना में ही वर्ष 1972 तक भारत उतना अयस्क निर्यात नहीं कर सकेगा जितना आस्ट्रेलिया कुछ समय पहले भारत पहला मुख्य निर्यात कर्त्ता देश था। अतः हमने सभी बातों पर विचार किया है तथा उनकी मांग को भी ध्यान में रखा है। मेरे विचार से उनकी लौह-अयस्क की मांग में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण कमी होने की कोई आशंका नहीं है। जापान तो विश्व के अन्य देशों से भी लौह अयस्क का आयात करना चाहता है।

श्री सी० एम० पुनाचा : लौह अयस्क के दीर्घ अवधि के किसी भी ठेके के सम्बन्ध में अयस्क की किस्म पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है। हमारे लौह अयस्क के सभी मुख्य ठेके 63-65 के ग्रेड के आधार पर किये गये हैं। किन्तु वर्तमान ठेके के सम्बन्ध में बताया जाता है कि वह 65-67 लौह तत्वों के ग्रेड के आधार पर किया गया है इससे यूनिट मूल्य के आधार पर भी हमें 63-65 के आधार पर मिलना था वह भी समाप्त हो गया। लौह अयस्क के दीर्घ अवधि के ठेके के मामलों में माल चढ़ाने की दर, यूनिटेज और अन्य बातों से भी हमें शुद्ध लाभ होता है। मैं जानना चाहता हूं कि माल चढ़ाने की दर क्या होगी जिससे हमें माल भेजने से आमदनी हो सकती थी। क्या हमें विलम्ब शुल्क आदि देना पड़ेगा। इन सभी बातों को स्पष्ट नहीं किया गया। जब तक इन सभी बातों की जांच नहीं होती स्वयं मुझे भी यही आशंका है कि जिस प्रकार यह ठेका किया गया है कहीं उससे हमें उतनी ही विदेशी-मुद्रा प्राप्त न हो जो अयस्क निकालने की लागत, परिवहन तथा पत्तन शुल्क के ही बराबर हो। हम इन बातों पर जितना खर्च करेंगे हमें उतनी ही विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और अयस्क का कोई मूल्य नहीं मिलेगा।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने प्रश्न तो कोई नहीं किया उन्होंने केवल कुछ जानकारी प्रस्तुत की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे अल्प सूचना प्रश्न को पूरा वाद-विवाद न बनायें। उन्हें केवल सीधे और स्पष्ट अनुपूरक प्रश्न ही पूछने चाहिये।

श्रीमती शारदा कजर्मी : श्री पुनाचा के प्रश्न का क्या उत्तर है?

श्री राजशेखरन : हमारी सभी की इसमें रुचि है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पुनाचा का प्रश्न सुझावों के रूप में था। माननीय सदस्य स्पष्ट प्रश्न करें।

श्री सी० एम० पुनाचा : एक फर्म के साथ 470 करोड़ रुपये के मूल्य के दीर्घ अवधि के लिये किये गये ठेके के बारे में उन सभी का बातों को ध्यान में रखते हुये मैं पूछना चाहता हूं

कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा तथा हमारे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने से संबंधित हम दोनों मामलों की तुलना में क्या यह ठेका हमें अलाभप्रद नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं। यदि माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि हमने पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं, परिवहन आदि पर इतना धन लगाया है तथा यदि वहां इष्टम स्तर तक कार्य किया गया होता तो हमें अधिक प्राप्ति होती, तो मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ। इससे खानों पर, परिवहन तथा पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं पर भारी धन खर्च किया है तथा यह सच है कि यदि खुले मालपादकों से काम लिया होता तो अधिक अयस्क की प्राप्ति होती तथा उसके परिणामस्वरूप हमें उसके अधिक मूल्य मिल जाते। किन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यदि यह ठेका ही न किया गया होता तो हमसे देश का अधिक हित होता। यदि यह ठेका न किया गया होता तो यह लगाया गया सभी धन व्यर्थ हो जाता। उदाहरणत: विशाखापटनम जैसे पत्तन पूरी तरह से लोह अयस्क पत्तन है। 1973 में जब बाह्य पत्तन बन जायेगा यह लोह अयस्क पत्तन बन जायेगा। यदि लोह अयस्क का निर्यात नहीं हुआ तो इस पत्तन पर किया गया व्यय बेकार जायेगा। इसलिए यह अपव्यय नहीं है तथा यह कहना सही नहीं है कि इससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती थी, क्योंकि हमने जहां तक सम्भव हो सकता था अच्छी कीमत प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, तथा यह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध ही नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जैसा कि आपने कहा मैं बिल्कुल सीधा प्रश्न कर रहा हूँ। यद्यपि उन मूल्यों को जोकि हमें प्राप्त हुए हैं, गुप्त रखा गया है, पर हमें उनके बारे में जानकारी हो गई है। हमें प्रति मीट्रिक टन दस डालर मिलते हैं जबकि आस्ट्रेलिया को पन्द्रह डालर। फिर, जबकि आस्ट्रेलिया का लौह अयस्क 63-65 का है और हमारा 65-67 का। दूसरे यदि हम निर्धारित समय में लौह अयस्क सप्लाई नहीं कर पाते तो हमें उस पर भारी हर्जाना देना पड़ता है। क्या यह सच नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : व्यापारिक भुगतानों के विषय में हम कुछ निश्चित कारणों से हम मूल्यों को नहीं बताते हैं। फिर भी माननीय सदस्य ने जो मूल्य बताया है वह सही नहीं है। समान मदों के सम्बन्ध में हमें आस्ट्रेलिया से अधिक मिलेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारा तैयार इस्पात जापान तथा अन्य बहुत से उन्नत देशों से विश्व बाजार में प्रतियोगिता नहीं हो सकता क्योंकि हम नौतल पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य से 10 रुपये कम मूल्य पर लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं। इस निर्यात व्यापार में जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है, फैरस, तथा वजन का कम बीजक बनाने का कदाचार फैला हुआ हैं। इसको रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारा अधिकतर निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के द्वारा होता है। अत: माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गोआ से होने वाले निर्यात की क्या स्थिति है ?

श्री ब० रा० भगत : निजी लोगों द्वारा गोवा से निर्यात करने में भी वस्तुओं का कम

बीजक बनाना और वसूल की गई कीमत उचित ही है। मुझे वजन के सम्बन्ध में भी अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। पर यदि इस प्रकार की शिकायत माननीय सदस्य करते हैं तो मैं इसकी जांच अवश्य करूंगा।

श्री क० लक्कप्पा : इस मंत्रालय को जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने से मना करने के कोई कारण नहीं मिले हैं। जहां तक आस्ट्रेलिया से प्रतियोगिता की बात है मैं एक आरोप लगाता हूँ मेरा आरोप यह है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम में बहुत से विदेशी एजेन्ट हैं जोकि वहां अधिकारी हैं। दो वर्ष पहले उन्होंने जापान से एक करार किया था। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बड़े-बड़े अधिकारी जापान गये थे...(अन्तर्बाधा)...भारतीय लौह अयस्क के सम्बन्ध में वे संविदागत मूल्य पाने में असफल रहे। आस्ट्रेलियाई अयस्क अच्छे किस्म का नहीं है जबकि हमारा बढ़िया किस्म का है। जापान हमसे अयस्क लेना...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछें।

श्री क० लक्कप्पा : खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कुछ अधिकारियों ने रिश्वत ले ली, अतः उन्होंने सही मूल्य सूचित नहीं किया और इस प्रकार हम अपने प्रारभ से वंचित रह गए। क्या यह सच नहीं है ? क्या सरकार इस बात की छानबीन नहीं कर सकती कि इन अधिकारियों ने आस्ट्रेलिया के एजेन्ट का काम किया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय मंत्री के प्रश्न मूलतः गलत है। उन्होंने कहा है कि लौह अयस्क के निर्यात में कमी हुई है। इसमें कोई कमी नहीं हुई है। वास्तविकता यह है कि लौह अयस्क का निर्यात 102 करोड़ रुपये की सर्वोच्च सीमा तक पहुंच गया है। अगले वर्ष यह 10 से 15 प्रतिशत वृद्धि होगी। इसलिए यह कहना कि हम आस्ट्रेलिया के सामने झुक गये हैं एक दम गलत है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिमी बंगाल प्रशासन से राजनीतिक तत्वों को हटाना

*1055. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासन से राजनीतिक तत्वों को निकालने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल पुलिस एसोसिएशन ने प्रकट रूप से राज्य के मार्क्सवादी तत्वों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल पुलिस एसोसिएशन को अवैध घोषित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) राज्य सरकार के अन्य प्रशासनिक विभागों से राजनीतिक तत्वों को अलग करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (घ). सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों के अधीन प्रतिबाधित किया गया है यदि कोई सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उपयुक्त कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

(ख) पश्चिम बंगाल पुलिस एसोसिएशन के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के उपाय

*1056. **श्रीहिम्मतसिंहका** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये अब तक किये गये सभी उपाय जिस में सतर्कता आयोग की स्थापना भी शामिल है अपने उद्देश्य में काफी हद तक असफल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई विशेष उपाय करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) फिर भी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को तेज करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों और मंत्रालयों में सतकर्ता संगठनों को सुदृढ़ किया गया है ।

सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी कार्य का एक वार्षिक कार्यक्रम भी तैयार किया जाता है तथा उसे क्रियान्वित किया जाता है । इसमें विलम्ब को दूर करने के लिए कुछेक महत्वपूर्ण विभागों में अकस्मात जांच करना तथा कड़ी कार्रवाई भी सम्मिलित है ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की हवाई पट्टियों को सुदृढ़ बनाना

*1057. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की हवाई पट्टियों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जम्बो जेट निर्माताओं ने कहा है कि 707 बोइंग विमान के लिए जो हवाई पट्टियां उपयुक्त हैं उनकी और सुदृढ बनाये बिना ही उनका उपयोग जम्बो जेट विमान उतारने के लिये किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इवाई पट्टियों को जिनका 707

ोइंग विमानों के लिए उपयोग पहले ही किया जा रहा है, सुदृढ़ बनाने पर सरकार द्वारा कई करोड़ रुपये व्यय किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विमानन प्रोद्योगिकी में द्रुतगति से हुई उन्नति तथा और तेज एवं बड़े विमानों के आगमन को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि अपने अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों का और अधिक सुधार तथा आधुनिकीकरण किया जाये। अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों पर धावन-पथों, टेक्सी-पथों, एवं एप्रनों के विकास (जिसमें इन्हें मजबूत करना भी शामिल है) के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 15.49 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है।

(ख) और (ग). यद्यपि निर्माताओं का ऐसा दावा है, परन्तु अपने विमान-क्षेत्रों के विकास के बारे में भविष्य में उत्पन्न होने वाले कौशल, अधिक बजनी व विशाल क्षमता तथा पराध्वानिक विमानों को भी ध्यान में रखना होगा।

कलकत्ते में लेनिन की मूर्ति का अनावरण

1058. **श्री रा० वी० अमीन :** **श्री प्र० के० देव :**
श्री कृ० मा० कौशिक : **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कलकत्ते में लेनिन की मूर्ति का अनावरण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशियों की मूर्तियों का अनावरण करना भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत आता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). ऐसी मूर्तियों की स्थापना पर नियंत्रण करने के लिए कोई नियम नहीं बनाये गये हैं किन्तु किसी एक देश की सरकार व जनता के लिए दूसरे देशों के महान पुरुषों का उनकी मूर्तियां लगा कर, सम्मान करना असाधारण बात नहीं है।

समुद्री जहाज से यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों को विदेशी मुद्रा की सुविधायें

*1059. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एयर इंडिया द्वारा विदेशों को जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधाएं देने का हाल में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत के नौवहन निगम के समुद्री जहाजों से विदेशों को जाने के इच्छुक बहुत से व्यक्तियों को उक्त सुविधायें न देकर उनके साथ भेदभाव किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सुविधायें उन व्यक्तियों को भी देने का है जो समुद्री जहाजों से यात्रा करना चाहते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह निर्णय किया गया है कि जो व्यक्ति पिछले तीन वर्षों से विदेश नहीं गये हैं, उन्हें 'पी' फार्म की औपचारिकताओं को पूरा किये बिना एक विदेश यात्रा की अनुमति दी जाये । इनमें से जो व्यक्ति एयर-इंडिया द्वारा यात्रा करना पसन्द करेंगे वे 100 डालर विदेशी मुद्रा की छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे क्योंकि उनके मामले में विमान किराये के रूप में विदेशी मुद्रा का व्यय विदेशी एयर लाइन द्वारा की गई यात्रा के मुकाबले काफी कम आयेगा ।

(ख) से (घ). इसी प्रकार की सुविधायें उन व्यक्तियों को भी दी जायेंगी जो तीन वर्ष में एक बार 'भारत के नौवहन निगम' अथवा 'मुगल लाइन्स' के जलयानों में यात्रा करेंगे ।

आन्ध्र तामिलनाडु सीमा विवाद

*1060. **श्री वी० नरसिम्हा राव :**
श्री उमानाथ :
श्री के० रमानी :
श्री प० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने होशुरतालुक क्षेत्र पर, जिसे आन्ध्र-तामिलनाडु सीमा विवाद के बारे में पाटस्कर पंचाट के अंतर्गत तामिलनाडु को दे दिया गया है, फिर से दावा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जुलाई, 1959 में आन्ध्र प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित संकल्प में इसी प्रकार का दावा किया गया था । मामले पर विचार किया गया और राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया कि भौगोलिक सामीप्य के अभाव में आन्ध्र प्रदेश को होसुर तालुक के किसी क्षेत्र का हस्तांतरण करना व्यावहार्य नहीं है । उन्हें यह भी बता दिया था कि यह विवाद श्री पटास्कर के निर्णय के आधार पर तय किया गया समझा जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नहीं है ।

बेरोजगार इंजीनियर

*1061. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था द्वारा तैयार किए

गये उस कार्यकारी पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 1973 तक देश में एक लाख इंजीनियरी बेरोजगार होंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और इस समस्या को हल करने के लिए पहले से ही क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इसे ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार कालेजों में सुरक्षित स्थानों की संख्या सीमित करने का है ताकि कम इंजीनियर तैयार हों अथवा उन्हें औद्योगिक फर्मों में स्थान उपलब्ध कराने के लिए कुछ उपाय करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां । संस्थान के प्राक्कलन कुछ धारणाओं पर आधारित हैं, किन्तु सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति तेज होने तथा बढ़ते हुए निवेश को देखते हुए, इंजीनियरों में बेरोजगारी कम होनी आवश्यम्भावी है ।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा दूसरी एजेन्सियों ने इंजीनियरों के लिए रोजगार की अधिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए विभिन्न उपाय पहले से ही अपनाए हुए हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार ये उपाय बेरोजगारी की समस्या पर धीरे-धीरे प्रभाव डाल रहे हैं ।

(ग) दाखिलों को चयनात्मक आधार पर लगभग 30 प्रतिशत कम कर दिया गया है तथा स्थिति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जा रहा है । तकनीकी शिक्षा के स्तर तथा कोटि में सुधार करने के लिए भी प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में छापामार युद्ध प्रशिक्षण शिविर

*1062. **श्री ओंकार सिंह :**
श्री सूरज भान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में कुछ नक्सलवादियों ने छापामार युद्ध प्रशिक्षण के कुछ शिविर स्थापित कर रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शिविरों की संख्या कितनी है और प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ग) वहां प्रशिक्षणार्थियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(घ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि नक्सलवादियों ने पश्चिम बंगाल में तथा अन्य स्थानों में बम तथा अन्य हथियार बनाने के लिए कुछ फैक्टरियां लगा रखी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनकी गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ङ) : केन्द्रीय सरकार को

जानकारी है कि छापामार युद्ध के रणकौशल में प्रशिक्षण देने, विस्फोटकों को चलाने तथा परम्परागत शस्त्रों का प्रयोग करने में छोटे-छोटे दलों को प्रशिक्षण देने के लिए अत्यन्त गुप्त रूप से पश्चिम बंगाल में उग्रवादियों ने कुछ प्रशिक्षण शिविर संगठित किये थे। वह भी ज्ञात है कि उग्रवादी विभिन्न केन्द्रों में समय-समय पर बम बना रहे हैं। किन्तु, बमों अथवा अन्य शस्त्रों को बनाने के लिए कोई नियमित फैक्टरी आरम्भ करने के बारे में कोई सूचना नहीं है। कानून के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही आरम्भ करने की दृष्टि से सतर्कता कड़ी कर दी गई है। अनधिकृत शस्त्रों, गोला-बारूद, बमों तथा अन्य विस्फोटकों को बरामद करने के लिए कई छापे मारे गये हैं। मार्च के उत्तरार्ध में अब तक की बरामदगी के बारे में सूचना लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1054 दिनांक 17 अप्रैल, 1970 के उत्तर में दे दी गई है।

Shifting of R.S.S. Building from Banaras Hindu University Campus

*1063. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that negotiations were going on between the officials of the Banaras Hindu University and the Rashtriya Swayamsevak Sangh representatives in connection with the shifting of the latter's building from the University campus ;

(b) if so, whether it is also a fact that an agreement has been reached in this connection ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) Government's reaction in regard thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Negotiations are still going on. So far no agreement has been reached.

(c) and (d). Do not arise.

संविधान की सातवीं अनुसूची से संवर्ती सूची के हटाये जाने के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का सुझाव

*1064. **श्री जयसिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु के मुख्य मन्त्री ने संविधान की सातवी अनुसूची से संवर्ती सूची को हटाने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य द्वारा भी ऐसा सुझाव दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). जी नहीं श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के वैज्ञानिकों के योगदान को मान्यता

***श्री फ० गो० सेन :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के वैज्ञानिकों की यह

शिकायत है कि कुछ उपकरणों में उनके योगदान को पर्याप्त मान्यता नहीं दी है और उन्हें गैर-सरकारी फर्मों के साथ व्यवहार में कुछ अनियमितताओं के लिये परेशान किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उनकी शिकायतों में कितनी सच्चाई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय वैज्ञानिक अपकरण संगठन के एक भूतपूर्व वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को लिखा था कि एक आदिरूप इलेक्ट्रोनिक शोला ज्योतिर्मापी (प्रोटोटाइप इलेक्ट्रोनिक फिलेम फोटोमीटर) के विकास से संबंधित तथ्यों में रद्दोबदल करके उसके व्यावसायिक अभिलेखा को मिटाया जा रहा है और उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की थी उनकी टीम के अन्य सदस्यों के साथ-साथ उनके नाम को भी स्रष्टा तथा रायल्टी देने के लिए बाकायदा मान्यता दी जाए।

वैज्ञानिक को सूचित कर दिया गया है कि अभी तक औद्योगिक स्तर के लिए इस उपकरण के उत्पादन को नहीं लिया गया है जिसके लिए कुछ संशोधन/प्रत्यावर्तन किये जा सकते हैं। इस उपकरण को अन्तिम स्तर तक विकसित करने के लिए जिम्मेदार टीम के अन्य सदस्यों के साथ-साथ, स्रष्टा तथा रायल्टी देने के लिये नाम को भी मान्यता दी जायेगी।

सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें

*1066. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को पुनरीक्षण करने के बारे में भी विचार कर रही है।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर गत वर्ष विचार किया गया था। चूंकि इसमें संविधानिक संशोधन सम्मिलित थे, अतः संसद में विपक्षी दलों के नेताओं से परामर्श किया गया। सेवानिवृत्ति की आयु को न बढ़ाने के लिए मतैक्य था।

तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्य उपायों पर विचार किया गया :

(1) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में 500 रु० की वृद्धि करना ; और

(2) बार से लिए गये न्यायाधीशों के लिये पारिवारिक पेंशन यथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की योजना का, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ग्राह्य है, विस्तार

करना। (भारतीय सिविल सेवा तथा न्यायिक सेवाओं से लिये गये न्यायाधीशों को उनकी अपनी सेवा के नियमों के अधीन यह लाभ पहले ही उपलब्ध है)

न्यायाधीशों के वेतन बढ़ाने के लिये भी संविधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, इन प्रस्तावों के बारे में संसद में विपक्षी दलों के नेताओं से हाल ही में परामर्श किया गया किन्तु बहुमत प्रस्तावित वेतन-वृद्धि के पक्ष में नहीं था। पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की योजना के लिए समर्थन था किन्तु आम भावना यह थी कि न्यायाधीशों के मामले में पारिवारिक पेंशन की मात्रा अधिक उदार होनी चाहिए। पारिवारिक पेंशन के प्रश्न पर और आगे विचार किया जा रहा है।

इस समय उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जब पूरे भत्तों पर छुट्टी लेता है तो वह ऐसी छुट्टी के पहले महीने के लिए पूरा वेतन प्राप्त कर सकता है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में है 45 दिन तक का पूरा वेतन पाने के लिये इस सीमा को बढ़ाने, तथा न्यायाधीश के पद पर सम्पूर्ण सेवाकाल में आधे भत्तों पर छुट्टी को तीन महीने तक की पूरे भत्तों पर छुट्टी में परिवर्तन करने का लाभ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Implementation of National Education Policy in Schools run by Inter-State Board of Anglo-Indian Education

*1067. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Narayan Swaroop Sharma :**

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 189 on the 6th March, 1970 regarding enforcement of National Education Policy in regard to schools run by the Inter-State Board of Anglo Indian Education and state :

(a) the places where the said 260 schools run by the Inter-State Board of Anglo-Indian Education are situated and whether Government would implement the National Education Policy in the schools which are situated in the Union Territories ; and

(b) how the expenses of the said schools are met and whether Government propose to enquire whether the said schools are not getting any aid from the British High Commissioner, PL-480 fund or the C.I A ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT—3022/70].

भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान

1068. **श्री मंगलथुमाडम :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं को मिलाने का और उन्हें सीधे शिक्षा मन्त्रालय के पर्यवेक्षणाधीन रखने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) कर्मचारियों के क्वाटरों के लिए प्रत्येक संस्थान में कितनी राशि खर्च की जा रही है ; और

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्नातकों को सरकारी उपक्रमों में नियुक्त करने में अन्य इंजीनियर स्नातकों की अपेक्षा तरजीह दी जाती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रत्येक भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान में कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए 31.3.1969 तक किया गया खर्च निम्नलिखित है :—

भा० टे० स० का नाम	31.3.1968 तक खर्च (लाख रुपयों में)
खड़गपुर	133.16
बम्बई	112.50
मद्रास	95.12
कानपुर	145.24
दिल्ली	139.10

(ग) भा० टे० स० के स्नातकों को उनके गुणों के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने किसी सार्वजनिक उद्यम को उनके स्नातकों को प्राथमिकता देने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है।

हाल के दंगों में हरियाणा को केन्द्रीय सरकार की ओर से सेना तथा पुलिस की सहायता

*1069. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हरियाणा में दंगों के दौरान हरियाणा सरकार ने सेना और पुलिस की सहायता मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सेना और कितनी पुलिस हरियाणा को भेजी गई थी ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). हरियाणा सरकार को उनके अनुरोध पर कानून और व्यवस्था के कार्यों के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल और सेना की कुछ टुकड़ियों की सेवायें उपलब्ध कराई गई थी।

गुजरात में भूकम्प

* 070. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 फरवरी, 1970 को गुजरात में भड़ौच में आये भूकम्प के अधिकेन्द्र तथा उसके आने के कारण की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा विस्तृत जांच अभी की जा रही है ।

दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों का बढ़ाया जाना

1071. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के अध्यापकों से उनके वेतनमान बढ़ाये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि हरियाणा और पंजाब के पड़ौसी राज्यों में अध्यापकों के वेतनमान दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों से अधिक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों को बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1967 में दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान संशोधित किये जाने के बाद, सरकार को समय समय पर अध्यापकों से और आगे वेतन मान बढ़ाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । नवीनतम अभ्यावेदन राष्ट्रीय शिक्षक परिषद् ने मुख्य कार्यकारी पार्षद्, दिल्ली को 7 मार्च, 1970 को पेश किया था । उस अभ्यावेदन में, वेतन मानों का बढ़ाने के बारे में, अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित तीन मांगें की गई हैं :—

(1) प्राथमिक स्कूलों के ऐसे सभी अध्यापकों को, जिनका वेतन-मान 118 रुपये से शुरू होता है, 126 रुपये से शुरू होने वाला वेतन मान दिया जाना चाहिये और अधिकतम 16 वर्षों में पूरा हो जाना चाहिए ।

(2) कक्षा VI से XI तक को पढ़ाने वाले ड्राइंग, संगीत कलाओं, शिल्प कलाओं, गृह-विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण आदि के अध्यापकों को उत्तर-स्नातक अध्यापक वेतन-मान किये जाने चाहिए ।

(3) 1-4-1950 के बाद नियुक्त वरिष्ठ देशी भाषा (वर्नाक्यूलर) अध्यापकों को भी 1-4-1950 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों की भांति 140-330 रुपये का वेतन मान दिया जाना चाहिये ।

सभी तथ्यों तथा विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों की सभी श्रेणियों के वेतन-मान 1-12-67 से संशोधित कर दिये गये हैं । इस स्तर पर, और आगे संशोधन अपेक्षित नहीं है । भारत सरकार ने शीघ्र ही तीसरे वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी है, जो संघीय क्षेत्रों सहित, केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के

तन ढ़ाचों और शर्तों की जांच पड़ताल करेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए, वेतन-मानों में ोड़ा थोड़ा करके संशोधन करना उपयुक्त नहीं समझा गया है ।

(ग) वेतनमानों का तुलनात्मक विवरण संलग्न है ।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

1. अध्यापकों की श्रेणी	दिल्ली	पंजाब	हरियाणा
	रु०	रु०	रु०
1. प्राथमिक अध्यापक (मैट्रिकुलेटों के लिये)	118-270	125-300	125-250
	126-270 (हायर सेकेण्डरी पास के लिए)		
2. प्रशिक्षित स्नातक (मिडिल स्कूलों के लिए)	175-350	220-500	220-400
अध्यापक	190-425 (उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए)		
3. उत्तर स्नातक अध्यापक	275-550	250-550 (एम०ए० तृतीय श्रेणी के लिये)	250-550 (एम०ए० तृतीय श्रेणी के लिए)
		300-600 (एम०ए० प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिये)	300-600 (एम०ए० प्रथम और और द्वितीय श्रेणी के लिये)

India's Position in Ship-Building Industry

***1072. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that Japan leads the world today in the Ship-building industry, especially for the export purposes ;

(b) if so, the place of India in this regard ;

(c) the place of India in respect of the said industry *vis-a-vis* Japan five years ago and her place today ;

(d) whether it is a fact that India is making very slow progress in this respect ; nda

(e) if not, the percentage of progress being made by India in this respect ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) India stands 22nd in terms of tonnage launched as in 1969, among the ship-building nations and she builds mainly for her own requirements, and not for export.

(c) The place of India in 1965 was about the 20th among the ship-building nations, as agains Japan which was first, but their respective positions are not comparable, as India's ship-building is only in infant stages of development.

(d) and (e). India is making planned progress in ship-building as can be seen from the following :

There is only one major shipyard in India - Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam—and its rated capacity based on the present facilities available is, on an average, 2/3 ships of 12,500 DWT per annum. The Shipyard has undertaken an integrated development programme at an estimated cost of Rs. 7.66 crores with a view to increasing its output to 6 ships per annum. The Mazagon Dock Limited at Bombay has also a construction berth available for building Ocean going ships. The Garden Reach Workshop at Calcutta is planning to develop facilities for building ocean going ships. For building bulk carriers, the Government have approved the Cochin Shipyard Project at an estimated cost of Rs. 45.42 crores. This Shipyard when completed is expected to build 2 ships annually of 66,000 DWT each.

कूच-बिहार हवाई अड्डे का विकास

*1073. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय कूच-बिहार हवाई अड्डे के विकास के लिए एक योजना बनायेगा तथा उसके लिए उपयुक्त धन राशि मन्जूर करेगा ताकि उस हवाई अड्डे में बड़े तथा बढ़िया किस्म के विमानों के ठहरने और उतरने की व्यवस्था की जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग). साधनों की कमी के कारण कूच-बिहार के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

कलकत्ता-सिलचर मार्ग में विमान दुर्घटना की जांच

*1074. **श्री बेदब्रत बरुआ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस विमान दुर्घटना के कारणों का इस बीच पता लगा लिया गया है, जो वर्ष 1969 के मध्य में उसके सिल्वर से कलकत्ता जाते समय हुई थी ;

(ख) क्या राडार आदि जैसे समुचित उपकरणों का अभाव इसका एक कारण था ; और

(ग) यदि हां, तो बहुधा आंधी-तूफान वाले इस क्षेत्र में सुरक्षित विमान यात्रा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह सूचना अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य क्रिया विधि के अनुसार पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा करवाई जा रही जांच की रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर ही उपलब्ध होगी।

(ख) और (ग). फिलहाल प्रश्न नहीं उठते।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सम्बंध में सरकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब

श्री बाबू राव पटेल : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 32 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की कार्य-प्रणाली के सम्बंध में मई, 1968 में गठित की गई ए० के० सरकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार समिति का प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस विलम्ब के कारण वैज्ञानिक दो गुटों में बंट गये हैं—एक गुट की निष्ठा वर्तमान महानिदेशक में है तथा दूसरे की उसके पूर्वाधिकारी में, जिससे अनुसंधान की प्रगति पर बहुत कुप्रभाव पड़ा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग एक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष को 27 फरवरी, 1970 को पेश कर दिया था। रिपोर्ट निम्नलिखित कारणों से इससे पहले पेश नहीं की जा सकी :—

(1) समिति के कार्यालय के लिये स्थान केवल 2-9-1968 को प्राप्त किया जा सका।

(2) 1968 में डाक हड़ताल के कारण, अध्ययन के लिये सामग्री भेजने और प्राप्त करने में कुछ देरी हुई थी।

(3) समाचार पत्रों की हड़ताल के कारण, सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन में देरी हुई।

(4) कुछ क्रिया विधिक पाबन्दियों के कारण, समिति के लिये सक्षम कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करने में कुछ कठिनाई थी।

(5) कार्य जटिल और भारी भरकम था। समिति को कार्मिक नीतियों से सम्बंधित सैकड़ों मामलों का अध्ययन विस्तारपूर्वक करना था, और इसके लिये अनेक दस्तावेजों को एकत्रित तथा उसकी जांच करना था। रिपोर्ट के भाग को अंतिम रूप देने से पहले, समिति द्वारा अनेक गवाहों के बयान लिये गये।

(ख) समिति की रिपोर्ट का भाग एक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष को 27 फरवरी, 1970 को पेश कर दिया गया है। इस समय, समिति रिपोर्ट के दूसरे और अंतिम भाग के सम्बंध में कार्य कर रही है। अंतिम रिपोर्ट किस तारीख तक तैयार हो जायेगी, यह बताना कठिन है।

(ग) जी नहीं।

भारत के होटल तथा रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन के फैडरेशन द्वारा स्टार होटलों के वर्गीकरण के लिये नई पुनरीक्षण समिति का सुझाव

*1076 **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल तथा रेस्टोरेन्ट एसोसियेशन फैडरेशन आफ इंडिया ने उनके मंत्रालय को देश में 'स्टार' होटलों के हाल के वर्गीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और अनुरोध किया है कि नई पुनरीक्षण समिति बनाई जाये जो होटलों का मूल्यांकन नई कसौटी के आधार पर करे ;

(ख) यदि हां, तो 'स्टार' निर्धारित करने के बारे में किन पहलुओं पर विचार किया गया था ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). होटल पुनरीक्षण तथा सर्वेक्षण समिति 1962, ने होटल वर्गीकरण समिति 1963 द्वारा इस उद्देश्य के लिये निर्धारित कसौटियों के आधार पर होटलों के उन्हें विभिन्न स्टार वर्गों में रखने के लिये निरीक्षण तथा सिफारिश कीं। यद्यपि सरकार ने 1,2 और 3 स्टार वर्गों के लिये अनुमोदित होटलों के बारे में होटल पुनरीक्षण तथा सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, 4 व 5 स्टार वर्गों के लिये सिफारिश किये गये होटलों का अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक अधिक कड़ी कसौटी से मूल्यांकन किया गया जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कुछेक का निम्नतर श्रेणी में वर्गीकरण करना पड़ा। भारत के होटल तथा रेस्टोरेंट एसोसिएशन (एफ० एच० आर० ए० आई०) ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन किया और परस्पर सहमति से यह निर्णय किया गया कि 4 और 5 स्टार के अन्तर्गत आने वाले सब होटलों का नवीन एवं अधिक कठोर कसौटियों के आधार पर पुनर्वर्गीकरण किया जाये। इस प्रयोजन के लिए एक पुनरीक्षण समिति की पहले ही स्थापना की जा चुकी है और इसके 31 मई, 1970 तक अपना काम पूरा कर लेने की आशा है।

सान्ता क्रुज हवाई अड्डे बम्बई को नया रूप देना

*1077. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति की सिफारिशों के अनुसार बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सान्ता क्रुज, को नया रूप देने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये 45 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इससे सेवा-कुशलना में कितनी सहायता मिलेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी हां ।

(ख) से (घ). अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र समिति की सिफारिशों के आधार पर, नागर विमानन विभाग की चौथी योजना में चार अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों के विकास के लिये कुल 40.45 करोड रुपये की व्यवस्था की गयी है । इस में से, 10 करोड़ रुपये की राशि बम्बई विमानक्षेत्र के लिए निर्धारित की गयी है । वर्तमान टर्मिनल भवन के अंतरिम सुधारों के लिए 111 लाख रुपये तथा मुख्य धावन-पथ, टैक्सी-पथों तथा एप्रनों के सुधार के लिये 278 लाख रुपये के लागत के कार्यों के लिये पहले से ही मंजूरी दी जा चुकी है । इन सुधारों के बाद वर्तमान टर्मिनल भवन चालू योजना के दौरान एक नये अन्तर्राष्ट्रीय काम्प्लेक्स के निर्माण होने तक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा । धावन-पथों आदि में सुधार इस आशय को दृष्टि में रख कर किये जा रहे हैं कि बोइंग 747 तथा अन्य अधिक क्षमता वाले विमानों की आवश्यकताओं को अधिक अच्छी तरह से पूरा कर सके ।

दिल्ली के निलम्बित पुलिस कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण

*1078 **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 मार्च, 1970 को वर्ष 1969-70 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर लोक सभा में चर्चा के समय उन्होंने जो आश्वासन दिया था, उनके अनुसार उन्होंने दिल्ली के निलम्बित पुलिस कर्मचारियों के मामलों का इस बीच पुनरीक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक तटीय नौवहन सेवा

1079. **श्री स० कुण्डू** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक तटीय नौवहन सेवा चालू करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नौवहन लाइनें किन पत्तनों से गुजरेंगी तथा इसको कब चालू कर दिया जायेगा ; और

(ग) यदि सरकार ने ऐसी सेवा को चालू करने के बारे में निर्णय नहीं किया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध माल के बारे में, नियमित सेवा के लिये कोई आर्थिक औचित्य नहीं है परन्तु माल उपलब्धता पर निर्भर करते हुए माल जहाज पूर्वी और पश्चिमी तट के घाटों पर रखे जाते हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के विमानों का देर से चलना

1080. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि मार्च, 1970 में कुछ समय तक इंडियन एयर लाइन्स के विमान देर से चलते रहे थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यात्रियों को विमानों के देर से चलने की सूचना समय पर नहीं दी जाती जिससे उनको बड़ी असुविधा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो विमानों के देर से चलने की घटनाओं को रोकने तथा जब इनका देर से चलना जरूरी हो, तो यात्रियों को इसकी पूर्व सूचना देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मार्च, 1970 के दौरान की गई 8181 उड़ानों में से, 30 मिनट से अधिक की देरी से होने वाली उड़ानों (जिनमें रद्द की गई उड़ानें भी सम्मिलित हैं) की संख्या 1492 थी।

(ख) और (ग). जिन यात्रियों के टेलीफोन नम्बर इंडियन एयरलाइंस के बुकिंग कार्यालय में उपलब्ध होते हैं उन्हें ऐसी उड़ानों की, जिनमें काफी विलंब होने की संभावना होती है तथा जिनका यात्री के हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले पता लग जाता है, तो यथोचित सूचना दे दी जाती है। देरियों को रोकने के लिए बहुत सावधानी बरती जाती है। परन्तु, कभी-कभी ऐसे अप्रत्याशित कारण हो जाते हैं जिन पर इंडियन एयर लाइन्स का सीधा नियंत्रण नहीं होता।

चंडीगढ़ में मार्क्सवादियों को प्रशिक्षण

6493. **श्री बाबूराव पटेल** :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने 23 जनवरी, 1970 को विधान सभा में बताया था कि तमिलनाडु के सैकड़ों मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ और उसके निकट छापामार युद्ध प्रणाली और शस्त्रों, बमों और विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा था ;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री गुरनाम सिंह को इस बात की

जानकारी थी कि तमिलनाडु के मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्त सिख सैनिक अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो मार्क्सवादियों की उक्त राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 23 जनवरी, 1970 को मुख्य मंत्री ने राज्य विधान सभा में कहा था कि देश के विभिन्न भागों से भारतीय साम्यवादी दल के कुछ स्वयं सेवकों ने चंडीगढ़ में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था, जहां उन्हें सैनिक ढंग का प्रशिक्षण दिया गया था ।

(ख) तथा (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

जम्मू और काश्मीर में जंगलों में आग

6494. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में काश्मीर घाटी और जम्मू के डोडा किलिस्टवर और भादरवा क्षेत्रों मे जंगलों में कितनी बार आग लगी और इसके परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि ये आग तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानी व्यक्तियों ने लगाई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसका पता लगाने, अपराधियों को दण्ड देने और भविष्य में आग की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जम्मू व कश्मीर, सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1969-70 में कश्मीर घाटी में जंगलों में 141 आगें तथा डोडा किलिस्टवर और भादरवा में 238 आगें लगी थी । जान की कोई हानि नहीं हुई तथा माल की हानि लगभग 1.45 लाख रुपये के मूल्य की थी ।

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । ये आग अधिकतर असाधारण शुष्क मौसम के फलस्वरूप घटनावश थीं ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षायें

6495. **श्री एम० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह-कार्य मंत्री संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जीनियरों की भर्ती के बारे में 13 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2806 के उत्तर के बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रिक्त स्थान अधिक होने पर उसका स्तर गिर जाता है और रिक्त स्थान कम होने पर उसका स्तर बढ़ जाता है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी परीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है ; और

(घ) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के लिये न्यूनतम अंक निर्धारित कर विभाग से प्रतिभाशाली विभागीय अधिकारियों को रिक्त पदों पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। यह सब नहीं है।

(ख) संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा तथा इंजीनियरी सेवा (इलैक्ट्रोनिक्स) परीक्षा के नाम से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इंजीनियरों की भर्ती के लिए ली जाने वाली दो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए नियमों में व्यवस्था है कि सम्बन्धित परीक्षा में बैठने वाले वे उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार यथा नियत न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार हेतु उनके द्वारा बुलाये जायेंगे। विभिन्न प्रयोजनों के लिये ली गई विभिन्न परीक्षाओं के मामले में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु बुलाये जाने के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले न्यूनतम अंक एक ही होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति के लिए सिफारिश किये जाने हेतु उम्मीदवारों की उपयुक्तता लिखित परीक्षा में उनके निष्पादन की सम्पूर्णता तथा व्यक्तित्व परीक्षण के लिये साक्षात्कार के आधार पर निर्धारित की जाती है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में जोड़े जाते हैं। तब उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों द्वारा प्रकट योग्यता के क्रम में रखा जाता है और उस क्रम में उतने उम्मीदवारों की, जितने आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार परीक्षा द्वारा अर्ह पाये जाते हैं उस परीक्षा के परिणामों के आधार पर जितनी अनारक्षित रिक्तियाँ भरने का निश्चय किया हो उतनी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के वे उम्मीदवार जो यद्यपि किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित स्तर द्वारा अर्ह न हों, तो भी प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने पर यथोचित ध्यान देते हुए उन नियुक्तियों पर नियुक्ति के लिए उनके द्वारा उपयुक्त घोषित किये जाते हैं और सम्बन्धित सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की जाती है।

इस प्रकार, श्रेणी-I तथा श्रेणी-II सेवाओं के लिये किसी विशेष संयुक्त परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिये सिफारिश किये जाने के लिए सामान्य उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों पर विचार करते समय आयोग अपने विवेकानुसार पूर्वोक्त विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में सम्बन्धित सेवाओं/सेवाओं के समूहों के लिए न्यूनतम उपयुक्तता का स्तर निर्धारित करता है ; और आयोग द्वारा इस प्रकार नियत न्यूनतम उपयुक्तता के स्तर उनके द्वारा कम नहीं किये जाते हैं चाहे आयोग को सूचित

भी रिक्तियों को भरने के लिए उक्त उपयुक्तता स्तरों पर अपेक्षित संख्या में सम्बन्धित श्रेणियों उम्मीदवार उपलब्ध न हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा तथा इंजीनियरी सेवा (इलेक्ट्रोनिक्स) परीक्षा के लिये नियम, जो भारत के राजपत्र में क्रमशः रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) तथा संचार विभाग, द्वारा सम्बन्धित सेवाओं/पदों पर सीधी भर्ती के लिये समय-समय पर अधिसूचित किये गये हैं अन्य बातों के साथ-साथ सम्बन्धित परीक्षा में प्रवेश के लिये निर्धारित पात्रता की शर्तें अर्थात् आयु-सीमाएं, शैक्षिक अर्हताएं, इत्यादि निर्धारित करते हैं। भाग लेने वाले विभागों में काम करने वाले कतिपय श्रेणियों के उम्मीदवारों को, जो सामान्य आयु सीमाओं द्वारा अधिक-वय होते हैं, अपने सम्बन्धित विभागों की सेवाओं/पदों में रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता करने के लिए आयु की रियायत दी जाती है। परीक्षा के लिये दाखिल ऐसे विभागीय उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों के साथ उपरोक्त भाग (ख) में बताई गई रीति से योग्यता के क्रम में रखे जाते हैं। इस प्रकार, उनको अपनी बारी खुले बाजार के उम्मीदवारों के साथ लेनी पड़ती है तथा सेवाओं के लिए नामांकन/नियतन के मामले में, जो पूर्णतया उम्मीदवारों के स्थानों/अभियानों के आधार पर किये जाते हैं, विभागीय उम्मीदवारों के साथ केवल इस कारण से कोई अधिक अधिमान्य व्यवहार नहीं किया जा सकता कि वे किसी विभाग विशेष में पहले से ही काम कर रहे हैं। तथापि, विभागीय अधिकारियों के लिये सम्बन्धित विभागों की सेवाओं में सेवाओं/श्रेणियों में भर्ती को नियंत्रित करने वाले सम्बन्धित भर्ती नियमों में निहित उपबन्धों के अनुसार अपने-अपने विभागों में उच्चतर श्रेणियों में पदोन्नति के अवसर हैं।

भारत-रूस विमान सेवा करार

6496. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1970 में विमान सेवा के सम्बन्ध में एक भारत-रूस विमान सेवा करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। भारत सरकार तथा सोवियत संघ की सरकार के प्रतिनिधिमंडलों के बीच नई दिल्ली में हवाई सेवा सम्बन्धी बातचीत हुई थीं जिसके अन्त में 2 अप्रैल 1970 को दोनों प्रतिनिधिमंडलों के अध्यक्षों द्वारा एक सधि पत्र के प्रारूप (प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर किये गये।

(ख) एयर इंडिया तथा उयरोफ्लोट द्वारा एक दूसरे के भू-भाग के लिए/में से होकर परिचालित की जाने वाली विमान सेवाओं की आवृति के अधिकार में वृद्धि करने तथा उनके द्वारा अपनी सेवाओं को बढ़ा कर कुछ नये राष्ट्रों, तक ले जाने के लिये, जिनके लिए कि वे इस समय सेवायें परिचालित नहीं करते, सहमति हुई। यह भी सहमति हुई कि भारत तथा सोवियत संघ के

बीच किये जाने वाले परिचालन यातायात तथा राजस्व के समान वितरण के सिद्धान्त पर आधारित होंगे ।

स्थायी कर्मचारियों को ऊंचे पदों के लिए रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने की अनुमति देना

6497. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह-कार्य मंत्री सरकारी कर्मचारियों को अनापत्ति-पत्र जारी करने के बारे में 13 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2802 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भिन्न-भिन्न विभागों में भर्ती और पदोन्नति के भिन्न-भिन्न नियम हैं स्थायी और स्थायित्व प्रतिभाशाली युवक कर्मचारियों को ऊंचे पदों के लिए अन्य सरकारी विभागों में, जहां उनकी सेवाओं को महत्वपूर्ण समझा जायेगा, रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : स्थायी तथा अर्ध-स्थायी कर्मचारियों को रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि वे अपने नियोजकों से प्राप्त 'अनापत्ति-पत्र' प्रस्तुत नहीं करते तथा जब तक कि वे 13-3-1970 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2802 के दिये गये उत्तर में उल्लिखित तीन श्रेणियों में से किसी श्रेणी से न हों । इसका कारण यह है कि कोई भी कर्मचारी जिसे केन्द्रीय सरकार में स्थायी अथवा अर्ध-स्थायी घोषित किया गया है उसका यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वह अपनी शक्ति पूर्णतया अपने पद के कार्यों के निष्पादन में लगाये तथा उसे अपना ध्यान तथा प्रयत्न अन्यत्र नौकरी ढूंढ़ने में नहीं लगाने चाहिए । तथापि स्थायी तथा अर्ध-स्थायी समेत सेवारत कर्मचारियों के आवेदन अन्य विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्वायत्त संगठनों में विद्यमान पदों के लिये भेजने के सम्बन्ध कुछेक सुविधायें पहले ही प्रदान की गई है ।

नई दिल्ली में अपंजीकृत गैर-सरकारी शिक्षा-संस्थाएं

6498. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के लाजपतनगर, डिफेंस कालोनी और जंगपुरा क्षेत्रों में अनेक अपंजीकृत गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएं कार्य कर रही हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त संस्थाओं के कार्य पर कभी रोक लगाई गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). सम्बन्धित प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

होटल पुनरीक्षण और सर्वेक्षण समिति की सिफारिशें

6499. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने होटल पुनरीक्षण और सर्वेक्षण समिति की कौन-कौन सी सिफारिशों को स्वीकार किया है ; और

(ख) उनको कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). होटल पुनरीक्षण तथा सर्वेक्षण समिति की मुख्य सिफारिशें 66 होटलों को 5 स्टार से लेकर 1 स्टार तक के वर्गों में रखने तथा 59 रेस्टोरेन्टों के अनुमोदन से सम्बन्धित हैं। रेस्टोरेन्टों तथा 1, 2 व 3 स्टार वर्गों के होटलों से सम्बन्धित सिफारिशें स्वीकार एवं क्रियान्वित की जा चुकी हैं। परन्तु, 4 व 5 स्टार वर्गों में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश किये गये होटलों के बारे में यह महसूस किया गया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप बनाने की दृष्टि से एक अधिक कड़ी मूल्यांकन कसौटी अपनाने की आवश्यकता है। अतः ऐसे होटलों का होटल पुनरीक्षण समिति द्वारा पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, तथा इस समिति के अपना काम 31 मई, 1970 तक पूरा कर लेने की आशा है।

होटल पुनरीक्षण तथा सर्वेक्षण समिति की अन्य मुख्य सिफारिशें एक स्थायी निरीक्षण संगठन तथा होटलों की योजना एवं परिचालन के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए एक परामर्शदात्री सेवा स्थापित करने और होटल विकास योजना के अधीन उपलब्ध निधि को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के लिये है। इन सिफारिशों के क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

ताज क्षेत्र को खुबसूरत बनाने की योजना

6500. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताज-क्षेत्र को खूबसूरत बनाने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी धन राशि नियत की गई है और कितनी अवधि के लिए ; और

(घ) यह कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित स्कीमें निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(i) ताज के लिये पहुँच मार्ग का चौड़ा किया जाना एवं मरम्मत कार्य ;

(ii) ट्रैफिक आईलैंडों की शोभावृद्धि तथा ताज के लिये एक नये प्रवेश-द्वारा का निर्माण ;

(iii) स्नान-शौचादि (टायलेट) सुविधाओं की व्यवस्था ।

(ग) आगरा में चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन सुविधाओं की तुरन्त व्यवस्था के लिये 20 लाख रुपये की व्यवस्था की जा चुकी है ।

(घ) निर्माण कार्यों में से कुछ पहले ही प्रारम्भ किये जा चुके हैं तथा शेष शीघ्र ही शुरू कर दिये जायेंगे ।

महरौली-कानपुर रोड दिल्ली पर ट्रक दुर्घटना

6501. **श्री ना० रा० देवघरे** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महरौली-कानपुर रोड, दिल्ली पर 20 मार्च, 1970 को एक ट्रक के तेज गति से आते समय बैलगाड़ी में घुस जाने के परिणामस्वरूप 5 व्यक्तियों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में अन्धाधुन्ध गाड़ी चलाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) सरकार का दिल्ली की जनता को ट्रकों और दिल्ली परिवहन की अन्धाधुन्ध चलने वाली बसों से कुचलने से बचाने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने नगर के अन्तर्गत और राज-मार्गों पर गति-सीमा पर प्रतिबन्ध लगा रखे हैं । दिल्ली प्रशासन गति की जांच अकसर दिन के समय किया करती है । प्रसंगाधीन दुर्घटना प्रातःकाल हुई । दिल्ली प्रशासन से कुछ मुख्य सड़कों पर जहां भारी गाड़ियां चलती हैं रात को ट्रक चालकों के विचार सहित चालन को रोकने के लिये जल्दी से उपायों पर विचार करने को कहा जायेगा ।

(ग) सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा उठाये गये मुख्य कदम नीचे दिखाये गये हैं :

(1) पैदल पार-पथ चिन्हित कर दिये गये हैं और सभी मुख्य सड़कों पर रफतार की जांच दिन में की जाती है और जो बैंध सीमा को पार करते हुये पाये जाते हैं उनका चालान किया जाता है ।

(2) सड़क पर पड़ने वाले प्रायः सभी स्कूलों के निकट चेतावनी पटल लगा दिये गये हैं ।

(3) समय में प्रतिदिन 6 घण्टे के लिये एक चलती-फिरती यातायात शिक्षा गाड़ी

कार्य करती है जो सड़क प्रयोक्ताओं को स्थान पर ही उनकी त्रुटियों को बताती है ।

(3) यातायात पुलिस की सलाह पर, सड़क पर के चक्कर हटाये जा रहे हैं, सड़क के चौराहे चौड़े किये जा रहे हैं । विभाजक, पैदल-पथ और साइकिल-पथों की व्यवस्था की जा रही है । सड़कों पर चिन्ह लगाये जा रहे हैं। बस-अड्डों, मंडपों, खांमचे वालों, टैक्सी अड्डों इत्यादि को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से यथा संभव हटाये जा रहे हैं । दिल्ली परिवहन उप-क्रम के बहुत से बस के अड्डों को नई जगह पर ले जाया जा रहा है ।

(5) व्यस्त और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी परिवहन-गाड़ियों का परिचालन बिल्कुल बन्द कर दिया गया है जबकि कुछ दूसरी सड़कों पर यातायात के अवरोध को हटाने के लिये उनका आवागमन व्यस्ततम समय में निलम्बित कर दिया गया है ताकि भीड़-भाड़ न हो ।

(6) संकुचित सड़कों को बनने के तौर पर और भीड़-भाड़ वाली सड़कों को 'नो पार्किंग जोन' के तौर पर घोषित किया गया है ।

दिल्ली परिवहन उप-क्रम सुरक्षित चालन सुनिश्चित करने दुर्घटनाओं के निवारण करने के लिये निम्नलिखित कार्यों को कर रही है :

(1) उप-क्रम एक यातायात प्रशिक्षण स्कूल चलाता है जहां रोजगार पूर्व शर्त के तौर पर सभी उम्मीदवारों को आठ हफ्ते के लिये चालन में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(2) चालक के पद के लिये उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाती है । परीक्षा में डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र में चक्षु विशेषज्ञ द्वारा दृष्टि जांच शामिल है ।

(3) सभी चालकों को समय-समय पर पुनर्चर्या प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम दिया जाता है ।

(4) जिस चालक का रिकार्ड दुर्घटनाओं से मुक्त होता है उसे त्रैमासिक पुरस्कार दिया जाता है ।

Forest Official of Jammu and Kashmir Government Working as a Pakistani Spy

6502. Shri Yashwant Singh Kushwah: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Forest official of the Government of Jammu and Kashmir was a Pakistani spy and has since run away to Pakistan ; and

(b) if so, the details thereof and the steps taken by the Central Government and the State Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Government of Jammu and Kashmir have intimated that it came to their notice that one Abdul Rashid, a forester in the Forest Department of Jammu

and Kashmir Government, was connected with some anti-national activity, and that he disappeared suddenly and was absconding since 11th May 1967. Vigorous efforts were being made to apprehend him but it is considered possible that he may have gone over either to Pakistan or Pakistan-occupied Kashmir.

Electric Lights on Ring Road, New Delhi

6503. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state:

(a) whether it is a fact that electric lights have not so far been provided at many places on the Ring Road in New Delhi ;

(b) the number of accidents that take place in a year on this road where is no lighting arrangement ;

(c) the time by which electricity would be provided there ; and

(d) the names of other roads and places in New Delhi where electric lights do not exist and the mileage of those roads and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) 16 accidents took place during night in 1969 on those stretches of the Ring Road where there is no lighting arrangement as yet.

(c) As provision of electrification depends upon adequate justification and availability of funds, it is not possible to specify the time which electricity will be provided.

(d) A statement giving the names of the roads etc. in New Delhi, where electric lights have not been provided so far, and their mileage is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—3223/70]. Steps will be taken to provide lights on these roads, etc., as and when the funds required for the purpose are available and justification for the work is established.

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग, सोलन की जीपों की दुर्घटनाओं के बारे में जांच

6504. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 के बाद भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग की ऊंचाई पर स्थित प्राणी शास्त्र केन्द्र के सोलन स्टेशन की नई जीप की दो बार दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं ;

(ख) क्या दुर्घटनाओं के कारणों की जाँच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) जीप की मुरम्मत पर अब तक कितना खर्च हुआ ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). विभागीय जांचों के अनुसार, पहली दुर्घटना चालक की लापरवाही

के कारण हुई थी। मुरम्मत सम्बन्धी खर्चा चालक ने वहन किया था और उसकी सेवाएं भी खत्म कर दी गई थीं।

दूसरी दुर्घटना उस समय हुई थी, जब जीप के दो टायरों में से एक में छेद हो गया था और वाहन फिसल कर एक गड्ढे में गिर गया था। कम्पनी द्वारा तैयार किया गया मरम्मत का प्रारम्भिक प्राक्कलन 5,600 रुपये है।

तमिलनाडु राज्य के मुख्य मन्त्री की राज्य को अधिक स्वायत्तता देने की मांग

6505. **श्री सामिनाथन :** **श्री दण्डपाणि :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने राज्य को अधिक स्वायत्तता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल के सदस्यों द्वारा वैज्ञानिक विभागों के बारे में दिये गये अपने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करना

6506. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "**हिन्दुस्तान टाइम्स**" में 17 जनवरी, 1970 को "क्यूरियस डाक्यूमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रशाशित एक सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल द्वारा वैज्ञानिक विभागों के बारे में दी गई रिपोर्ट पर केवल अध्ययन दल के अध्यक्ष, श्री डी० के० कुन्ते के ही हस्ताक्षर हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अध्ययन दल के अन्य सदस्यों में इस रिपोर्ट पर इस आधार पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है कि अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत मूल रिपोर्ट को ही उनकी रिपोर्ट समझा जाना चाहिये ; और

(घ) क्या इस प्रकार के उदाहरणों से प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रतिष्ठा को धक्का नहीं पहुँचता और क्या इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये प्रभावकारी कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) वैज्ञानिक विभागों के सम्बन्ध में जनवरी, 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग की दी गई अध्ययन दल की रिपोर्ट पर केवल उसके अध्यक्ष श्री डी० के० कुन्ते संसद् सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। किन्तु प्रेषण-पत्र से पता लगता है कि दूसरे सदस्य श्री के० पी० मथरानी रिपोर्ट से सहमत थे।

(ग) अध्ययन दल के आठ सदस्यों ने जनवरी, 1970 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से स्वयं को अलग रखा और सुझाव दिया कि प्रोफेसर एम० एस० थैंकर की अध्यक्षता में मार्च, 1968 में दी गई रिपोर्ट उनके विचारों की अभिव्यक्ति समझी जाये।

(घ) अध्ययन दलों, इत्यादि की रिपोर्टों का उद्देश्य आयोग को अपने निष्कर्षों पर पहुंचने में केवल सहायता देना है। आयोग ने कहा है कि, अधिकांश मामलों में यह अपने विचारों की अन्तिम रूप देने से पहले अपनी ही ओर से और अध्ययनों तथा जांच द्वारा ऐसी रिपोर्ट को पूरा करता है। इस प्रकार प्रक्रिया अपेक्षाओं के बारे में कोई कमी अधिक प्रभावी नहीं है।

Complaints Against Director, Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Delhi

6507. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some complaints have been received against the Director of the Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth Delhi and some of his colleagues against the co-education system in this Vidyapeeth ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether any enquiry has been conducted into this matter and, if so, the outcome thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). The Ministry has received no complaints against the co-education system in Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Delhi. Some other allegations against the Director of the Vidyapeeth and others have however been received, which are being looked into.

राष्ट्रीय राज-पथों पर निर्माण कार्य

6508. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राज-पथों सम्बन्धी निर्माण कार्यों में, जिन पर 5 लाख और इससे अधिक व्यय होगा, कितनी प्रगति हुई है, और यह निर्माण कार्य राज्यवार किन-किन स्थानों पर चल रहे हैं ;

(ख) उक्त निर्माण कार्यों के लिये केन्द्र द्वारा दी गई मंजूरी का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1969-70 के अन्त में कितने निर्माण कार्यों के बारे में मंजूरी लेना बाकी होगा ; और

(घ) उन्हें राज्यवार मंजूरी कब तक प्रदान की जायेगी ?

संसदकार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) और (ख). यह जानकारी पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय की अनुदान की मांगों में उपलब्ध है ।

(ग) वर्ष 1969-70 के अन्त में 145 निर्माण कार्यों के अनुमान मंजूरी के लिए निलंबित पड़े थे ।

(घ) राज्यवार योजनाओं को मंजूर करने के लिये अपेक्षित अवधि का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

'दल बदलू' शब्द की परिभाषा

6509. **श्री काशीनाथ पांडेय** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'दल-बदलू' शब्द को ऐसी परिभाषा तैयार की है जो भारत के सब राजनीतिक दलों को स्वीकार हो ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी क्या परिभाषा बनाई गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 8 दिसम्बर, 1967 को लोक-सभा द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में नियुक्त दल-बदल विषयक समिति ने एक दल-बदलू की निम्नलिखित परिभाषा स्वीकार की है :

> "विधान-मण्डल के ऐसे किसी सदस्य को जिसे किसी राजनैतिक दल का आरक्षित चिन्ह नियत किया गया हो यदि वह, संसद के किसी सदन का या राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान परिषद अथवा विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के बाद, उस दल से स्वेच्छानुसार अपनी निष्ठा का परित्याग करता है अथवा सम्बन्ध विच्छेद करता है, तो उसे दल-बदलू कहा जा सकता है बशर्ते कि उसकी कार्रवाई सम्बन्धित दल के निर्णय के फलस्वरूप न हो ।"

दिल्ली के एक कार्यकारी पार्षद् को बर्खास्त करने की मांग सम्बन्धी ज्ञापन

6510. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर परिषद के कुछ सदस्यों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है जिसमें दिल्ली के कार्यकारी पार्षद, श्री शुभ को बर्खास्त करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में क्या लिखा है ;

(ग) क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद की राय पूछी गई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) तथा (घ). 19 मार्च, 1970 को दिल्ली महानगर परिषद के कुछ सदस्यों ने राष्ट्रपति को एक

ज्ञापन दिया जिसमें मुख्यत: बुद्ध माल गोदाम, नकली शराब की बिक्री तथा राजस्व की हानि में कदाचार के आरोप लगाये गये थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि 27 फरवरी, 1970 को कालकाजी में बुद्ध माल गोदामों में एक छापे में अतिरिक्त स्प्रिट, बोतलों और कैपसूलों का काफी संग्रह बरामद किया गया तथा यह कि श्री ए० सी० शुभ कार्यकारी पार्षद छापे के परिणामों को खत्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने श्री ए० सी० शुभ कार्यकारी पार्षद को बरखास्त करने की मांग की। उक्त ज्ञापन की जांच की जा रही है।

पूना के मौसम विज्ञान कार्यालय द्वारा कृषि सूखा के बारे में अखिल भारतीय अध्ययन

6512. **श्री देवराव पाटिल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूना के मौसम विज्ञान कार्यालय ने विभिन्न जिलों में कितने समय बाद कृषि सूखा पड़ता है तथा इसके होने की सम्भावना के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन कब पूरा हो जाएगा ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस अध्ययन के लिए कितनी सहायता दी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह): (क) से (ग). भारत मौसम विज्ञान विभाग जून, 1967 से सूखे के बारे में कृषि जलवायु सम्बन्धी अध्ययन कर रहा है। ये अध्ययन कुछ काल तक जारी रहेंगे इससे पहले कि कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। क्योंकि यह कार्य विभागीय तौर पर किया जा रहा है, अतः सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

प्लास्टिक के घोल से ककरोट के स्लेब बनाना

6513. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 मार्च, 1970 के 'टाइम्स आफ इन्डिया' में प्लास्टिक सीमेंट शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीकी परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा किये गये प्रयोगों से, जो अब अन्तिम अवस्था में हैं, यह प्रमाणित हुआ है कि कंक्रीट की जिन पट्टियों को पहले प्लास्टिक के घोल में डुबोया गया था और उसके बाद साधारण कौबेल्ट-60 विकिरण द्वारा सुखाया गया था, साधारण कंक्रीट की तुलना में चार गुना अधिक शक्तिशाली और दो गुना अधिक टिकाऊ और पूर्णतया जलसर (वाटरप्रूफ) है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त दावों के बारे में और आगे जांच करने तथा उपयुक्त प्रक्रिया को भारत में प्रयोग करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरकार को प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) और (ग) : प्रक्रिया के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और भारत में उसके प्रयोग की सम्भावना की जांच की जायगी।

एडवोकेटों को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाये जाने पर रोष

6514. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्यों ने उन एडवोकेटों का दर्जा बढ़ाकर दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थान देने की नीति के बारे में चिन्ता व्यक्त की है जो दिल्ली उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्तियों के बारे मे दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा तथा कथित व्यक्त की गई चिन्ता के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर में स्वायत्तशासी संगणक विभाग की स्थापना

6515. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर में एक स्वायत्तशासी स्वचलीकरण तथा संगणक विभाग स्थापित करने के लिये 26 फरवरी, 1970 को भारत और रूस के बीच कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). 10 दिसम्बर, 1966 के भारत-रूस के क्रेडिट (उधार) समझौते के अन्तर्गत, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में स्वचलन तथा संगणक विज्ञान में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए एक उच्च केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए टैक्नोएक्सपोर्ट मास्को के साथ उच्च केन्द्र की स्थापना के लिए संस्थान की सहायता करने के वास्ते 1970-72 के दौरान 282-296 मानव-महीनों के लिए रूसी विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए 26 फरवरी, 1970 को एक सेवा-समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे। इस समझौते के अनुसार, सोवियत विशेषज्ञों के वेतन भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से (42 प्रतिशत) और निजी स्रोतों से रुपयों में तथा शेष (58 प्रतिशत) रूबल ऋण में से दिए जाएगे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तथा बीमे का खर्च भी रूबल ऋण में से वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को विशेषज्ञों के लिए समुचित रूप से

सुसज्जित आवास तथा कार्यालय के लिए स्थान और साथ ही स्थानीय यातायात सुविधा भी प्रदान करनी होगी ।

Anti-Indian and Pro-Pakistani Elements in Aligarh University

6517. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Atam Das :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that anti-Indian and Pro-Pakistani elements have been active in the Aligarh University ; and

(b) if so, the effective steps being taken by his Ministry to ensure that the atmosphere of the University is replete with healthy national feelings ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Facts are being ascertained from the State Government.

स्कूटर/टैक्सी चालकों द्वारा यात्री जनता को तंग किया जाना

6519. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में स्कूटर तथा टैक्सी चालक यात्री जनता का शोषण करते और उसे परेशान करते हैं और वे यात्रियों को गंतव्य स्थान तक, जहां वे जाना पसन्द नहीं करते, जाने से इन्कार कर देते हैं और मीटर के अनुसार किराया नहीं लेते हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि पुलिस इन चालकों के विरुद्ध बहुत कम मामलों में कार्यवाही करती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार यात्रियों को ले जाने से इंकार करने तथा उनसे ज्यादा किराया लेने को दाण्डिक अपराध बनाने और ऐसे चालकों को कड़ा दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसद्कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी हां :

(ख) यह निश्चित रूप से मालूम हुआ है कि जनता से शिकायत प्राप्त होने पर चूक करने वाले ड्राइवरों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

(ग) यात्रियों को ले जाने के लिये मना करनेवाले तथा अधिक किराया लेने वाले ड्राइवरों को दंड देने की व्यवस्था मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 में तथा उसके अधीन बनायी गयी दिल्ली मोटर गाड़ी नियमावली 1940 में मौजूद है । इन अपराधों को दांडिक अपराध घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नई दिल्ली-गाजियाबाद सड़क का निर्माण

6520. श्री हेम राज : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर कार्यालय (मथुरा रोड), नई दिल्ली से शुरू होकर जमुना नदी के ऊपर से होकर गाजियाबाद (उ० प्र०) तक जाने वाली एक नई सड़क का निर्माण कुछ समय पूर्व आरम्भ किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य किस तारीख को आरम्भ किया गया था और उसे किस तारीख तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या निर्धारित कार्यक्रम अनुसार यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बीच इस सड़क का निर्माण कार्य अपने सीमा राज्यक्षेत्र तक पूरा कर लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन की ओर से विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदकार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) से (ङ). आई०टी०ओ० (मथुरा रोड) को गाजियाबाद से जोड़ने वाली कोई सीधी सड़क आयोजित नहीं की गई है। आई०टी०ओ० (मथुरा रोड) का सीमान्त बांध से जोडने वाली एक सड़क 1969 के मध्य में तैयार कर ली गयी है। सीमान्त बांध को राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को जोड़ने वाली एक सड़क पहले ही मौजूद है। सीमान्त बांध और पटपड़गंज के बीच का टुकड़ा जिस की दूरी लगभग ½ मील है और जिसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1-8-1969 तक तैयार हो जाना चाहिए था, तैयार नहीं किया जा सका क्योंकि दिल्ली उच्चतर न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप भूमि अर्जन करने में कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं।

Establishment of Mithila University in Bihar

*6521. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar have sought certain clarifications as also financial assistance from the Union Government and the University Grants Commission in connection with the establishment of the Mithila University in Darbhanga and, if so, Government's reaction in regard thereto ;

(b) whether it is also a fact that he had given an assurance during a discussion in the Lok Sabha on 10th March, 1970 under Rule 193 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha that in case the Government of Bihar desired to set up the said university, the University Grants Commission would provide necessary financial assistance for that purpose ;

(c) if so, whether the Government of Bihar were informed of the same ; and

(d) if so, the details of the reply received from the Bihar Government ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr V. K. R V. Rao) : (a) nI July 1969 the Government of Bihar inquired about the extent of financial assistance that

would be available from the Government of India and the University Grants Commission towards the establishment of the Mithila/Darbhanga University on the lines suggested by the U G.C. Committee. In reply, the State Government was informed that the Union Ministry of Education and Youth Services had no scheme for this purpose and that the U.G.C. was not in a position to indicate the extent of assistance that would be made available for the reorganisation of the K S. Darbhanga Sanskrit University, pending finalisation of the Bihar Government's views on the Committee's recommendations and their consideration by the Commission. The State Government had not sought any other clarifications.

(b) I had stated in the Lok Sabha on 10-3-1970 that the U G C. could help a new University for developmental purposes after it was established by the State Government, and that initiative in this matter rests with the State.

(c) It was not considered necessary since the State Government is fully in the know of this position.

(d) Does not arise.

Maintenance of a National Register of Antiques and Rare Manuscripts

6522. **Shri Ram Avtar Sharma : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Atam Das :**

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the Independence, there has been an increase in the incidents of smuggling of rare art pieces such as pictures, paintings, idols, diamonds and pearls and other antiques from India to foreign countries ; and

(b) whether any proposal is under consideration of Government to have a National Register for keeping a record of antiques and rare manuscripts available in the museums, libraries and with the private collectors in the various parts of the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) Statistics of cases of smuggling of art objects before Independence is not available and as such it is not possible to say that incidents of such smuggling have increased after Independence The present Antiquities (Export Control) Act, 1947 came into effect only after Independence. It may, however, be mentioned that although there is no evidence of large-scale smuggling of antiquities to foreign countries, there have been persistent reports in the press about such activities.

(b) The matter is under consideration.

Maintenance of Historical Monuments Associated with India's Independence Struggle

6423. **Shri Ram Avtar Sharma : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Atam Das :**

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the rules and regulations of the Archaeological Survey of India, the Department is responsible for maintaining only those monuments which are more than 100 years old ;

(b) whether it is also a fact that due to these rules many magnificent and historical monuments, with are associated with the country's Independence struggle, have been deprived of the protection and maintenance by archaeological surveys ; and

(c) if so, the steps Government propose to take to bring such monuments within the purview of the Archaeological Survey of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The monuments associated with the country's Independence struggle which are less than one hundred years old have not been declared protected by the Archaeological Survey of India as they do not come under the purview of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

(c) At present there is no proposal to bring such monuments within the purview of the Archaeological Survey of India.

Ladakhis in I.A.S.

6524. **Shri Ram Avtar Sharma : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Atam Das :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Ladakhis taken into the Indian Administrative Service after the Independence ;

(b) the percentage of the successful Ladakhis in the said service to those selected from other parts of the country ; and

(c) whether Government propose to encourage the Ladakhis by giving them some special concessions in order to increase their percentage ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No person from Ladakh has so far qualified for appointment to Indian Administrative Service.

(b) Nil.

(c) No, Sir. The reservation of vacancies in the I.A.S., is made for the members of Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities only. The Ladakhis are treated as members of backward classes. There is also no reservation in favour of persons belonging to particular areas.

भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां समाप्त करने के संबंध में महान्यायवादी की राय

6525. **श्री सीता राम केसरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां समाप्त करने के संबंध में महान्यायवादी की राय ली गई थी ;

(ख) क्या उनकी राय सरकार को इस बीच प्राप्त हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). भारत सरकार ने भूतपूर्व भारतीय राज्यों के नरेशों की निजी थैलियों को समाप्त करने के संबंध में महान्यायवादी से परामर्श किया है और उन्हें सलाह दी गई है कि ऐसी समाप्ति पर कोई कानूनी रोक नहीं है ।

दिल्ली में कुछ संस्थाओं द्वारा जाली डिप्लोमाओं तथा डिग्रियों का जारी करना

6526. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री न० रा० देवघरे :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में ऐसी बहुत सी संस्थाएं चल रही है जो ऐसे नकली डिप्लोमे तथा डिग्रियां जारी कर रही हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ; और

(ख) क्या कानून के अन्तर्गत ऐसी संस्थाएं काम कर सकती हैं और यदि नहीं, तो उन्हें बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Atrocities on People belonging to Balai Caste in Madhya Pradesh

6527. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the caste Hindus in Ujjain of Madhya Pradesh perpetuate atrocities on the people belonging to Balai (Scheduled) Caste there, thus driving them to the point of changing their religion ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Facts are being ascertained.

मनीपुर में प्रभुत्व सम्पन्न सरकार का गठन

6528. **श्री हेम बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा संघीय सरकार के ढंग पर मनीपुर में तथा कथित प्रभुत्व सम्पन्न सरकार का हाल में गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे किन व्यक्तियों का हाथ है और इसके उद्देश्य क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). मनीपुर में स्थायी सरकार को उलटने के उद्देश्य वाला तथा स्वयं को 'मनीपुर की क्रांतिकारी सरकार' तथा अन्य विभिन्न नामों से पुकारने वाला एक छोटा दल ध्यान में आया है ।

एयर इन्डिया द्वारा यात्रा करने वाले भारतीयों को 100 डालर साथ ले जाने की अनुमति देने का निर्णय

6529. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० ओ० ए० सी० और 'कानटास' को छोड़कर भारत होकर चलने वाली विदेशी विमान कम्पनियां एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने वाले भारतीयों को 100 डालर (8 डालर के बजाय), साथ ले जाने की अनुमति देने के हाल के सरकार के निर्णय से बहुत पीड़ित हैं ; और वे इस निर्णय को एयर इंडिया के पक्ष में एक भेद-भाव वाला निर्णय समझती हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान उन कम्पनियों द्वारा बराबर भारत उड़ान न करने की प्रस्तावित प्रतिकारात्मक कार्यवाही की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि यदि इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया गया तो एयर इंडिया की उक्त विमान कम्पनियों के मूल देशों में हवाई अड्डे प्रयोग करने की पारस्परिक सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कुछ विदेशी एयर लाइनों ने सरकार से इस निर्णय के बारे में अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है कि जो भारतीय पिछले तीन वर्षों से विदेश नहीं गए है उन्हें एयर-इंडिया द्वारा यात्रा करने पर 100 डालर के बराबर विदेशी मुद्रा की छूट की अनुमति दी जायेगी ।

(ख) अब तक किसी विदेशी एयरलाइन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

इन्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं में दी जाने वाली खाद्य वस्तुओं की किस्म में सुधार करने का प्रस्ताव

6530. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं के दौरान दी जाने वाली खाद्य वस्तुएं निम्न स्तर की होती हैं ;

(ख) क्या इन वस्तुओं को विभागीय तौर पर तैयार किया जाता है अथवा इनको होटल वालों से खरीदा जाता है और यदि उनको होटल वालों से खरीदा जाता है तो क्या इन खाद्य वस्तुओं की सप्लाई के लिए ठेके देने से पूर्व टैंडर मंगाये जाते हैं ;

(ग) विमानों की उडानों के दौरान दिये जाने वाले नाश्तों अथवा स्नैक्स और आमिष तथा निरामिष भोजनों का औसतन मूल्य कितना है ; और

(घ) उड़ानों के दौरान दिये जाने वाले खाद्योंनों की किस्म को सुधारने के लिए यदि कोई विशिष्ट कार्यवाही की गई है तो क्या ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली और मद्रास से रवाना होने वाली सभी विमान सेवाओं के लिए, उडान के

दौरान दिया जाने वाला भोजन विभागीय तौर पर तैयार किया जाता है। बम्बई तथा कलकत्ता से होने वाली उड़ानों पर भी अधिकांश भोजन/अल्पाहार विभागीय तौर पर तैयार किए जाते हैं। अप्रैल, 1970 से बम्बई से होने वाली उड़ानों पर दिया जाने वाला नाश्ता सान्ताक्रूज पर एयर-इंडिया के 'फ्लाइट किचन' से लिया जा रहा है। कलकत्ता के एयरपोर्ट रेस्टोरेंट से भोजन सीमित मात्रा में लिया जाता है। मध्य-मार्ग के स्टेशनों पर आवश्यक चीजें, जब आवश्यकता पड़ी है, सामान्यतया एयरपोर्ट रेस्टोरेंटो से प्राप्त की जाती हैं। उन स्टेशनों पर जहां एयरपोर्ट रेस्टोरेंटों का प्रबन्ध सन्तोषप्रद नहीं हैं, भोजन अच्छे होटलों/रेस्टोरेंटों से प्राप्त किया जाता है।

एयरपोर्ट रेस्टोरेंटों से लिए जाने वाले भोजन के लिए नागर विमानन विभाग द्वारा निर्धारित दरें लागू होती हैं। एयरपोर्ट रेस्टोरेंटों से इतर पार्टियों से लिए जाने वाले भोजन निविदा के आधार पर होते हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के किचनों में तैयार किए जाने वाले शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों की औसत दरें ये हैं :—

नाश्ता	—	4.61 रुपये
स्नैक्स	—	2.28 रुपये
मध्याह्न भोजन	—	4.97 रुपये
रात्रि का भोजन	—	5.00 रुपये

कलकत्ते और बम्बई में अन्य पार्टियों से लिए जाने वाले भोजन का औसत मूल्य यह है :—

1. बम्बई

नाश्ता	—	3.50 रुपये

2. कलकत्ता

नाश्ता	—	5.75 रुपये
मध्याह्न भोजन	—	7.00 रुपये
रात्रि का भोजन	—	7.00 रुपये

(घ) जहां कहीं संभव होता है इन्डियन एयरलाइन्स खाद्यान्न ख्याति-प्राप्त भोजन-व्यवस्थापकों से प्राप्त करते हैं। जब दिल्ली में एयर इन्डिया का फ्लाइट किचन बन कर तैयार हो जायेगा तो वे भोजन वहीं से लेंगे। कारपोरेशन अपने खान-पान (केटरिंग) अधिकारियों तथा रसोइयों को बम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास के केटरिंग कालिजों में प्रशिक्षण दे रही है। उड़ान के दौरान दिये जाने वाले भोजन की 'क्वालिटि' पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

अध्यापकों के लिए सलेक्शन ग्रेड

6531. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० एस० चक्रवर्ती के नेतृत्व में बने कार्यकारी ग्रुप ने अध्यापकों के लिए

ीक्षित सैलक्शन ग्रेड सम्बन्धी नियमों के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और यदि हां, सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अध्यापकों ने इन सिफारिशों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ग) उक्त सिफारिशों को देखते हुए सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है और पर अध्यापकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली विश्वद्यालय विषयों की जांच पड़ताल, विश्लेषण और सिफारिशें करने के लिए, प्रोफेसर एस० वर्ती की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी :

(i) विश्वविद्यालय के कालेजों (प्रवरण ग्रेड में नियुक्त अध्यापकों सहित) के लिए अध्यापकों के चयन की पद्धति और उससे उत्पन्न समस्याएं (वरिष्ठ कालेज अध्यापकों को रीडरों के रूप में मान्यता देने के फलस्वरूप जिम्मेदारियों सहित)

(ii) सहायक अध्यापकों की श्रेणी को समाप्त करने के निर्णय से उत्पन्न प्रश्न और इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम ;

(iii) कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति की शर्तें, जिसमें उनके परिवीक्षा की शर्त और उसकी अवधि, स्थायीकरण के लिए अपनाई गई पद्धति और मानदण्ड, तथा इस प्रकार स्थायी अध्यापकों के कार्यकाल की सुरक्षा से संबंधित प्रश्न भी शामिल हैं।

(iv) अध्यापकों में अनुशासनहीनता के आरोपों तथा कालेजों के प्राधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग संबंधी आरोपों की जांच और उनपर रिपोर्ट पेश करने के लिए मशीनरी तथा अपील और फैसले के लिए उपलब्ध पद्धतियों की पर्याप्तता ; और

(v) सेवानिवृत्ति की आयु के बाद, कालेज अध्यापकों की सेवा विस्तार के बारे में अपनाई जा रही प्रक्रियाएं तथा अपनाई जाने वाली पद्धतियां ?

कार्यकारी दल ने विषय (i) और (ii) पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। विश्वविद्यालय विषय (ii) पर दल द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में निर्णय ले लिए हैं, किन्तु विषय (i) ी रिपोर्ट अभी तक विचाराधीन है।

(ख) इस बारे में, सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इस विषय का संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय से है।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों की शिकायतें

6532. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री हेमराज :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें बढ़ रही हैं और दिल्ली

प्रशासन के कुछ कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों को कानूनी तौर पर दूर करने के लिए विभिन्न न्यायालयों में मामले दायर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और पिछले तीन वर्षों में विभिन्न न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गये और कितने मामलों में कर्मचारियों के पक्ष में कितने में भारत संघ के पक्ष में निर्णय दिये गये ;

(ग) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न न्यायालयों में कितने मामले निर्णयाधीन हैं ;

(घ) सरकारी कर्मचारियों द्वारा भारत संघ को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत कितने मामले में नोटिस दिये गये हैं ; और

(ङ) सरकार ने दिल्ली प्रशासन के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिनकी कार्यवाही के कारण शिकायतों में वृद्धि हुई है तथा आखिर में उन्हें कानूनी तौर पर दूर करने के लिए न्यायालयों में ले जाना पड़ा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में हवाई अड्डों का डिजाइन तैयार करने के लिए आमंत्रित अमरीकी विशेषज्ञ

6533. **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० रानेन सेन :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई अड्डों के डिजायन तैयार करने वाला एक अमरीकी विशेषज्ञ भारत सरकार के निमन्त्रण पर सरकारी अतिथि के रूप में भारत आया हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि इस विशेषज्ञ ने अपने देश में किसी भी हवाई अड्डे का डिजायन अभी तक तैयार नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विशेषज्ञ को आमंत्रित करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). डा० बकमिनिस्टर फुल्लर, विश्व प्रसिद्ध 'काम्प्रिहेंसिविस्ट' और 'डिजाइनर', नवम्बर, 1969 में जवाहर लाल नेहरू स्मारक भाषण देने के लिए भारत आए थे। उन्हें वास्तुशिल्प सलाहकार के रूप में अपने अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों पर नये टर्मीनल कांम्पलेक्सों के निर्माण से सम्बद्ध करने की संभावनाओं का पता लगाने के विचार से उनकी देश में उपस्थिति से लाभ उठाया गया था। बाद में उनके सहयोगी श्री शोजी सदाओं को प्रारम्भिक बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। यद्यपि डा० फुल्लर ने किसी विमान-क्षेत्र का डिजाइन तैयार नहीं किया है, तथापि वे वास्तुशिल्प सम्बन्धी मामलों के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के "टैक्सी ट्रैकों" का सुदृढ़ बनाया जाना

6534. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों "टैक्सी ट्रैकों" को सुदृढ़ बनाने के लिए करोड़ों रुपये के निर्माण कार्यों की मन्जूरी दी जा रही है ताकि उनको जम्बो जैट विमानों के उतरने चढ़ने योग्य बनाया जा सके ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पालम हवाई अड्डे के "टैक्सी-ट्रैक" की नींव न्यूयार्क के केनेडी हवाई अड्डे के 'टैक्सी-ट्रैक' की नींव से अधिक गहरी है ; और

(ग) यदि हां, तो पालम हवाई अड्डे के 'टैक्सी-ट्रैक' को और अधिक सुदृढ़ बनाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विमानन प्रौद्योगिकी में द्रुतगति से हुई उन्नति तथा और तेज एवं बड़े विमानों के आगमन को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों का और अधिक सुधार तथा आधुनिकीकरण किया जाए । अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर धावन-पथों, टैक्सी-पथों तथा एप्रनों के विकास (जिसमें इन्हें मजबूत करना भी सम्मिलित है) के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 15.49 करोड़ रुपये की एक राशि नियत की गई है ।

(ख) केनेडी विमानक्षेत्र के विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) बड़े एवं तेज चलने वाले विमानों के आगमन से यह आवश्यक हो गया है कि नियमित एवं लगातार आधार पर यातायात के निरन्तर प्रवाह को सुनिश्चित करने की दृष्टि से धावन-पथों, एप्रनों तथा टैक्सी-पथों सहित अपने अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों का सुधार किया जाये ।

गोआ में मिट्टी की प्रतिमाओं (टेराकोटा) तथा अन्य वस्तुओं का मिलना

6535. **डा० सुशीला नायर :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गोआ में पणजी के निकट मपुका में तीसरी शताब्दी से पहले की मिट्टी की प्रतिमायें तथा एक शिव लिंग, एक तांबे का सिक्का और पत्थर का एक सिंह-मुख पाये गये हैं ;

(ख) इन वस्तुओं का क्या महत्व है ; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उपमंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विस्तृत रिपोर्ट, निदेशक, ऐतिहासिक अभिलेख, गोआ सरकार, पणजी तथा अधीक्षक पुरातत्वज्ञ, दक्षिणी सर्किल, औरंगाबाद से, मांगी गई है। अपेक्षित सूचना यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रलेख-पोषण सेवाओं सम्बन्धी समिति का गठन

6536. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना करके पुस्तकालयों के विकास के लिये नये मार्ग खोल दिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेवाओं सम्बन्धी समिति के दस सदस्यों में से केवल तीन सदस्य ही पुस्तकालय व्यवसाय से हैं और पुस्तकालय विज्ञान के विशेषज्ञ डा० रंगनाथन का किसी भी समिति में नाम नहीं है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त समिति के गठन का स्वरूप क्या है और सदस्यों का चयन किस आधार पर किया गया था तथा समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् का काम अथवा दायित्व पुस्तकालयों का विकास करना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रलेख सेवाओं के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की समिति का गठन नीचे दिया जाता है :—

1. डा० डी० आर० गाडगिल — अध्यक्ष
2. प्रो० पी० एन० धर
3. प्रो० एन० आर० देशपाण्डेय
4. डा० एम० एस० गोरे
5. डा० एल० पी० विद्यार्थी
6. श्री ए० चन्द्रशेखर
7. श्री बी० एस० केसवन
8. श्री बी० बी० आर० राव
9. श्री गिरिजा कुमार
10. श्री जे० पी० नायक — सदस्य सचिव

इन सदस्यों में से सात सामाजिक वैज्ञानिक हैं जो परिषद के सदस्य हैं। तीन लाइब्रेरी वैज्ञानिकों को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रलेख-सेवाओं के विकास के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए समिति में नियुक्त किया गया है।

सदस्यों का चुनाव भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के विवेक से होता है।

भारत में पर्यटकों की रुचि के आकर्षक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के बारे में प्रचार तथा जानकारी का प्रभाव

6537. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पर्यटकों की रुचि के आकर्षक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के प्रचार तथा उनके सम्बन्ध में जानकारी देने सम्बन्धी व्यवस्था का भारत में अभाव है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। जैसा कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या से जाहिर है हमारे प्रचार-कार्य के अच्छे परिणाम रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रचार एवं अभिवृद्धि अभियान एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन के उत्तम परिणाम निकलें इनका लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

6538. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से कितने कालिज सम्बद्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन कालिजों में हिन्दी माध्यम अपनाने की छूट (आप्शन) दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ किसी विद्यालय को सम्बद्ध नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मालीनाड शिक्षा संस्था को दी गई धनराशि

6539. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ शैक्षिक संस्थाओं ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिये अनुदान लेने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आवेदन दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनको कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) मालीनाड शिक्षा संस्था, हसन (मैसूर राज्य) को कितनी राशि दी गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सूचना इकठ्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) आयोग शिक्षा संस्थाओं को अनुदान नहीं देता है।

चुंगी का समाप्त किया जाना

6540. **श्री वि० नरसिम्हाराव** : क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने राजस्व के वैकल्पिक स्रोत बनाये जाने तक चुंगी को समाप्त करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) और (ख). उन राज्यों के बहुत से परिवहन मन्त्रियों ने जहां इस समय चुंगी ली जाती है जब तक राजस्व का वैकल्पिक स्रोत का सृजन नहीं किया जाता है तब तक उन्होंने चुंगी को समाप्त करने के बारे में अपनी कठिनाई व्यक्त की है। परन्तु राजस्थान सरकार ने राज्य विधान मंडल में राजस्थान बिक्री कर (चुंगी का संशोधन और समाप्ति) विधेयक 1969 नाम के विधेयक को पेश किया है जिसमें चुंगी की समाप्ति और सामान्य पण्यावर्त कर से एकत्रित किये जाने वाले राजस्व से स्थानीय संस्थाओं को मुआवजा देने की व्यवस्था है। इस विधेयक की एक प्रतिलिपि अन्य सभी सबंधित राज्यों को परिचालित की गई है और अनुरोध किया गया है कि वे चुंगी की समाप्ति के लिए ऐसी ही कार्यवाही करने की दृष्टि से विधेयक की जांच पड़ताल करें। उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

ऐतिहासिक रिकार्डों (अभिलेखों) का अर्जन

6541. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : **श्री बाल्मीकि चौधरी** :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ऐतिहासिक अभिलेखों के कुछ निजी मालिकों ने बहुत से अभिलेखे बेचे थे जो विदेशों के पुस्तकालयों में पहुँच गये हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय तथा राज्य अभिलेखागारों में रखे जाने के लिये सरकार का विचार व्यक्तियों, न्यासों तथा व्यापारियों के पास अब उपलब्ध अभिलेखों को अर्जित करने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उपमन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह)। (क) केन्द्रीय सरकार के पास इस विषय पर कोई सीधी तथा सुनिश्चित सूचना नहीं है।

(ख) जी हां, जहां कहीं संभव है।

(ग) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार पिछली दो दशाब्दियों से अधिकतर उपहारों के रूप में तथा कुछेक खरीदकर उन विशिष्ट व्यक्तियों के निजी कागज पत्रों का संग्रह तथा संरक्षण कर रहा है जिन्होने आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

देश के अन्दर से ही निजी कागज-पत्रों/माइक्रोफिल्में खरीदने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के बजट में कुछ निधियां प्रदान की गई हैं। विदेशों से भी भारत के हितों के प्रलेखों की माइक्रोफिल्में खरीदने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भी निजी पत्रों या उनकी माइक्रोफिल्मों के उपहार उनके स्थाई संरक्षण के लिए देश के भीतर से और कभी-कभी विदेशों से भी प्राप्त करता है।

सांस्कृतिक संगठनों को इमारतों के लिए अनुदानों का आवंटन

6542. **श्री वेंगलराया नायडू :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐच्छिक सांस्कृतिक संगठनों की इमारतों के निर्माण के लिए अनुदान देने की योजना को जारी रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके पश्चात् संगठनों को दिए जाने वाले अनुदानों में कमी अथवा वृद्धि की जाएगी ;

(ग) सरकार कितने सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान देती रही है ; और

(घ) क्या इनके उपयोग के बारे में कोई जांच की जाती है और यदि हां, तो सरकार इस बात को किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि सांस्कृतिक संगठनों द्वारा अनुदानों का उचित उपयोग किया जाता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पुरानी योजना के अधीन, प्रति संगठन, निर्माण कार्य के लिए एक लाख रुपए का अधिकतम अनुदान अनुमत्य था। संशोधित योजना के अधीन, निर्माण कार्य तथा सुपात्र मामलों में, उपयुक्त उपस्कर मदों (दर्शक-कक्ष के लिए फर्नीचर सहित), प्रति संगठन अधिकतम अनुदान की राशि बढ़ा कर 1.50 लाख रुपए की दी गई है। उपस्कर के लिए, सहायता की मात्रा 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और साथ ही अनावर्ती किस्म की होनी चाहिए।

(ग) 1969-70 वित्तीय वर्ष में 20 सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान दिए गए।

(घ) अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों को, सरकार के पक्ष में एक इकरारनामा लिखना पड़ता है। अनुदान, तीन किस्तों में दिया जाता है और संस्थाओं को चार्टर लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित लेखों के जांचे विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हें राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा हस्ताक्षरित पूर्ति प्रमाण पत्र भी भेजना पड़ता है।

नक्सलवादियों पर रोक

6543. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने नक्सलवादियों पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य मुख्य मन्त्रियों ने भी रोक लगाये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ग) क्या नक्सलवादियों की गतिविधियां इस हद तक बढ़ गई हैं कि उनकी गतिविधियों को रोकना राज्यों के लिए असम्भव हो गया है ;

(घ) क्या विदेशों द्वारा नक्सलवादियों की सहायता की जा रही है ; और

(ङ) राज्यों की इस मार्ग को देखते हुए क्या भारत सरकार इन नक्सलवादियों पर रोक लगाने पर तथा देश में उनकी गतिविधियों को कुचलने के लिये केन्द्रीय बल बनाने पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). किसी मुख्य मन्त्री से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(ग) यह नहीं कहा जा सकता है कि उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं ।

(घ) गुजरात, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा व नागर हवेली, गोवा दमन व दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव मिनीकोय तथा अमिनदिवी द्वीप समूह, मनीपुर नेफा और पाण्डेचेरी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना अभी आनी है ।

(ङ) उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए गृह मन्त्री ने कुछ विधाई प्रस्तावों पर संसद में विपक्ष के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था । क्योंकि प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं रही अतः प्रस्तावों पर आगे कार्यवाही नहीं की गई । देश में उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ।

Recovery of Arms and Ammunition in West Bengal, Rajasthan and Jammu and Kashmir

6544. Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of arms and ammunition has been recovered in West Bengal, Rajasthan and Jammu and Kashmir ;

(b) if so, the quantity of arms and ammunition recovered in the said States during the period from 1st January, 1967 to date ;

(c) whether it is also a fact that most of the arms and ammunition thus recovered had foreign markings ;

(d) the action Government propose to take to check smuggling of foreign arms and ammunition in the country ; and

(e) the total number of persons arrested in this connection and the number of those against whom cases have been filed in the court ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e). The required information is being collected from the Governments of West Bengal, Rajasthan and Jammn and Kashmir and it will be laid on the Table of the House on receipt.

Arrest of Pakistani and Chinese Spies in Jammu and Kashmir

6545. **Shri Janeshwar Misra :** **Shri P. C. Adichan :**
Shri Yashwant Singh Kushwah : **Shri Chengalraya Naidu :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Chinese and two Pakistani spies were apprehended in the Jammu and Kashmir area recently while indulging in spying activities ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Two persons suspected to be Pak agents and one person believed to be a Chinese national were apprehended in Jammu and Kashmir recently. The matter is under investigation and it will not be in the public interest to disclose the details.

Need for Uniform Jail Manuals in all States

6546. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jail Manuals being followed in various jails in the country are those which were framed during the British regime ;

(b) whether it is also a fact that these manuals are also not uniform in all the States ;

(c) if so, whether Government propose to compile a uniform Jail Manual for all the States so that the prisoners could lead a respectable life in the present democratic system ; and

(d) if so, when and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). 'Prisons' come exclusively within the purview of the States and the Manuals for their administration are revised by the respective State Governments from time to time. However, State Governments were advised to consider the revision or notification of their existing Jail Manuals on the basis of the Model Prison Manual compiled by the All India Jail Manual Committee. A number of States have accordingly revised their Manuals in the light of the Model Manual and many others are considering the same. A statement is laid on the Table of the House giving the position State-wise regarding revision of their Manuals. [*Placed in Library. See* No. LT—3224/70].

Charges against Principal of Central School, Danapur Cantt (Bihar)

6547. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the well-wishers and the guardians of the students of the Central School, located at Danapur Cantt, District Patna have sent a memorandum containing certain charges against the Principal of the School to the Commissioner of Central Schools Organisation ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government have got an enquiry conducted into the charges levelled against the Principal ;

(d) if so, the reaction of Government in regard thereto and, if not, whether Government propose to get an enquiry conducted into the matter ; and

(e) if so, by what time and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir. An anonymous letter containing certain allegations against the present Principal of the Kendriya Vidyalaya, Danapur Cantt. has been received by the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan (Central Schools Organisation)

(b) to (e). As the complaint is anonymous, no action has been or is proposed to be taken in accordance with the Government's policy for such cases.

Record of Indian Revolutionaries involved in India's Independence Struggle

6548. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a complete record relating to the Indian revolutionaries (i) who were convicted in connection with the country's Independence struggle (ii) who could not be arrested and went underground and (iii) of those who are alive at present, is being maintained by the Government of India ; and

(b) if so, whether Government would allow examination and publication of the said record ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) Government of India do not have a complete record of the Indian Revolutionaries. The records are scattered over files of National Archives of India, State Archives, Police Departments in the States, courts etc.

Efforts are made by the National Archives of India to acquire papers which may throw light on important phases of Modern Indian History including private papers of eminent Indians who played a significant role in the Freedom Struggle of the country.

(b) Access to records in the National Archives of India is governed by National Archives of India Historical Research Rules.

National Archives of India has to present no scheme to publish these records. Government recently collected some information about these persons who were hanged or killed in the country's freedom struggle. On the basis of this information Government recently brought out Volume I of Who's Who of Indian Martyrs.

Retrieving of Indian Monuments Available in London Museum

6549. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether an inventory of the Indian monuments available in the London Museum has been prepared by the Indian Archaeological Department ;

(b) whether an idol of Saraswati of Dhara Nagari, belonging to the period of Raja Bhoj, is also included in the said inventory ; and

(c) whether Government have taken steps to retrieve those antiques to India and, if not, the time by which such steps are likely to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) The Indian High Commission in London has been requested to obtain the catalogues from the Museums in the United Kingdom and prepare with their help an inventory of the Indian antiquities in the Museums in the United Kingdom. Sanction has been accorded for incurring the expenditure involved. The inventory has, however, not yet been received from the High Commission.

(b) At this stage, it is not possible to say whether, or not, the idol of Saraswati of Dhara Nagari is included in the British Museum in London.

(c) The matter will be examined on receipt of the above mentioned inventory from the High Commission.

Development of Mandu in Madhya Pradesh as a Tourism Centre

6550. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the scheme formulated by Government to develop Mandu, a tourist centre in Madhya Pradesh ; and

(b) whether any proposal for providing an air strip there is also under consideration ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There is a Tourist Bungalow at Mandu. The Department of Tourism have no scheme at present for the further development of Mandu as a tourist centre.

(b) No, Sir.

Proposal to Convert Onkareshwar in Madhya Pradesh into Tourist Centre

6551. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert Onkareshwar in East Nimar district of Madhya Pradesh into a tourist centre keeping in view the historical importance of the said religious place, where lakhs of people go on pilgrimage every year ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Due to limited resources enforcing a strict order of priorities, no such scheme is under the consideration of the Government of India.

गुप्तचर विभाग में संयुक्त सहायक निदेशकों के पदों को भरना

6552. **श्री शारदानन्द :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुप्तचर विभाग में संयुक्त सहायक निदेशकों के बहुत से पद खाली हैं और उच्च पदों के अधिकारियों की कमी होने के कारण गृह-कार्य मन्त्रालय की मंजूरी के अनुसार उन्हें नहीं भरा जा सका है ।

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे खाली पदों को भरने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त पदों पर पदोन्नति देने में ऐसे लोगों को वरीयता देने का है जिन्होंने सीमा पर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय सेवा की है तथा जिन्हें कई पुरस्कार दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1970-71, में उक्त पदों को भरेगी और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 17 पद रिक्त पड़े हैं। उच्च पदों में अनुभवी अधिकारियों की कमी है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ). इन पदों पर नियुक्ति ऐसे पदों के लिए भर्ती नितमों के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। 1970-71 के वित्तीय वर्ष में इन पदों को भरने का विचार है।

जालन्धर में विश्वविद्यालय

6553. **श्री जय सिंह :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर में दयानन्द विश्वविद्यालय खोलने की मांग की जा रही है ;

(ख) क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए हिन्दी अथवा संस्कृत को शिक्षा का माध्यय बनाने का सुझाव दिया गया है ; और

(ग) इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). जालन्धर में दयानन्द विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में सरकार को कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। मगर अमृतसर और जालन्धर में एक-एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये पंजाब के राज्यपाल ने सितम्बर, 1968 में एक प्रस्ताव किया था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि इन दोनों ही स्थानों पर शीघ्र ही स्नातकोत्तर केन्द्र चालू किये जायें, जिन्हें बाद की योजना अवधि में विश्वविद्यालयों में परिवर्तित कर दिय जाय।

इन प्रस्तावों पर, नए विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में बिश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति ने मार्च, 1969 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। समिति इस बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहती थी। मई, 1969 में राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना भेजने के लिये अनुरोध किया गया था। मगर इस बीच अमृतसर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और उसे स्वीकार कर लिया गया। जालन्धर में विश्वविद्यालय। स्नातकोत्तर केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से माँगी गई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पहले 1963 में और पुन: 1968 में आर्य समाज शिक्षा-संस्थाओं की अन्तर्राष्ट्रीय

परिषद् ने अजमेर में दयानन्द विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में प्रस्ताव भेजा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मामले पर विचार करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि महापुरुषों और उनके आदर्शों को स्मरण करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनके कार्य और रुचि के क्षेत्रों में विशिष्टीकृत संस्थायें स्थापित की जांच और जब उपयुक्त समझा जाय, तब इन संस्थाओं को यथा समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाय। ये विचार उक्त परिषद को भेज दिये गये थे।

पंजाब विश्वविद्यालय को एक रिहायशी विश्वविद्यालय के रूप में बदलना

6554. **श्री जय सिंह :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को एक रिहायशी विश्वविद्यालय के रूप में बदलने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो आवश्यक वित्त का प्रबन्ध कौन करेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Use of Hindi as Alternate Language in Departmental Examinations

6555. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a news item published in the Daily newspaper "Hindustan" dated the 22nd January, 1969 to the effect that the Government of India are considering the question of allowing the use of Hindi as an alternative language in the Departmental examinations conducted for the purpose of promotion and confirmation of the employees ;

(b) if so, whether the requisite information in this regard has since been collected from the various Ministries and offices ; and

(c) if so, when the aforesaid proposal would be implemented and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Some tentative decisions have been taken with a view to make a beginning in permitting the optional use of Hindi in departmental examinations in respect of certain categories of staff in offices located in Hindi speaking areas. The Ministries/Departments of the Government of India have been requested to examine the implications of the Scheme and to inform the Ministry of Home Affairs details of the posts and examinations for which the use of Hindi could be permitted. Final decision would be taken thereafter.

Promotion of Developmental Candidates to Posts of Hindi Officers and Hindi Supervisors

6556. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2902 on the 13th March, 1970 regarding holding of interviews for appointments to Hindi Officer and Hindi Supervisor Grades and state :

(a) the reasons for not promoting the departmental candidates to the posts of Hindi Officer and Hindi Supervisor, which are very few and also the reasons for promoting the Assistants to the posts of Section Officers ;

(b) whether it is also proposed to form some Central Secretariat Service for the Hindi Officers and staff under the C.S.S. Rules, 1962 ; and

(c) if so, from which date and, if not, the reasons for discrimination in this respect ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) As stated in reply to part (c) of Question No. 2902, posts of Hindi Officers and Hindi Supervisors are not in direct line of promotion for the departmental candidates. They are, however, eligible for appointment as Hindi Officers/Supervisors, through the Union Public Service Commission provided they satisfy the conditions of eligibility laid down in the Rules. Assistants are promoted to the posts of Section Officer in the Central Secretariat according to the Central Secretariat Service Rules, 1962.

(b) and (c). Consequent upon the enactment of the Official Languages (Amendment) Act. 1967, the Ministry of Home Affairs considered the administrative requirements for providing and strengthening of translation arrangements. Since the requirements at present and for quite some time to come are going to confined to translation work from English into Hindi and *vice-versa*, it was decided in November 1968 that the posts of Hindi Assistants which fall vacant thereafter should not be filled but be abolished and, in their place, Hindi Translators should be recruited in future according to the requirements of each Office. Since the posts created in connection with Hindi translation work are isolated posts created by each Ministry according to its own requirements and in accordance with the recruitment rules for the post and as a transitory measure only until the staff in the Secretariat have acquired a working knowledge of Hindi, there is no proposal at present under consideration for establishing any organised service/cadre for these posts.

Cadre for Hindi Assistants, Hindi Translators and Hindi Officers

6557. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2901 on the 13th March, 1970 regarding Government employees not belonging to any service or cadre and state :

(a) whether the Hindi Translators, Hindi Assistants and Hindi Officers working in the Central Secretariat and Central Government employees ;

(b) if not, the name of the Government whose employees they are and the reasons for not showing Hindi Assistants as belonging to any particular cadre and treating them as secondary employees *vis-a-vis* regular Assistants ;

(c) whether it is a fact that the Technical Assistants in the Ministries of Education and Youth Services and Food and Agriculture rise upto the rank of Deputy Secretary through departmental promotions, though they do not come under any Central Secretariat Service ; and

(d) if so, whether it is proposed to form a Central Secretariat Service for the Hindi Translators, Hindi Assistants and Hindi Officers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise, as the posts of Hindi Assistants were created as transitory measure and as it has since been decided to gradually abolish these posts, it has not considered necessary to constitute any organised service for these posts.

(c) In the General and Technical Advisory Cadres of the Ministry of Education and Youth Services, the rules provide for promotion from the grade of Technical Assistant to that of Assistant Education Officer, from Assistant Education Officer to Education Officer, from Education Officer to Assistant Educational Advisor and from Assistant Educational Adviser to Deputy Educational Adviser. A quote of vacancies in each of the grades of Assistant Education Officer and above has been earmarked for promotion from the next lower grade Thus, under the existing rules, Technical Assistants in that Ministry can be promoted upto the grade of Deputy Educational Adviser, bur not to the post of Deputy Secretary. Information relating to the Ministry of Food aud Agriculture is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) There is no proposal at present under consideration to form a Central Secretariat Service for the Hindi Translators, Hindi Assistants and Hindi Officers.

Isolated Posts for Hindi Work in Central Secretariat which do not Form Part of any Organised Service

6558. **Shri Narayan Swaroop Sharma : Shri Ram Swaroop Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 442 on the 13th March, 1970, regarding Hindi Assistants appointed through the Union Public Service Commission and state :

(a) the total number of isolated posts for Hindi work in the Central Secretariat and the reasons for not taking over those posts by his Ministry and also for not creating a regular cadre thereof ;

(b) the minimum number of posts required for the creation of a cadre ;

(c) whether it is a fact that the posts of I.A S. Officers in various Ministries and offices are also considered as isolated posts and if so, the number thereof, Ministry-wise (excluding the Home Ministry) ;

(d) whether it is proposed to create a regular cadre of Hindi Translators, Hindi Assistants and Hindi Officers working in the Central Secretariat ; and

(e) if so, when and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a), (d) and (e). Information regarding number of posts for Hindi work in the Central Secretariat has been given in the statement placed on the Table of the House in reply to part (b) of the Unstarred Question No. 2945, answered in the Lok Sabha on 13th March, 1970

Consequent upon the enactment of the Official Languages (Amendment) Act, 1967, the Ministry of Home Affairs considered the administrative requirements for providing and strengthening of translation arrangements. Since the requirements at present and for quite some time to come are going to be confined to translation work from English into Hindi and *v.ce-versa*, it was decided in November 1968 that the posts of Hindi Assistants which fall vacant thereafter should not be filled but be abolished and, in their place, Hindi Translators should be recruited in future according to the requirements of each Office. Since the posts are created in connection with Hindi translation work are isolated posts created by each Ministry according to its own requirements and in accordance with the recruitment rules for the post, and as a transitory measure only until the staff in the Central

Secretariat have acquired a working knowledge of Hindi, there is no proposal under consideration for establishing any organised service/cadre for these posts.

(b) No minimum number of posts has been fixed for the creation of an organised service.

(c) There are no 'posts of IAS Officers' in Ministries and Offices. IAS Officers are appointed in Central Ministries on deputation basis in accordance with the Scheme of Staffing Senior Administrative Posts at the Centre. As such, this question does not arise.

मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निकट गंगा नदी पर पुल

6559. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट गंगा नदी पर पुल का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस पुल का निर्माण शीघ्र किया जाये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास गंगा नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ेगा। अतएव उत्तर प्रदेश सरकार इसके निर्माण से संबन्धित है। राज्य सरकार ने कथित पुल परियोजना को राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है और उन्होंने निर्माण कार्य की 2.02 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता मांगी है। प्रार्थना भारत सरकार के विचाराधीन है।

Inclusion of Ladakhi Language in the Constitution

6560. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the question of inclusion of Ladakhi language in the Eighth Schedule of the constitution is being considered actively ;

(b) whether it is a fact that the Gajendragadkar Commission has emphasised the need of providing encouragement to the Ladakhi literature and culture ; and

(c) the time by which Government propose to take a decision on the matter referred to in part (a) above ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise. Government are not in favour of any further enlargement of the list of languages included in the Eighth Schedule to the Constitution.

Underground College for Training Naxalites

6561. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Naxalites are running an underground Training College in District Bijnor ;

(b) whether it is also a fact that farmers are given training for there for a bloody revolution in the said college ; and

(c) if so, the action taken by Government against the persons who are running the aforesaid college there ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)) : (a) to (c). Facts are being ascertained from the State Government.

Hindi Assistants Appointed through U.P.S.C.

6562. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2900 on the 13th March 1970 regarding Hindi Assistants in the Central Secretariat and state :

(a) the purpose for which his Ministry held the Hindi Assistants Test through the U.P.S.C. in 1959 and whether that purpose has been fulfilled now consequent to which the said posts are being gradually abolished ;

(b) the reasons for which the Hindi Assistants were posted in the various Ministries and Offices in 19 9 and 1960 by his Ministry itself when appointments to one or two of the said posts have been made by the concerned Ministries and the offices themselves ; and

(c) whether the policy of his Ministry in practice is to continue the use of English indefinitely and not to use Hindi although its use has been guaranteed by the Constitution and law ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A decision was taken to hold an examination through the Union Public Service Commission in 195- for the posts of Hindi Assistants created in various Ministries to do work relating to Hindi with a view to make recruitment for these posts according to a uniform procedure and uniform standards. Only the Lower Division and Upper Division Clerks of the Central Secretariat Service, who fulfilled the conditions about minimum length of service and minimum educational qualifications, were eligible to appear at the examination. Persons selected by the U.P.S.C, through this examination were nominated to the various Ministries/Departments where the posts of Hindi Assistants existed by reverting wherever necessary the unqualified candidates. A few vacancies of Hindi Assistants, which arose in the Ministries after the Select List prepared by the Union Public Service Commission was exhausted, were filled by the Ministries themselves. With the gradually increasing number of Central Government employees being trained in Hindi under the Hindi Teaching Scheme. the Hindi knowing staff belonging to the Central Secretariat Services is utilised to look after the Hindi work and only the work which consists purely of translation from Hindi to English and *vice versa*, has to be done by Hindi Translators. It has, therefore, been decided not to create any new post of Hindi Assistant and whenever any post of Hindi Assistant falls vacant, it is not to be filled. According to requirements of each Office, the required number of posts of Hindi Translators can be created.

(c) No, Sir.

Channels of Promotion for Hindi Assistants Teachers, Hindi Translators etc.

6563 **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2899 on the 13th March, 1970 regarding departmental examination for the Hindi Officers and Hindi Supervisors held by the U.P.S.C. and state :

(a) whether the Hindi Teachers who were allowed by his Ministry to appear in the said examination, are working in his Ministry or in any of its Attached Offices and whether they have also not been provided with channels of departmental promotions like Hindi Assistants ;

(b) whether a combined seniority list of the Hindi Assistants, Hindi Translators, Hindi Officers and Special Officers (Hindi) working in the Education Ministry (Main) and the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Technology for purpose of promotions etc is proposed to be prepared, keeping in view the verdict of the Delhi High Court delivered on the 11th February, 1970 ; and

(c) if so, when and, if not, the reasons for giving double benefit to the aforesaid categories of the employees of the aforesaid two subordinate offices ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The appointing and controlling authority of the Teachers under the Hindi Teaching Scheme irrespective of the place of their work, being the Home Ministry, they were considered eligible to apply for the post of Hindi Officers and Hindi Supervisors to the Union Public Service Commission if they fulfilled the requisite qualifications for the post.

Under the Hindi Teaching Scheme, the next higher post is of Assistant Supervisor. According to the recruitment rules, this post is filled on the basis of 50% by direct recruitment and 50% by promotion from amongst the teachers. There are 225 posts of Teachers and 17 posts of Assistant Supervisors under the Hindi Teaching Scheme.

(b) and (c). The judgment of the Delhi High Court is under examination in consultation with the Ministry of Law and the Union Public Service Commission.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम रेजिमेंटल संगठन

6564. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रांगण में कुछ मुस्लिम रेजिमेंटल संगठनों की यूनिटें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वन्य पशु शरण्य स्थल टेक्काडी (केरल) में पर्यटकों का आना कम हो जाना

6565. **श्री मंगलाथुमाडम :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में टेक्काडी के पर्यटन महत्व में हाल में कमी आई है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस विख्यात वन्य पशु शरण्य स्थल पर बहुत कम पर्यटक जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में अनुमानतः कितने पर्यटक टेक्काडी गये ;

(घ) वन्य पशु शरण्य स्थल का सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) इस वन्य पशु शरण्य स्थल का विकास करने में इस समय क्या रुकावटें हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार 1968-69 और 1969-70 में क्रमशः लगभग 57,515 और 60,000 पर्यटक वन्य पशु शरण स्थान देखने आये ।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार इस वन्य पशु शरण स्थान का सुधार करने के लिए एक मास्टर प्लान पर विचार कर रही है। भारत सरकार वन्य जीव पर्यटन के लिए किये अपने विनियतन में से कुछ धन राशि पेरियार के लिए भी नियत करेगी ।

उत्तर प्रदेश में होटलों तथा रेस्तरां की कमी

6566. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में होटलों तथा पर्यटक रेस्तरां की कमी है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1969 में पर्यटन से हुई आय इससे पूर्व के वर्ष में हुई आय की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है ;

(ग) इस सम्बन्ध में अनुभव की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार होटलों तथा रेस्तरां को ऋण देगी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये कितना धन नियत किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) देश में अच्छे होटलों और रेस्तरों की सामान्य रूप से कमी है और उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है ।

(ख) पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का आकलन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है न कि राज्यवार आधार पर। 1968 और 1969 में क्रमशः 26.42 करोड़ रुपये और 33.11 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) और (घ). अधिक होटलों के निर्माण के प्रोत्साहन के लिये, पर्यटन महत्व के क्षेत्रों में स्थित अनुमोदित होटल प्रायोजनाओं को ब्याज पर ऋण देने के लिये होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। रेस्टोरेंटों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधिकारियों के प्रशिक्षण की प्रणाली

6567. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :**

श्री स० कुन्दू :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये नई प्रणाली बनाई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नई प्रणाली के अनुसार भारतीय प्रशानिक सेवा के परिवीक्षाधिकारियों का प्रशिक्षण अधिक कड़ा तथा समस्या-प्रधान हो गया है । राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशानिक सेवा के परिवीक्षाधिकारियों का प्रशिक्षणकाल एक वर्ष का हुआ करता था जिसके बाद राज्यों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता था । व्यावहारिक प्रशिक्षण-काल भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न था । नई प्रणाली के अधीन, जो जुलाई, 1969 को लागू हुई थी, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में संस्थानीय प्रशिक्षण को छः छः महीने के दो भागों में बांट दिया गया है जिनके बीच में एक वर्ष का राज्यों में व्यावहारिक प्रशिक्षण रखा गया है । अकादमी में दूसरे भाग के प्रशिक्षण में मुख्यतः परिवीक्षाधिकारी के क्षेत्रीय अनुभव तथा प्रेक्षण पर आधारित प्रशासन की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जायेगा ।

त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान

6568. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रि-भाषा सूत्र में संस्कृत को समुचित स्थान देने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). शिक्षा आयोग द्वारा दी गई सलाह, जिसका बाद में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने समर्थन किया था और राज भाषा तथा अन्य भाषाओं के बारे में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किये गए संकल्प द्वारा भी जिसका समर्थन किया गया था यह है कि संस्कृत या अन्य किसी परिनिष्ठित भाषा को त्रिभाषा सूत्र में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि विभिन्न बातों के कारण त्रिभाषा सूत्र को केवल आधुनिक भारतीय भाषाओं तक ही सीमित रखना पड़ा है ।

तथापि केन्द्रीय संस्कृत परिषद, जिसमें सभी राज्य सरकारों और संस्कृत के विकास तथा प्रसार करने वाले विविध हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अपनी अगली बैठक में इस मामले के सभी पहलुओं पर आगे विचार करेगी ।

मुख्य मन्त्रियों तथा राज्य मन्त्रियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच

6569. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य मुख्य मंत्रियों तथा राज्य मन्त्रियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों में मामला जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था ;

(ख) प्रत्येक मंत्री के विरुद्ध क्या आरोप थे तथा जांच प्रतिवेदन क्या था।

(ग) उन मुख्य मंत्रियों तथा मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभियोग की सिफारिश की है ; और

(घ) उन मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध जांच अभी की जानी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया, केरल के भूतपूर्व श्रम मंत्री स्व० श्री मथाई मंजूरन ।

(ख) से (घ). श्री सुखाड़िया के विरुद्ध आरोपों का सम्बन्ध छोटी सदड़ी के श्री गुणवन्त लाल गोदावत द्वारा श्री गणपत लाल को सौंपे गए सोने के एक भाग के दुर्विनियोग से है । श्री मंजूरन के विरुद्ध आरोपों का सम्बन्ध आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के उल्लंघन से तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध करने से है ।

श्री मंजूरन के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने की सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठा क्योंकि जांच पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी । केन्द्रीय जांच आयोग छोटी सदड़ी सुवर्ण काण्ड की प्राथमिक जांच कर रहा है ।

Arrest of Terrorists in Delhi

6570. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some terrorists were apprehended in Delhi during the first fortnight of January, 1970 from whose possession a large quantity of arms were recovered ;

(b) whether it is also a fact that a big plan for murders and loot came to light as a result thereof ; and

(c) the total number of persons so far captured in this connection as also the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) On 2-1-1970. the Delhi Police apprehended two persons named Kulwant Singh and Sat Pal and took one 32 bore country made revolver and two spring actuated knives, one transistor radio, 4 wrist watches. several tins of Mobil oil paint and brushes and one blue coat from their possession.

(b) On interrogation of the above mentioned two persons it has come to light that they were members of a gang which consisted of 10 persons and who are responsible for several heinous crimes committed in various States.

(c) the Delhi Police have arrested three accused including Victor Singh an active

member of this gang. Two cases under section 25/54/59-Arms Act were registered in this connection by the Delhi Police which have since been challaned. As the accused were wanted in a number of cases of other States including Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan etc., they were taken for remand by Punjab Police in their cases.

संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के मापदण्ड

6571. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के लिये अन्य छोटे आधारों के अतिरिक्त यह मुख्य आधार है कि क्या सम्बन्धित क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर हैं ;

(ख) सरकार ने आर्थिक रूप से आत्म-निर्भरता की कोई परिभाषा या मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने के प्रश्न पर विचार करने के पहले कई बातों को जैसे कि आर्थिक प्रशासन तथा अन्य विचारों को ध्यान में रखना पड़ता है।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है।

Action against Officers of West Bengal for not Carrying out their Duties

6572. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of West Bengal has initiated action against some officers of the State Government for not carrying out their duties ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Disciplinary proceedings have been ordered against the S.D.O., Sadar, Burdwan and Addi ional S.P. Burdwan for dereliction of duty.

दिल्ली परिवहन की बसों में अपराध तथा गैर-कानूनी कार्य

6574. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन के अध्यक्ष ने दिल्ली परिवहन की बसों में अपराध तथा गैर-कानूनी कार्य को रोकने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन से यह अभिनिश्चित किया गया है कि उनको अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन

समिति ने दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में अपराध और अव्यवस्था को रोकने के उपायों के लिये लिखा है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को सतर्क कर दिया है कि वे दिल्ली परिवहन उपक्रम के बसों में अपराध और अव्यवस्था की शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करें ।

चण्डीगढ़ के प्रश्न के बारे में किये गये आन्दोलन के दौरान हरियाना में धर्मस्थानों को अपवित्र किया जाना

6575. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्त फतेह सिंह ने चण्डीगढ़ के प्रश्न के बारे में किये गये आन्दोलन के दौरान हरियाना में सिक्खों के धर्मस्थानों तथा धर्म ग्रन्थों को कथित अपवित्र किये जाने के बारे में अदालती जांच का आदेश देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई पत्र सरकार को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी के ज्ञान की अनिवार्यता सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के आदेशों की वैधता पर आपत्ति उठाने वाली प्रादेश याचिका

6576. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय में कोई ऐसी प्रादेश-याचिका दायर की गई है जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी के ज्ञान की अनिवार्यता सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के परिपत्रों तथा आदेशों की वैधता पर आपत्ति की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी में प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने वाले केन्द्रीय सरकार के आदेशों की वैधता पर आपत्ति करते हुए दो लेख याचिकाएं मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई हैं ।

(ख) मामला न्यायाधीन है । सरकार अभियोगों का प्रतिवाद कर रही है ।

विमान परिवहन व्यवस्था के बारे में भारत तथा सीरिया के बीच बातचीत

6577. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1970 में, विमान परिवहन व्यवस्था के बारे में सीरिया के सरकारी प्रतिनिधिमंडल तथा भारत के बीच नई दिल्ली में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा करण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) फरवरी, '66 में हुए अल्पकालिक समझौतों के अनुसार एयर इंडिया सीरिया के भू-भाग के ऊपर से उड़ान कर रही है तथा सीरियन अरब एयरलाइंस दमिश्क से दिल्ली तक सप्ताह में एक सेवा परिचालित कर रही है । सीरिया के प्राधिकारी इस बात के लिये दबाव दे रहे थे कि एयर इंडिया दमिश्क में अवतरण करें तथा सीरियन अरब एयरलाइंस को दिल्ली के लिये दूसरी आवृति की अनुमति दी जाये । हम सीरियन अरब एयरलाइन को दूसरी आवृति की अनुमति देने के लिए इस शर्त पर रजामन्द थे कि उसके द्वारा दिल्ली से वहन किये जान वाले तथा दिल्ली में उतरने वाले यात्रियों की संख्या सीमित की जाये तथा उसी प्रकार एयर इंडिया को भी सीरिया के भू-भाग के ऊपर से उड़ान करने का अधिकार हो तथा जब कभी आवश्यकता पड़े, दमिश्क में सप्ताह में दो बार अवतरण करने की भी अनुमति दी जाये और दमिश्क से लिए जाने वाले एवं वहां उतरने वाले यात्रियों पर उसी प्रकार की सीमा लगाई जाये । परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका ।

Courses of Study in Various Colleges

*6578. **Shri K M. Madhukar** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the statement made by the Chairman of the University Grants Commission at Lucknow in the second week of February, 1970 in which he had said that the courses in the various Colleges in the country have no relevancy with the actual prevailing conditions in the country and the latest achievements in Science and social studies ;

(b) if so, whether Government propose to make certain changes in the syllabus and the subjects being taught in the colleges ; and

(c) if not, whether Government consider that following the old system only would suffice ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) At the meeting of the Lucknow University Teacher's Association the Chairman of the University Grants Commission, in an extempore speech, spoke about the modernisation of curriculum and standards of education. The views expressed by the Chairman are in line with the recommendations made by the Education Commission (1964-66) in this regard.

(b) and (c). The Education Commission set up by the Government of India has made comprehensive recommendations for improvement of the educational system in India. These have been brought to the notice of the State Governments. Based on these recommendations, a National Policy on Education has also been formulated and announced. Every effort is being made to implement this policy within the available resources.

Appointment in C.S.I.R. of a Dismissed Police Constable

6579. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dismissed Police Constable of the Delhi Police has been appointed as a Lower Division Clerks in the C.S I R , Rafi Marg, New Delhi ;

(b) if so, whether provisions for making such appointments exist in the recruitment ıles of the said institution ;

(c) whether it is also a fact that the Police Officials and the officials of the said ıstitution have received complaints to the effect that the sa d Constab e has changed his nd his father's name after a living bonafide person of Delhi ; and

(d) if so, the complete details of action being taken by the concerned officials in his regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Prof. V. K. R. V. Rao) : (a) Complaints have been received by the C.S.I.R. in February. 1969 from an individual and ater through the Additional Superintendent of Police, New Delhi, in March, 1970 stating hat a person who was recruited in Delhi Police in 1954 and was dismissed in February, 1959 for misconduct has been employed by the Council.

(b) No, Sir. The appointment of the person concerned was made in May, 1962 after due verification of his character and antecedents through the Police in accordance with the procedure followed by the C.S.I.R. in respect of all appointments.

(c) Yes, Sir. Complaints to this effect have been received.

(d) The matter is under examination.

Reservation of Quota for S.C & S.T. for Posts of Vice-Principal in Education Department of Delhi Administration

6580. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rules framed by his Ministry in respect of the reservation of posts for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being observed *in toto* in the Education Department of the Delhi Administration ;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid rules are not applicable in the matter of promotions to the posts of Vice-Principals in the Education Department of the Delhi Administration ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The information is being collected from the Delhi Administration and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

त्रिपुरा में नक्सलवादी गतिविधियां

6581. **श्री किरित विक्रमदेव वर्मन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1970 के त्रिपुरा टाइम्स में "त्रिपुरा में बढ़ती हुई नक्सलवादी गतिविधियां" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार के पास इस इस बात की भी जानकारी है कि उनका कार्यक्रम क्या है, जैसा कि उक्त समाचार में कहा गया है तथा उनका काम करने का तरीका क्या है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने तथा इन पर प्रभावी प्रतिबन्ध लगाने के बारे

में जिनसे कि उस संघ राज्य-क्षेत्र की विधि तथा व्यवस्था की स्थिति को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). त्रिपुरा सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

त्रिपुरा के कर्मचारियों की मांग

6582. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी शेष 19 मांगें को मनवाने के लिए बड़ी हड़ताल तथा अन्य ऐसी कार्यवाहियां करके हाल में आन्दोलन करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या इनमें से कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इससे वार्षिक कितना अतिरिक्त खर्च होने की सम्भावना है ; और

(घ) शेष माँगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा सीमा-क्षेत्र में समाज विरोधी गतिविधियां

6583. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च, 1970 के "त्रिपुरा टाइम्स" में "त्रिपुरा सीमा-क्षेत्र में समाज विरोधी गतिविधियों में वृद्धि" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा सीमा-क्षेत्रों में सामान्य जीवन-यापन की स्थिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मार्च, 1970 में समाप्त होने वाली तिमाही में त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर हत्या, पशु को हांकना, डकैती, अपहरण इत्यादि समेत सीमा अपराधों में पिछली तिमाहियों की तुलना में ऐसी घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई हैं । सीमा-सुरक्षा दल पाकिस्तान-त्रिपुरा सीमा पर निरन्तर निगरानी रख रहा है और सीमा के आर-पार के अपराधों को रोकने के लिये प्रायः कड़ी गश्त लगाई जा रही है । सामान्य सीमा समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा समय-समय पर उत्पन्न विशेष विवादों को दूर करने के लिये भारतीय सुरक्षा दल और पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के प्रतिनिधियों के बीच भी सीमा बैठकें होती हैं । परिणामस्वरूप सीमा पार अपराध प्रभावकारी नियंत्रणाधीन हैं ।

Procession-Oriented Education System

*6584. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Lord A. Butler of Britain had met him on the 17th March, 1970 and had discussion regarding change of educational system in order to make it profession oriented ;

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto after the said talks and the scheme Government propose to formulate in this regard and the nature of other matters discussed with him ; and

(c) whether Government propose to appoint an enquiry committee on the lines of one appointed hy the Government of Britain in order to look into the question of adult education and, if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Lord Butler met me on 17th March, 1970 and we had a general exchange of views on educational matters. Among the points touched were the need for giving a vocational bias to education, linking admissions to employment opportunities, adult education, use of radio and television in education.

Government are aware of these problems. In fact these problems have received a comprehensive treatment in the Report of the Education Commission. The main issue now is to take practical steps for achieving the desired objectives.

Within the financial, constitutional and other practical constraints attending these problems, the Central Government is trying to do what it can in the matter.

(c) There is no such proposal. However, Government have already set up a National Board of Adult Education, which will took into and advise on adult education programmes for the country.

Deductions of Income-tax from Pay-Bills of Teachers in Delhi

6585. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that deduction on account of income-tax are not made from the pay-bills of the teachers working in the schools of Delhi every month but such deductions are made in lump-sum at the end of the year ;

(b) if so, the reasons therefor when such deductions are made from the pay-bills of the Government employees every month ;

(c) whether Government are aware of the financial difficulty to which the teachers are subjected at the end of the year ;

(d) whether Government would take steps to ensure that such deductions are made from the pay-bills of the teachers every month so that they may get some relief ; and

(e) if so, when and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (e). The requisite information is being collected from the educational authorities concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

सिंधी भाषा सम्मेलन

6586. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल भारत सिंधी बोली, साहित्य, कला तथा तालीम संस्था के अध्यक्ष ने उनपर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित सिंधी भाषा सम्बन्धी सम्मेलन में उन व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति न देकर सम्मेलन की कार्यवाही में गतिरोध पैदा किया है जो कि अरबी लिपि को जारी रखने के पक्ष में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय ने 16 मार्च, 1970 को, विश्वविद्यालय-स्तर पर सिंधी में उपयुक्त साहित्य और पुस्तकें तैयार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये प्रमुख सिन्धी विद्वानों और शिक्षाविदों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था । चर्चा के दौरान सिन्धी भाषा में पुस्तकें तैयार करने के लिये लिपि के प्रयोग के बारे में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये गये थे । कुछ विद्वानों ने अरबी लिपि का समर्थन किया था और कुछ अन्य विद्वानों ने देवनागरी लिपि का ।

लिपि के प्रश्न पर और आगे विवाद से बचने के लिए शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि अरबी और देवनागरी दोनों ही लिपियों में सिन्धी पुस्तकें तैयार करने हेतु सरकार वित्तीय सहायता देने के लिये तैयार है । इस सुझाव को सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया था । अरबी लिपि का समर्थन करने वाले कुछ सदस्यों ने, जिनमें कुमारी पोपती हरिनन्दनी भी शामिल हैं, जिन्हें "कुल भारत सिन्धी बोली, साहित्य, कला और तालीम संस्था" की अध्यक्षा बताया जाता है, बाद में एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि सम्मेलन में उन्हें अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करने दिया गया ।

आगरा में बन्दूक तथा पिस्तौल बनाने वाले कारखाने का पता लगाया जाना

6587. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में बन्दूक तथा पिस्तौल बनाने वाले एक छोटे कारखाने का मार्च, 1970 में पता लगाया गया था तथा क्या कोई गिरफ्तारी की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं और सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 14 मार्च, 1970 को आगरा में एक अवैध कारखाने का

पता लगाया गया। कारखाने के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। बरामद की गई वस्तुओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

14 मार्च, 1970 को आगरा में पता लगाये गये शस्त्र कारखाने से बरामद की गई वस्तुओं की सूची

1. दो लाइसेन्सशुदा जो बन्दूकें लाइसेन्स धारकों द्वारा मरम्मत के लिए दी गई थीं।
2. बिना लाइसेन्स के शस्त्र तथा गोला-बारूद :
   (1) 12 बोर की 4 देशी पिस्तौलें।
   (2) एक देशी डी०बी०एम०एल० बन्दूक।
   (3) बन्दूक की 12 नालें।
   (4) 12 बोर का हाथ से भरा गया एक कारतूस।
   (5) पीतल के 4 खोखले कारतूस।
   (6) 1,100 टिकलियां।
3. बन्दूक के कुछ फालतू पुर्जे।
4. शस्त्रों को बनाने/मरम्मत करने के लिये कुछ औजार तथा मशीनें।

आसाम की राजधानी का शिलांग से हटाया जाना

6588. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने अपनी राजधानी को शिलांग से हटा कर किसी अन्य स्थान पर ले जाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता-कूच बिहार तथा रूपसी (आसाम) के बीच विमान सेवा सम्पर्क

6589. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय कलकत्ता तथा कूच-बिहार विमान सेवा का रूपसी (आसाम) तक विस्तार करने का विचार करेगा ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में रूपसी अर्थात् आसाम में गोलपारा जिले के लोगों ने अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इंडियन एयर-लाइन्स अपनी कलकत्ता से कूच-बिहार के लिए सेवा बागडोगरा से होकर चलाती है । रूपसी का हवाई अड्डा केवल डकोटा परिचालनों के लिये उपयुक्त है तथा कारपोरेशन इन विमानों को अपने हवाई बेड़े से क्रमश: समाप्त करती जा रही है । कारपोरेशन अनुभव करती है कि कलकत्ता और रूपसी के बीच हवाई यातायात फिलहाल इतना पर्याप्त नहीं है कि उससे इन दोनों स्थानों के विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने के औचित्य सिद्ध हो सके ।

आशुलिपिक ग्रेड III के लिये आशुलिपि में दोहरी परीक्षा

6590. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने सभी मन्त्रालयों को उन स्टेनों-टाइपिस्टों के, जिन्हें उनके सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा परीक्षा लेने के बाद नियुक्त किया गया है, आशुलिपि में आशुलिपिक ग्रेड III पदों के लिये दूसरी परीक्षा के हेतु नाम भेजने का निदेश जारी किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सम्बन्धित मत्रालयों ने भी सचिवालय प्रशिक्षणशाला की तरह की एक परीक्षा ली है ; और

(ग) यदि उपरोक्त विभाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो उनके मंत्रालय द्वारा स्टेनों-टाइपिस्टो को सचिवालय प्रशिक्षणशाला द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी ही परीक्षा में फिर से उत्तीर्ण होने के लिये क्यों बाध्य किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). मन्त्रालयों/विभागों द्वारा स्थानीय रूप से ली गई परीक्षाओं के आधार पर उनके द्वारा नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों को, केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवा नियमावली 1969 के अधीन 1-8-1969 से, जब उक्त नियम लागू हुए, दो वर्ष के भीतर सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली जाने वाली हिन्दी अथवा अंग्रेजी आशुलिपि में अर्हक परीक्षाएं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से पास करनी पड़ेगी । इस प्रयोजन के लिये उनको चार तक अवसर दिये जायेंगे । मन्त्रालयों/विभागों द्वारा की गई परीक्षाएं समान स्तर की नहीं थीं और इसलिये सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली जाने वाली परीक्षा पास करने हेतु उपरोक्त श्रेणी के आशुलिपिकों के परीक्षण के लिए नियमों में व्यवस्था है ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि केवल वे ही, जो दक्षता के न्यूनतम स्तर पर पहुंचते हैं, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी III में अन्तिम रूप से शामिल किये जाते हैं ।

हैदराबाद में कोयला गैसीकरण संयंत्र

6591. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह**: क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद स्थित प्रादेशिक प्रयोगशाला द्वारा स्थापित किया गया कई लाख रुपये की लागत का कोयला गैसीकरण संयंत्र बेकार पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय इसे अपने नियन्त्रण में लेने के लिये तैयार नहीं हुआ है ; और

(ग) इस संयंत्र का इस समय क्या उपयोग किया जा रहा है और इसका ब्यौरा क्या है और इस संयंत्र में लगाये गये धन को बेकार न जाने देने के लिये सरकार का क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद (आर०आर०एल०) में कोयला गैसीकरण संयंत्र अभी नहीं लगाया गया है। 35.12 लाख रुपये संयंत्र पर अब तक खर्च किए जा चुके हैं और चालू विनिमय दर पर आधारित 33.38 लाख रुपये फ्रेंच-ऋण के अन्तर्गत भुगतान के लिये वचनबद्ध है।

(ख) और (ग). पैट्रोलियम तथा रसायन और खान व धातु मन्त्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय उर्वरक निगम (एफ०सी०आई०) इस संयंत्र के कुछ हिस्सों को लेना चाहता है। 'लुर्गी' प्रक्रिया पर आधारित हैदराबाद का संयंत्र भारतीय उर्वरक निगम के उपयोग का नहीं है क्योंकि भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने उर्वरक संयंत्रों के लिये कोपर्स गैसीकरण प्रक्रिया को अपनाने की सिफारिश की है।

इसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार किया जा रहा है :

(1) यह जानने के लिये विज्ञापन देना क्या इस संयंत्र में दूसरी पार्टियां दिलचस्पी रखती हैं।

अथवा

(2) आंध्र प्रदेश सरकार को संयंत्र इस अनुरोध के साथ सौंपना कि वे प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, (आर०आर०एल०) हैदराबाद की तकनीकी सहायता से संयंत्र का संचालन करने के लिये जिम्मेदारी लें क्योंकि पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय उर्वरक निगम (एफ०सी०आई०) 'कोपर्स' प्रक्रिया पर (और 'लुर्गी', गैसीकरण प्रक्रिया पर नहीं) अपने उर्वरक सयंत्र चला रही है।

अथवा

(3) प्रयोगशाला के प्रांगण में संयंत्र खड़ा करने के लिये प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर०एल०) हैदराबाद को दिया जाए और कानेसमिति की वैकल्पिक

सिफारिशों के अनुसार कुछ दिनों के लिए जांच-यूनिट के रूप में इसका संचालन किया जाए ।

उड़ीसा में प्रशासनिक सुधार

6592. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 जनवरी, 1970 को "हिन्दू" में "प्रशासन को कार्यकुशल बनाने के लिये उड़ीसा की योजना" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए एक लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उन्होंने उड़ीसा सचिवालय में लाल फीताशाही को समाप्त करने के लिये उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा किये गये विशेष प्रयत्नों पर ध्यान दिया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक विलम्बों को दूर करने के लिये की गई अथवा विचाराधीन कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रतीत होता है कि उड़ीसा योजना में वर्तमान अनुदेशों और अन्य ज्ञात कार्य विधियों को न कि नये उपायों को लागू करने पर बल दिया है । केन्द्रीय सरकार के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों में प्रशासन में सुधार करने तथा विलम्बों को दूर करने के लिये भी कई प्रस्ताव दिये हैं । इन में से कुछ को कार्यरूप दिया गया है । अन्य विचाराधीन है ।

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय से पुस्तकें दिये जाने के बारे में शिकायतें

6593. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय में से बहुत-सी महत्वपूर्ण पुस्तकें गुम हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अधिकारी नवीनतम पुस्तकों का लाभ उठा रहे हैं और अन्य लोगों को कह दिया जाता है कि वे पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं अथवा दी जा चुकी हैं : और

(ग) यदि हां, तो क्या उसका मंत्रालय कर्मचारियों की इन शिकायतों पर विचार करेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, जिससे यह पता चले कि केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय से बहुत-सी महत्वपूर्ण पुस्तकें गुम हैं । केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय, जिसमें लगभग 3,00,000 से अधिक

पुस्तकें हैं. कुछ समय पहले नार्थ ब्लाक से नये भवन में स्थानान्तरित किया गया था। सभी पुस्तकों को अभी शैल्फों पर नहीं रखा जा सका है। इसलिए, कभी-कभी किसी अपेक्षित पुस्तक को तत्काल ढूंढ़ पाना आसान नहीं है।

ग्रन्थालय के लिए पुस्तकें प्राप्त हो जाने के पश्चात् सामान्यतः पुस्तकें यथा संभव शीघ्र ही वितरणार्थ प्रस्तुत कर दी जाती हैं। कभी-कभी जब किसी पुस्तक की भारत सरकार के सरकारी काम के लिए जरूरत होती है, तो इस प्रकार के मामलों में, ऐसी पुस्तक सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है कि कुछ अधिकारियों को नवीनतम पुस्तकों के दिये जाने में प्राथमिकता दी जाती है।

भारत में रहने के इच्छुक पाकिस्तानी राष्ट्रजन

6594. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1964 से जनवरी 1970 तक की अवधि में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने भारत में रहने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को यहां पर रहने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को भारत को छोड़ जाने के नोटिस दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाओं को छिपाना

6595. **श्री ज्योतिमर्य बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों में विस्तृत रूप से हुए अपराधों को छिपाने तथा उनकी संख्या कम-से-कम बताने के बारे में 26 फरवरी, 1970 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए एक समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधों को छिपाने तथा उनकी संख्या कम से कम बताने की जांच करने के लिए एक जाँच आयोग नियुक्त करने का फैसला किया है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा स्थापित टेलीफोन सेवा तथा हिन्दी सूचना केन्द्र का कार्यकरण

6596. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने नई दिल्ली में एक टेलीफोन सेवा तथा हिन्दी सूचना केन्द्र स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या वे संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं और क्या उनकी उपयोगिता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) (1) सरकारी तथा निजी कार्यालयों में दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय बताने के लिए अक्तूबर, 1968 में टेलीफोन सूचना सेवा को शुरू किया गया था । औसतन 35 प्रश्न प्रतिदिन पूछे जाते हैं ।

(2) सूचना देने के केन्द्र के रूप में, जो कि मुख्यतया निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं, हिन्दी सूचना केन्द्र जुलाई, 1966 में शुरू किया गया था :—

(i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों आदि में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग ;

(ii) स्कूल तथा कालेजों के विभिन्न स्तरों पर हिन्दी को अनिवार्य/ऐच्छिक विषय के रूप में लागू करना ;

(iii) विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान केन्द्रों में हिन्दी में शोध कार्य तथा शिक्षण की सुविधाएं देना ;

(iv) स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों की उपलब्धियां तथा उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं ।

(ग) जी हां । जनता से प्राप्त हुए प्रत्युत्तर से इसकी उपयोगिता प्रतीत होती है । किन्तु अभी तक इसका कोई भी औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

मोटर गाड़ियों के आवागमन पर लगे प्रतिबन्धों को नर्म करना

6598. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच मोटर गाड़ियों के आवागमन पर लगे वर्तमान मार्ग-बार तथा प्रादेशिक प्रतिबन्धों को नर्म करने का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) और (ख). सारे राज्य में मान्यता वाले जनता वाहक परमिट अब 16 राज्यों (जम्मू और कश्मीर के सिवाय सब राज्यों) में दिये जाते हैं, जब कि 1966 में वे केवल 6 राज्यों में दिये जाते थे । अंतर्राज्यीय परमिट जारी करने के लिये सामान्यत: संलग्न राज्यों के बीच पारस्परिक करार हैं । असंलग्न राज्यों में भी अंतर्राज्यीय परिवहन आयोग 11 करार करवाने में सफल हुआ है ।

2. ग्रामीण परिवहन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता की सिफारिश परिवहन नीति

तथा समन्वय समिति ने की थी और परिवहन विकास परिषद ने भी जून, 1968 को हुई अपनी बैठक में इस पर बल दिया था। परिषद ने निश्चय किया कि राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन विकास के लिये विशेष उपायों पर विचार करना चाहिये जिनमें प्रोत्साहन देना भी शामिल है। यह सिफारिश राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों को भेज दी गयी थी क्योंकि सड़क परिवहन की कार्यकारी जिम्मेदारी उन्हीं की है।

दिल्ली में उग्रपंथी शक्तियों का पनपना

6599. **श्री गाडिलिंगन गौड :**

श्री क० मि० मधुकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 फ़रवरी, 1970 को कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के हिंसा पर आमादा एक दल द्वारा भारतीय साम्यवादी दल की तीन शाखा कार्यालयों पर छापा मारने और अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस के नेता पर घातक हमला करने के प्रयत्न से सरकार को दिल्ली में उग्रपंथी शक्तियों के पनपने का पता चला है ; और

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई थी, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 27 फरवरी, 1970 के प्रातः चौथे संघ के 350/400 श्रमिकों के श्रम नेता श्री बी० डी० जोशी, पर प्रहार किया तथा उसके संघ के कार्यालय पर आक्रमण किया। सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तथा श्री जोशी को बचाया। उनको अत्यन्त घायल अवस्था में अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था। पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है तथा 38 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। मामले की जांच पड़ताल हो रही है।

उसी दिन प्रातः लगभग 7 बजकर 30 मिनट पर 200/250 श्रमिकों का एक दल गया और सब्जी मंडी घंटाघर के समीप भारतीय साम्यवादी दल के शाखा कार्यालय पर आक्रमण किया। उन्होंने कार्यालय के भीतर व्यक्तियों पर भी प्रहार किया। एक मामला दर्ज किया गया और नौ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। मामले की जाँच पड़ताल हो रही है।

कलकत्ता में बिड़ला फर्मों के अधिकारियों पर हमले

6600. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता में बिड़ला फर्मों के वरिष्ठ अधिकारियों पर 26 फरवरी, 1970 को किये गये हमलों का कोई समाचार प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या मामले की कोई जाँच कराई गई थी और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

6601. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1969 में केन्द्रीय सरकार के कितने राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किये हैं ; और

(ख) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है और कितने मामलों का अभी निर्णय किया जाना शेष है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1969 के वर्ष में केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने 1238 मामले दर्ज किये जिनमें 395 राजपत्रित अधिकारी और 1304 अराजपत्रित अधिकारी अन्तर्गस्त थे ।

(ख) की गई कार्यवाही के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

परीक्षण के लिए भेजे गये मामले	78
विभागीय कार्यवाही के लिए सूचित किये गये	612
साक्ष्य के अभाव में समाप्त कर दिये गये	36
स्थानीय पुलिस को हस्तांतरित मामलों समेत अन्यथा निपटाये गये	23
जांच अथवा निर्णय अधीन	489

लोक सभा के प्रतिपक्षी नेता पर आक्रमण

6602. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री लोबो प्रभु :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा में उनके समकक्ष नेता पर, जब वह 13 मार्च, 1970 को डीलक्स गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, किये गये आक्रमण के बारे में राज्य सभा में प्रतिपक्षी नेता से उन्हें कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की जांच की गई है ; और

(ग) दोनों नेताओं के जीवन की सुरक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मामले में जांच पड़ताल कर रही है, सूचित किया है कि अब तक की गई जांच-पड़ताल से यह प्रकट नहीं हुआ है कि लोक सभा में प्रतिपक्षी नेता के जीवन को खत्म करने का कोई प्रयास किया गया था । जांच-पड़ताल अभी जारी है ।

(ग) नेताओं के जीवन की आवश्यक सुरक्षा के लिए प्रबन्ध स्थिति की अपेक्षाओं के अनुसार किए जाते हैं ।

स्थायी तथा अस्थायी अधिकारियों के लिए पदोन्नति के समान अवसर

6603. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि वरिष्ठता तथा पदोन्नति के अवसरों के मामले में स्थायी तथा अस्थायी अधिकारियों में असमानता को समाप्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेद भाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्वयं अपने प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है। अतः सरकार द्वारा अध्ययन दल की सिफारिश पर कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान में मनीपुरी युवकों की गिरफ्तारी

6604. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक व्यक्ति को मार कर तथा अन्य कई व्यक्तियों को घायल करके मनीपुर के आठ युवक त्रिपुरा में धर्मनगर जेल से बच कर पाकिस्तान चले गये थे और उन्हें हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में वे धर्मनगर जेल से बचकर भाग निकले थे और उनके इस प्रकार बचकर भाग निकलने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उन्हें पाकिस्तान से अपने कब्जे में लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) तथा (ख). 26 फरवरी, 1970 को रात्रि के लगभग दो बजे 8 अभियुक्त कैदी 3 जेल बार्डरों को गम्भीर रूप से घायल करने के बाद त्रिपुरा की धर्मनगर उप-जेल से भाग गये घायल बार्डरों में से एक घावों के कारण बाद में मर गया। समझा जाता है कि वे पूर्वी पाकिस्तान चले गये हैं और यह कि वे पाकिस्तान पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जेल हिरासत में रखे दिए गए हैं। एक जेल बार्डर को मुअत्तल कर दिया गया है और मुकदमा चलाया जा रहा है।

(ग) त्रिपुरा सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य सचिव को कैदियों को शीघ्र लौटाने के लिए पत्र लिखा है।

गुजरात के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक की बहाली

6605. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक, श्री नगर वाला को बहाल करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को किस तारीख को आदेश दिए थे ;

(ख) क्या श्रीनगर वाला को इस बीच बहाल कर दिया गया है और यदि हां, तो किस तारीख से और यदि नहीं, तो गुजरात सरकार द्वारा उन्हें अब तक बहाल न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनकी शीघ्र बहाली के लिए गुजरात सरकार को कोई आदेश दिये जाने हैं और यदि हां, तो कब ; और

(घ) अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के मामलों में राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के आदेशों का उल्लघन किये जाने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों पर किस प्रकार का नियन्त्रण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). श्री जे० डी० नगरवाला को सेवा में बहाल करते हुए आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा 3-12-1969 को जारी किए गये थे। गुजरात सरकार द्वारा उन्हें पहले उक्त तारीख से विशेष कार्य अधिसंख्य अधिकारी के रूप में तथा बाद में विशेष कार्य अधिकारी भुज के रूप में नियुक्त किया गया।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की शक्ति बढ़ाना

6606. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन राज्यों में जहां शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की शक्ति बढ़ाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). इस बात को ध्यान में रखकर कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दस्ते उपलब्ध कराने के लिए, जब उन्हें सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए भेजने की आवश्यकता पड़ती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये दस्ते कम से कम समय में भेजे जा सकें, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दस्ते देश के विभिन्न भागों में सुविधाजनक स्थानों में रखे जाते है।

इस समय दल की शक्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आई० एन० ए० हवाई अड्डा रिहायशी कालोनी, नई दिल्ली में गन्दगी

6607. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली नामक हवाई अड्डा रिहायशी बस्ती की दशा खराब है और वहां पर जरा भी सफाई नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बस्ती की दशा सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार इस कालोनी में सुधार करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है।

(ख) उपचारी कार्यवाही की जा रही है। अपेक्षित कुछ छोटे-मोटे काम पूरे हो चुके हैं। स्टाफ के प्रतिनिधियों सहित नागर विमानन विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रवर अधिकारी प्रतिमास कालोनी का एक निरीक्षण करते हैं तथा जहां कहीं आवश्यक होता है तत्काल सुधार कर दिए जाते हैं।

थेक्काडी वन्य पशु शिकार निषिद्ध क्षेत्र में से शेर लुप्त होना

6608. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री ई० के० नायनार :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व केरल में थेक्काडी के अन्य पशु शिकार निषिद्ध क्षेत्र में 40 शेर थे ;

(ख) क्या अब वहां एक शेर भी नहीं रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि शेरों के लुप्त होने से उस शिकार निषिद्ध क्षेत्र में दर्शकों की संख्या में कमी हो गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां। यह अनुमान लगाया गया था कि उक्त वन्य पशु शरण-स्थान में लगभग 40 शेर थे।

(ख) जी, नहीं। शरण-स्थान में अब भी शेर हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। पिछले वर्षों की तुलना में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

कलकत्ता से रक्सौल तक अनिश्चित विमान सेवा

6609. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के आर के विमान परिवहन ने कलिंग एयरलाइन्स से एक विमान किराये पर लेकर 16 फरवरी, 1970 कलकत्ता से रक्सौल तक दैनिक अनिश्चित विमान सेवा आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में किये गये समझौते की क्या शर्तें हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। कलकत्ता के मैसर्ज आर०के० एयर ट्रांसपोर्ट के पास विमान परिवहन परिचालनों के लिए कोई परमिट नहीं हैं। परन्तु कलकत्ता भागलपुर-पटना-मुजफ्फरपुर-रक्सौल और वापसी मार्ग पर 16 फरवरी, 1970 से कालिंगा एयरलाइन्स द्वारा दिन-प्रति-दिन आधार पर अनुसूचित उड़ानें परिचालित की जाती हैं।

भारत अमरीका पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकें छापना

6610. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अमरीका पाठ्य-पुस्तक कार्यक्रम (1961) के अन्तर्गत 1962 से 1969 तक कुल कितनी पाठ्य-पुस्तकें भारत में मुद्रित की गई ; और

(ख) गत तीन वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने भारतीय प्रकाशकों को ठेका दिया गया तथा उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1000 से कुछ अधिक।

(ख) 21 (सूची सभा पटल पर रख दी गई है)। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3225/70]

कालेजों के लिए कम मूल्य की पाठ्य-पुस्तकें मुद्रित करने की योजना

6611. **श्री के० रमानी :**
श्री प० गोपालन :
श्री गणेश घोष :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता संघों के महासंघ ने सरकार को कालेज तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए कम मूल्य वाली पाठ्य-पुस्तकें मुद्रित करने की एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवक मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

बड़े शहरों में साम्यवादी साहित्य का वितरण

6612. **श्री जुगल मंडल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई सौ उच्च वेतन प्राप्त युवा लोग बड़े शहरों में साम्यवादी साहित्य के वितरक और अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार अभियान के लिये धन देने वाले साधनों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है। तथापि 14 मई 1969 को गृह-मंत्री द्वारा, गत आम चुनाव में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी धन के प्रयोग पर आसूचना विभाग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य के पैरा 6 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

एक ही स्थान पर कर लेने की व्यवस्था पर आधारित यातायात वाहनों का अबाध आना जाना

6613. **श्री नम्बियार** : **श्री सत्य नारायण सिंह** :
श्री गणेश घोष : **श्री पी० पी० एस्थोस** :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय यातायात आयोग एक ही स्थान पर कर लेने की व्यवस्था पर आधारित यातायात वाहनों के अबाध आने जाने के लिए पश्चिम, उत्तर, मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में क्षेत्रीय करार करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दक्षित क्षेत्र परमिट योजना के कार्य संचालन का ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह). (क) जी हां।

(ख) और (ग). अभी तक माल वाहकों के परिचालय के लिये क्षेत्रीय योजना अर्थात् दक्षिणी क्षेत्र परमिट योजना प्रवृत हुई है। इस प्रयोजन के लिये 1966 के अन्त तक अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग के तत्वावधान में आंध्र प्रदेश, केरल, मद्रास (अब तामिलनाडु) महाराष्ट्र और मैसूर के पाँच राज्यों के बीच एक करार किया गया। यह योजना 1 जनवरी 1967 से प्रवृत हुई। करार की मुख्य बातें नीचे दिखाई गई हैं :

(1) इस करार के अधीन चलने वाले माल वाहक इन पांच राज्यों में किसी विशिष्ट सड़कों पर एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक बिना प्रति हस्ताक्षर प्राप्त किये माल ले जा सकते हैं और इकहरे बिन्दु कराधान प्रणाली पर परिचालन कर सकते हैं ;

(2) करार पांच वर्षों की अवधि के लिये बंधनकारी है।

(3) करार कुल 1000 माल वाहकों (जनता वाहन) पर लागू होगा प्रत्येक हस्ताक्षर

करने वाला राज्य 200 तक संयुक्त परमिट जारी करेगा। परमिट करार में निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये वैध होगा।

(4) इस योजना के अधीन चलने वाली गाड़ी मोटर गाड़ी कर और अपने राज्य के मालकर के अतिरिक्त 500 रु० की राशि प्रति वर्ष अपने राज्य के अलावा प्रत्येक चार हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को देगा।

जैसे ऊपर दिखाया गया है मूल रूप से विशेष पारस्परिक करार पंच राज्यीय करार था। योजना की कार्य प्रणाली की जुलाई 1969 में परिवहन आयुक्तों की बैठक में समीक्षा की गई जब यह मान लिया गया कि दक्षिणी क्षेत्र योजना को बड़ा कर दिया जाये ताकि गुजरात और पाँडिचेरी सहित यह सप्त-राज्यीय योजना बन जाये। बैठक में यह भी मान लिया गया कि परिवर्धित दक्षिणी क्षेत्र योजना में प्रत्येक चालक को गाड़ियां चलाने के लिये कम से कम पांच राज्य चुनने का विकल्प होगा अर्थात् गृह राज्य के अलावा चार अन्य राज्य। यह भी सहमति हुई कि प्रत्येक राज्य मिश्रित परमिटों की संख्या 200 से बढ़ाकर 300 कर दें। जहां तक पांडिचेरी का संबंध है यह संख्या 50 होगी। इसके अलावा यह भी सहमति हुई कि पांडिचेरी की मोटर गाड़ियां सारे कर गृह राज्य में चुकायेगी और 500 रु० प्रति गाड़ी वार्षिक उन प्रत्येक राज्यों को देगी जहां वह चलाई जायेगी परन्तु अन्य राज्यों के चालकों को पांडिचेरी को प्रत्येक गाड़ी के लिये 125 रुपये वार्षिक देना होगा।

परिवर्धित दक्षिण क्षेत्र योजना को अन्तिमरूप दिया जा रहा है और इस योजना के 1970 के मध्य तक लागू होने की संभावना है।

अन्य क्षेत्रीय योजनायें :

दक्षिण क्षेत्र योजना, जो पहले ही जारी है, के आधार पर अन्य क्षेत्रों के लिये संगत योजनाएं बनाने के लिए अ०रा०प०आ० द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं। वे पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र योजनायें हैं। पश्चिमी क्षेत्र योजना के संबंध में कई विचार विमर्श पहले ही हो चुके हैं। इस योजना के सामान्य सिद्धांत मोटे तौर पर दक्षिणी क्षेत्र योजना की तरह होंगे यद्यपि संमिश्रित परमिट धारी द्वारा इसमें भाग लेने वाले राज्य को चुकाये जाने वाली राशि भिन्न हो सकती है। आशा की जाती है कि पश्चिमी क्षेत्र योजना के अंतर्गत ये राज्य/संघ प्रशासन आयेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। उत्तरी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः भारत के अधिकांश उत्तरी और पूर्वी राज्य शामिल करने का प्रस्ताव है। मध्य क्षेत्र योजना में ये पांच राज्य आयेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन योजनाओं के निरुपण के लिये विभिन्न राज्यों के साथ वार्तायें हो रही हैं।

दिल्ली में अपराध

6614. **श्री बलराज मधोक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में गम्भीर अपराधों, जिनमें हत्या तथा डकैती शामिल हैं, की श्रेणीवार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने अपराधों का पता लगाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सी हत्याओं के मामलों में अपराधियों का पता नहीं लग सका है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1-10-69 से 31-3-70 तक की अवधि में दिल्ली में सूचित किये गये विभिन्न शीर्षों के अधीन गम्भीर अपराधों (नृसंश) की कुल सख्या इस प्रकार है :—

डकैती	9
हत्या	52
हत्या का प्रयत्न	42
लूट	94
दंगे	71

(ख) अपराधों के विभिन्न शीर्षों के अधीन मामलों के निपटाने के संबंध में वर्तमान स्थिति का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अपराध का शीर्ष	सूचित किये गये	समाप्त किये गये	चालान किये गये	दोष सिद्ध	दोष मुक्त	न्यायाधीन	लापता	जांचाधीन
डकैती	9	1	—	—	—	—	—	8
हत्या	52	2	6	—	—	6	3	41
हत्या का प्रयत्न	42	—	11	1	—	10	2	29
लूट	94	11	7	—	—	7	12	64
दंगे	71	—	14	—	—	14	4	53

(ग) 52 मामलों में से हत्या के केवल 3 मामले भेज दिये गये हैं जिनका पता न लग सका क्योंकि अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Agitation in Manipur

6615. **Shri Balraj Madhok** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agitation has been going on in Manipur involving large scale arrests for some time past ; and

(b) if so, what are the main demands of the agitators and what steps have been taken to consider and meet these demands ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) nd (b). There has been an agitation in Manipur for grant of statehood to that Union territory. Some arrests have been made by the Manipur Administration in this connection. Demand for statehood for Manipur can be considered when the financial resources of the Union territory are sufficiently dev-loped to meet its administrative expenditure. At present the Union territory is depending on Central assistance to a large extent even to meet its non-plan revenue expenditure.

ड्राइवरों के प्रशिक्षण की अवधि के बारे में मैसूर मोटर-गाड़ी नियम, 1963 के नियम, 5(7) को हटाना

6616. **श्री लोबो प्रभु** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक संसद सदस्य के मोटरगाड़ी अधिनियम, 1969 की धारा 21 में इस संशोधन के संबंध में कि कम हैसियत वाले व्यक्तियों पर प्रशिक्षण भार अधिक नहीं डाला जाना चाहिए, उनके आश्वासन के संदर्भ में क्या मैसूर सरकार मैसूर मोटरगाड़ी नियम, 1963 के नियम 5(7) को अनुसूचित रूप से नहीं हटा रही है ;

(ख) क्या इस संशोधन का यह अर्थ नहीं होगा कि ड्राइवरों को माध्यम आकार की मोटर गाड़ी के प्रशिक्षण के लिये एक वर्ष तथा भारी मोटर गाड़ी के लिये तीन वर्ष स्कूल में रहना पड़ेगा ;

(ग) प्रशिक्षण की इतनी लम्बी अवधि में वे अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे ; और

(घ) क्या इस संशोधन जैसे नियम अन्य राज्यों में भी बने हुए हैं और यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इन राज्यों का ध्यान इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाई की ओर दिलायेगा ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। जहाँ तक मैसूर मोटर गाड़ी नियम, 1963 के नियम 5(7) के लोप करने का संबंध है सूचना मैसूर सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) अपेक्षित सूचना की राज्य सरकारों से प्रतीक्षा की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली और नई दिल्ली के होटलों तथा रेस्तराओं में कैबेरे नृत्य

6617. **श्री न० रा० देवघरे :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली के कुछ बड़े होटलों और रेस्तराओं में कैबेरे नृत्य प्रस्तुत किये जाते हैं जो लगभग नग्न और अश्लील होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन होटलों/रेस्तराओं के नाम क्या हैं जहां ऐसा होता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यद्यपि कुछ होटल तथा रेस्तरां कैबेरे नृत्य का आयोजन करते हैं तथापि इन नृत्यों में नग्नता व अश्लीलता के बारे में दिल्ली पुलिस को जनता से अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया द्वारा विमान सेवा राष्ट्रीयकरण अधिनियम को लागू किया जाना

6618. **श्री शशि भूषण** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इंडिया भारत में तथा विदेशों के वर्तमान विमान सेवाओं में सुधार लाने के लिए विमान सेवा राष्ट्रीयकरण तथा संशोधित अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने तथा वर्तमान तथा भावी गैर-सरकारी विमान संचालकों के साथ सहयोग करने के लिए कार्यवाही करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस निगम के व्यापार में वृद्धि के लिये सहयोगियों के साथ फीडर सेवा आरम्भ करन, नए ट्रंक मार्ग आरम्भ करने तथा अधिक आधुनिक और बड़े विमानों के लिए किसी योजना पर विचार किया गया है ; और

(ग) क्या दोनों राष्ट्रीयकृत विमान निगम सहयोग प्राप्त करके सम्पूर्ण भारत में तथा आस-पास के अफ्रीकी एशियाई देशों में भाड़े तथा समाचार पत्रों की उत्तम सेवाओं का विकास करने को तैयार होंगे और इस प्रकार यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में भारत में उपलब्ध प्रत्येक विमान का पूर्ण उपयोग हो और कोई विमान बेकार न पड़ा रहे, जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति और विदेशी मुद्रा की हानि न होने पाये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स दोनों ही अपने परिचालनों के क्षेत्र का यथासंभव अधिकतम विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी अपने से बाहर किसी के साथ सहयोग की कोई योजनायें नहीं हैं। प्राइवेट कम्पनियों द्वारा अनुसूचित एवं अनुसूचित सेवाओं के परिचालन विमान नियमों द्वारा शासित किये जाते हैं।

मैसूर में जनगणना कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

6619. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बंगलौर शहर रेट पेयर एसोसिएशन से जनगणना कार्य मैसूर के अधीक्षक और बंगलौर शहर निगम, बंगलौर के जनगणना अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या उसमें लिखित आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि जाँच की गई है, तो क्या वे आरोप आधारहीन पाये गये ; और

(घ) यदि हां, तो क्या रेट पेयर एसोसिएशन के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाने पर कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मामले के तथ्यों की जांच पड़ताल की गई थी ।

(ग) आरोप निराधार थे ।

(घ) उक्त याचिका पर ध्यान न देने का विचार है ।

पुस्तकों के लिये पुरस्कार

6620. **श्री चार्ल्स फरनेन्डीज** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत सरकार किन-किन भाषाओं की पुस्तकों को पुरस्कार देती है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ;

(ग) क्या सरकार सभी भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को पुरस्कार देगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). येह मन्त्रालय लेखकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तकें/पाँडुलिपियां लिखने के लिए पुरस्कार देने की तीन योजनाएं चलाती है । जिस भाषा में पुस्तकें लिखी जाती हैं तथा इसके लिए जिस मानदण्ड को अपनाया जाना है, इनके सहित योजनाओं के ब्यौरों के विवरण को सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3226/70]

(ग) और (घ). सभी भारतीय भाषाओं में लिखी गई ऐसी पुस्तकों के लिए पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मद्यनिषेद सम्बन्धी आचार संहिता

6621. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिये एक नई आचार संहिता बनाई गई है, जिसके अनुसार उनको कार्यालय के घंटों में किसी मादक द्रव्य के नशे में नहीं रहना चाहिये, चाहे वह नशा शराब पीने से हो अथवा औषधि लेने से हो ;

(ख) क्या सरकार की मद्यनिषेध सम्बन्धी नीति को देखते हुए ऐसा निदेश पर्याप्त समझा गया है ; और

(ग) क्या इस श्रेणी के लोगों में मद्यनिषेध पूर्णतया लागू करने की बात को दृष्टि में

रखते हुए सरकारी अधिकारियों में पूरी तरह से शराबबन्दी लागू करने तथा देश में मद्यनिषेध के उद्देश्य को आगे बढ़ाने की वाँछनीयता पर विचार किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मादक पेय तथा औषधियों के उपभोग में सम्बन्धित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 22 को 3-2-1970 को संशोधित किया गया। यथा संशोधित नियम की एक प्रति संलग्न है।

(ख) और (ग). सरकारी कर्मचारियों में पूरी तरह से शराबबन्दी के प्रश्न पर अतीत में विचार किया गया हैं। नियम 22 के उप नियम (क) में इस सम्बन्ध में एक उपबन्ध बनाया गया है कि किसी भी सरकारी को उस क्षेत्र में लागू नशाबन्दी कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिये जिस क्षेत्र में यह उस समय सेवारत हो। तथापि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के प्रयोजनों के लिए जहां तक आवश्यक हो उसके अलावा किसी सरकारी कर्मचारी के साथ नागरिकों से भिन्न रूप में सामान्यतया व्यवहार नहीं किया जा सकता है, उन क्षेत्रों में, यहां मद्यनिषेध लागू नहीं है, सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर मादक पेय/औषधियों के उपभोग के मामले में विशेष प्रतिवन्ध लगाये गए हैं जिनकी व्यवस्था पूर्वांक नियम 22 के उपनियम (ख) से (घ). तक में की गई है।

मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग

22. **सरकारी कर्मचारी :**

(क) किसी ऐसे क्षेत्र में जहां वह उस समय हो लागू मादक पेयों अथवा औषधियों से सम्बन्धित किसी भी नियम का सख्ती से पालन करेगा।

(ख) अपनी ड्यूटी की अवधि में किसी मादक पेय अथवा औषधि के नशे में नहीं रहेगा और यह यथावश्यक सावधासी भी बरतेगा कि ऐसे पेय अथवा औषधि के नशे के कारण उसके कर्तव्यों के निष्पादन में किसी भी समय कोई भी प्रभाव न पड़े ;

(ग) नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित नहीं होगा ;

(घ) किसी मादक पेय अथवा औषधि का अधिक उपयोग नहीं करेगा।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में एक कलाकार (आर्टिस्ट) का पद का भरा जाना

6622. **श्री सिद्दया :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक कलाकार आर्टिस्ट का पद बहुत समय से रिक्त पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से रिक्त है, इसे अब तक न भरने के क्या कारण हैं, और यह कार्य किस प्रकार किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति विदेश चला गया है और समय-समय पर उसकी छुट्टी मंजूर की जाती रही है और अन्ततः कुछ महीने पहले उसने इस्तीफा दे दिया है ;

(घ) यदि हाँ, तो इस पद पर नियुक्ति की तिथि का ब्यौरा क्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय में वास्तव में उसने कितनी अवधि तक कार्य किया उसे छुट्टी मंजूर करने की शर्तें क्या थीं और उसको विदेशों में जाने की अनुमति दी जाने के समय क्या वह इस पद पर स्थाई था अथवा अस्थायी था ; और

(ङ) क्या विज्ञापन की एक प्रति अथवा रोजगार दफ्तर को भेजे गए मांगपत्र जिसके आधार पर नियुक्ति की गई, एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). राष्ट्रीय संग्रहालय में कलाकार के पद पर अवकाश रिक्त 15-11-1967 से हुई थी, जब कि इस पद का स्थायी पदधारी, उच्च अध्ययन के लिए विदेश छुट्टी पर गया था ।

क्योंकि वर्तमान पदधारी द्वारा छुट्टी समाप्ति के बाद कार्यभार संभालने की आशा थी, इसलिए, इस पद पर इससे पहले नियुक्ति नहीं की गई थी । उसकी अनुपस्थिति के दौरान, ले-आउट कलाकार, नक्शानवीस जैसे अन्य अधिकारियों की सहायता से उनके अपने-अपने कार्यों के अतिरिक्त, कार्य किया गया । इसके अतिरिक्त एक दैनिक वेतन नक्शानवीस तथा एक दैनिक वेतन अक्षर ढालने वाला (लेटरिंग) कलाकार को भी कार्य पूरा करने के लिए लगाया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ). विवरण और रोजगार कार्यालय को भेजे गए मांगपत्र की प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3227/70]

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में वरिष्ठ निजी सहायक सेवा के पद

6623. **श्री श्रीगोपाल साबू** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्गठित केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अन्तर्गत वरिष्ठ निजी सहायकों के नये पद बनाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन पदों पर नियुक्तियां किस मापदण्ड के आधार पर की जा रही हैं और क्या वे मापदण्ड इस सम्बन्ध में बनाए गये तथा प्रकाशित सेवा नियमों के अनुकूल हैं ;

(ग) क्या इन पदों पर नियुक्तियां करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस पदों के लिए चुने गये व्यक्तियों की सूची कब तक प्रकाशित की जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वरिष्ठ वैयाक्तिक सहायकों के उन पदों के लिए जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक

सेवा की श्रेणी I में सम्मिलित हैं, चयन केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 तथा उनके अधीन बनाये गये विनियमों के सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसार वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर करने होते हैं ।

(ग) और (घ). पुनरीक्षित केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम 25 जुलाई, 1969 को अधिसूचित किये गये और 1-8-1969 को प्रवृत हुए । केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी II के 800 अधिकारियों के सम्बन्ध में, जो विचार क्षेत्र के भीतर थे, श्रेणी-I में 160 पदों पर पदोन्नति के लिए आंकड़े/सेवा रिकार्ड एकत्रित करने थे । इस प्रयोजन के लिये गठित चयन समिति ने अब विचार क्षेत्र के भीतर के सभी अधिकारियों का मूल्यांकन कर लिया है और एक चयन-सूची तैयार की है जो 8 अप्रैल, 1970 को जारी कर दी गई है ।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में एक कलाकार के पद पर नियुक्ति करना

6624. **श्री सिद्दया :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में एक कलाकार के पद को भरने के लिए कुछ महीने पूर्व रोजगार कार्यालयों में अनुरोध किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) रोजगार कार्यालयों द्वारा कितने अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई और संग्रहालय अधिकारियों द्वारा वस्तुतः कितने अभ्यर्थी इटरव्यू के लिए बुलाये गये ;

(घ) क्या यह भी सच है कि जिन 16 अभ्यर्थियों का 13 मार्च, 1970 को इंटरव्यू लिया गया उनमें से केवल 4 व्यक्तियों का अन्तिम रूप से चुनाव करने के लिये आरम्भिक चयन किया गया ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(च) क्या यह भी सच है कि अन्तिम परीक्षा के लिये चुना गया एक अभ्यर्थी डिग्री और डिप्लोमा की निर्धारित और अपेक्षित अर्हताएं पूरी नहीं करता था ; और

(छ) यदि हां, तो यह इंटरव्यू के लिये कैसे बुलाया गया और चुनाव बोर्ड द्वारा की गई जांच के साथ कैसे ठहर सका ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कलाकार का रिक्त पद चार महीने की अवधि अर्थात् 28-2-1970 तक के लिए पूर्ण करने के वास्ते 6-11-1969 को रोजगार कार्यालय के निदेशक को अधिसूचित किया गया था क्योंकि अवकाश-रिक्त तब केवल उसी तारीख तक थी । रोजगार कार्यालय के निदेशक ने 12-11-1969 को उत्तर भेजा था कि यह रिक्त-स्थान स्थानीय रोजगार कार्यालय के जरिये

भर लिया जाए। उन्होंने अपने उत्तर की एक प्रति स्थानीय रोजगार के दफ्तर को भी भेजी थी। 20-12-1969 को राष्ट्रीय संग्रहालय ने रोजगार कार्यालय के निदेशक तथा स्थानीय रोजगार दफ्तर को स्मरण भी कराया था। उत्तर में रोजगार कार्यालय के निदेशक ने सूचित किया था कि उनके पास कलाकार के रिक्त स्थान का अभियाचन (रिक्वीजिशन) फिलहाल प्राप्त नहीं है (उनका दिनांक 24-12-1969 का पत्र देखिये)। राष्ट्रीय संग्रहालय ने 1-1-1970 को रोजगार कार्यालय के निदेशक को दूसरी मांग भेज दी थी और उसकी प्रति क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी को भेज दी थी बाद में अभियाचन पत्र (रिक्वीजिशन) में, क्योंकि स्थायी पदधारी का त्याग पत्र उस समय तक प्राप्त हो चुका था, यह बता दिया गया था कि रिक्त पद को बिल्कुल अस्थायी आधार पर पूर्ण करने का प्रस्ताव था किन्तु संभवतः यह जारी रहेगा। इन दोनों रिक्वीजिशन में इस पद की निर्धारित अर्हताएं बता दी गई थीं। अर्थात्

अनिवार्य :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था को ललित या सप्लाई (व्यवहारिक) कला में डिग्री अथवा डिप्लोमा।

वांछनीय :

नक्शों तथा ग्राफिक रूप रेखाओं के निर्माण की वाणिज्य कला का कम से कम दो वर्ष का क्रियात्मक अनुभव।

(ग) रोजगार कार्यालय द्वारा सिफारिश किये गये सभी तेईस उम्मीदवारों को इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया था।

(घ) जी, हां। परन्तु 17 (और 16 का नहीं) उम्मीदवारों का इन्टरव्यू किया गया था।

(ङ) चयन समिति द्वारा अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में कलाकार (आर्टिस्ट) के पद का भरा जाना

6625. **श्री प्र० र० ठाकुर :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कलाकार आर्टिस्ट का एक पद है ;

(ख) यदि हां, तो यह पद कब बनाया गया और क्या यह स्थायी है अथवा अस्थायी ;

(ग) क्या इसे कभी अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित घोषित किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो कब और इस पर ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए किये गए प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) यह पद 1952 में बनाया गया था। यह पद स्थाई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जिसके अंतर्गत यह स्थान आता है, उसे भरते समय इस काम के लिए निर्धारित रोस्टर में दिये गये संकेत के अनुसार कोई रिक्त स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित या अनारक्षित समझा जाता है। रोस्टर का लेखा रखने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में कलाकार के पद को इस विषय पर गृह मन्त्रालय के अनुदेशों के अनुसार एकरूप वेतन मान अर्थात् 210-425 रु० धारण करने वाले दूसरे पदों के साथ वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय में कलाकार के खाली स्थान को भरते समय दोनों अवसरों पर ही यह अनारक्षित सूचक के अंतर्गत आया।

ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों में विषमता

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री भारतीय सर्वेक्षण विभाग में काम करने वाले ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों में विषमता के बारे में 6 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग में काम कर रहे और ग्रेड iii, डिवीजन ii से सीधे पदोन्नत डिवीजन i में ग्रेड i के ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों में विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डिवीजन i में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड i के पद डिवीजन ii में ग्रेड ii के ड्राफ्ट्समैनों के पदों से ऊंचे हैं, क्या सरकार ने डिवीजन i में ग्रेड i के ड्राफ्ट्समैनों का वेतन बढाकर ग्रेड ii में उनकी पदोन्नति की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से कम से कम ग्रेड ii के ड्राफ्ट्समैनों के न्यूनतम वेतन के बराबर करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जो ड्राफ्ट्समैनों ग्रेड iii से सीधे ही ग्रेड i में पदोन्नत किये जा चुके हैं उनके वेतन पुनः निर्धारित करने का निर्णय किया गया है और आदेश जारी होने वाले हैं।

(ख) और (ग). जैसा कि 6-3-1970 को प्रश्न संख्या 1872 (प्रति संलग्न है) के उत्तर में बताया गया था, ग्रेड ii से ग्रेड i में पदोन्नति व्यक्तियों के हितों की रक्षा, वेतन निर्धारण के सामान्य नियमों के अन्तर्गत की जाती है। इसलिए, भूतलक्षी प्रभाव से ग्रेडों को पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों में असमानता

1872. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अब्दुल गनी डार :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग के दिल्ली कार्यालय में कार्य करने वाले ग्रेड एक और दो के ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों में असमानता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रेड I तथा ग्रेड II के ड्राफ्ट्समैनों के निर्धारित वेतनमान नीचे दिये गये हैं।

ग्रेड I	रु० 180-10-290 द० रो० 15-380
ग्रेड II	रु० 205-7-240-8-280

चूंकि ग्रेड I के ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II के ड्राफ्ट्समैनों से ऊंचे हैं, स्वीकृत निम्नतम वेतनमानों में असंगति स्पष्ट है। चूंकि पदोन्नतियां ग्रेड II से ग्रेड I में की जाती है तथा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा ग्रेड II में लिये गये वेतन के अनुसार ही वेतन निश्चित किया जाता है इस असंगति से उन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जिनकी पदोन्नति ग्रेड II से ग्रेड I में हुई थी।

दानापुर (पटना) की एक हरिजन लड़की के साथ कथित बलात्कार

6627. **श्री सूरजभान :** **श्री शिवचरण लाल :**
श्री राम चरण : **श्री रामगोपाल शालवाले :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दानापुर (पटना) की एक अविवाहित हरिजन लड़की पर किये गये बलात्कार तथा अत्याचारों के बारे में छपे समाचारों और दैनिक "प्रताप" के मुखपृष्ठ पर तथा कुछ अन्य पत्रों में हाल में प्रकाशित हुये उक्त लड़की तथा उसकी पुत्री के चित्र की ओर दिलाया गया है ;

(ख) उक्त लड़की तथा उसकी विधवा माता द्वारा सभी अधिकारियों को बताई गई सभी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) अपराधियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उस अभागे परिवार की सहायता करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). बिहार सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है।

चल चित्र उद्योग से सम्बन्धित लोगों को पद्मश्री तथा पद्म विभूषण उपाधियां देना

6630. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में गणतन्त्र दिवस पर भारतीय चल-चित्र उद्योग के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री और पद्म विभूषण की उपाधियां मिली हैं और उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या है ;

(ख) इन व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार की सेवायें की गई है जिनके लिए उनको उपाधियां मिली हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि फिल्म उद्योग से सम्बन्धित कई व्यक्ति जिनको उपाधियां दी गई हैं, आय कर तथा अन्य कर नहीं दे रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनको उपाधियां दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) (ख) तथा (घ). उन व्यक्तियों के नाम, जिन्हें अलंकार दिये जाते हैं, उसी दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिये जाते हैं जिस दिन अलंकारों की घोषणा की जाती है। अलंकारों के उन प्राप्त कर्ताओं की सूची सदन के सभा-पटल पर रखी जाती है, जो सामान्यत: फिल्म उद्योग से सम्बद्ध समझे जाते हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये** संख्या एल० टी० (3228/70)] ये अलंकार उन्हें फिल्म उद्योग में उनके अपने-अपने क्षेत्रों में की गई विशिष्ट सेवा की मान्यता में दिये गये थे।

(ग) स्थिति का पता लगाया जा रहा है तथा जितनी सूचना कानून के अन्तर्गत दी जा सकती है, उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय योगाश्रम केन्द्र, नई दिल्ली

6631. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सरकार अन्तर्राष्ट्रीय योगाश्रम केन्द्र, (पन्त मार्ग के निकट) तथा देश में इससे सम्बन्धित संस्थाओं को मान्यता देती है ;

(ख) इसके सदस्य कौन हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं और यह किस तिथि को पंजीकृत किया गया था ;

(ग) इसके गठन के समय से विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत इसे दी गई वित्तीय सहायता तथा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) विश्वायतन

योगाश्रम, पन्त मार्ग, नई दिल्ली का नई दिल्ली केन्द्र, जो योगाश्रम के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के नाम से भी जाना जाता है और जम्मू तथा कश्मीर में कटरा वैष्णवदेवी स्थित उसका अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, सरकार द्वारा योग के प्रसार के लिए वित्तीय सहायता हेतु मान्यता प्राप्त है।

(ख) योगाश्रम, सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 21 का 1860 के अधीन, एक पंजीकृत संस्था है जो 1 मार्च, 1958 को पंजीकृत कराई गई थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(1) योग विद्या के अनेक पहलुओं को प्रोत्साहित करना तथा उसके अध्ययन तथा अध्यापन की व्यवस्था करना ;

(2) व्यावहारिक पाठ्यक्रमों तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण और योग के क्षेत्र में मूलभूत अनुसंधान को हाथ में लेना तथा उन्हें सुसाध्य बनाना तथा मानव-मात्र की भलाई और उन्नति में उसका प्रयोग करना।

(3) भारत के विभिन्न भागों तथा विदेशों में योग के प्रतिनिष्ठावान संस्थाओं की स्थापना, संचालन तथा उसका प्रबन्ध करना।

(च) और (घ). शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने यौगिक कार्यकलापों के प्रसार तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए 1957-58 से 1969-70 तक के वित्तीय वर्षों में योगाश्रम को अब तक 6,23,947 रु० के अनुदान दिए हैं। निर्माण आवास तथा नगरीय विकास विभाग, ने गोल डाकखाने के करीब लगभग 1.866 एकड़ भूमि शैक्षिक संस्थाओं के लिए अनुमत्य रियायती दर पर योगाश्रम को आवंटित की है।

योगाश्रम को अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा यदि कोई वित्तीय सहायता, दी गई है, तो उसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल के गृह विभाग के अधिकारियों की राइटर्स बिल्डिंग में उपस्थिति

6632. **श्री अमजद अली :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के सभी उत्तरदायी अधिकारी 17 मार्च, 1970 को कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग कार्यालय में उपस्थित थे ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ग) उनकी अनुपस्थिति के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 17 मार्च 1970 को हड़ताल के कारण परिवहन सुविधाओं के पूर्णतः ठप हो जाने के कारण अधिकांश अधिकारी राइटर्स बिल्डिंग कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके।

तलकर्षकों की वर्तमान क्षमता तथा भविष्य में उनकी आवश्यकता

6633. **श्री लोबो प्रभु :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पास के पास कौन से तलकर्षक हैं, उनकी कितने लाख घनफुट भूमि हटाने की क्षमता है और गत वर्ष उन्होंने वास्तव में कितना कार्य किया ;

(ख) उनका मन्त्रालय कौन-कौन से और कितनी क्षमता के तलकर्षक प्राप्त करने जा रहा है और यह कब तक प्राप्त हो जायेंगे ;

(ग) मंगलौर, तूतीकोरिन तथा अन्य पत्तनों से कुल कितनी भूमि हटायी जायेगी ; और

(घ) आरम्भ किये गये कार्य की अपेक्षा तलकर्षकों की कम क्षमता को ध्यान में रखते हुये उनके मंत्रालय द्वारा और अधिक तलकर्षक न खरीदे जाने और मद्रास पत्तन द्वारा मई में छोड़े जाने वाले तलकर्षकों को, यदि उसकी दर अब तक मद्रास पत्तन द्वारा दी गई दर से अधिक नहीं, ठेके पर न लेने के क्या कारण है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : पोतपरिवहन तथा परिबहन मन्त्रालय के दो कटर चूषण निकर्षक है, एम० ओ० टी० 1 और एम० ओ० टी० 2 जिनमें से प्रत्येक परिभाषित स्थितियों में प्रति घंटा 560 घ० मी० मध्यम वालू निकर्षण करने की क्षमता का है। ये निकर्षक प्रारम्भ में लघु पत्तनों में निकर्षण करने के लिए लिये गये थे। परिभाषित स्थितियों में इन निकर्षकों में से प्रत्यक की वार्षिक औसत क्षमता अनुमानतः 8 लाख घ० मी० मध्यम वालू निकर्षण करने की है। 1969 में इन निकर्षकों द्वारा निकर्षण की गई वास्तविक मात्रा से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ). चौथी योजना में शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं की कुल पूंजीगत निकर्षण आवश्यकता 820 लाख घ० मी० है। इसमें से मंगलौर में 116 लाख घ० मी० और तूतीकोरिन में 32 लाख घ० मी० निकर्षण किया जायेगा। तथापि तूतीकोरिन में अपेक्षित निकर्षण भूमि उद्धरण के लिए है। यह भूमि उद्धरण भूमि स्त्रोतों से भी किया जा सकता है। पूंजीगत निकर्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक केन्द्रीय निकर्षण संगठन की स्थापना की जा रही है और प्रारम्भतः इसके लिए दो निकर्षक आवश्यक सहायक उपस्कर के साथ खरीदे जा रहे हैं, एक 3000 घ० मी० हापर क्षमता का अनुगामी चूषण निकर्षक और दूसरा 1500 घ० मी० प्रतिघण्टा की क्षमता वाला कटर चूषण निकर्षक। इन निकर्षकों के 1971 तक प्राप्त होने की संभावना है। मंगलौर पर एक एम० ओ० टी० निकर्षक तथा दो नये निकर्षकों जिनके लिए आदेश दिया गया है, द्वारा निकर्षण करने का प्रस्ताव है। कुछ पत्तनों अर्थात हल्दिया, मद्रास, पारादीप और मारमुगाओं पर संविदा निकर्षण शुरू कर दिया है। अतिरिक्त निकर्षकों के अर्जन करने अथवा निकर्षण को ठेके के आधार पर करवाने के प्रश्न पर यथा-समय विचार किया जायेगा।

पालम हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के एक निर्माणाधीन हैंगर का गिर जाना

634. **श्री रा० वरुआ :** **श्री लोबो प्रभु :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के लिये बनाये जा रहे हैंगर के गिर जाने से कुछ व्यक्ति मारे गये तथा कुछ घायल हुए ;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके टूटने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 30 मार्च, 1970 सोमवार को लगभग मध्याह्न के समय पालम हवाई अड्डे पर निर्माण किये जा रहे नये 'इंजीनियरिंग विंग हैंगर' की उत्तरी अनेक्सी के ऊपर की उत्तरी ओर की आर० सी० सी० कन्क्रीट की नाली (गट्टर) टूट कर गिर पड़ी । इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप एक मजदूर औरत की मृत्यु हो गई और एक मजदूर आदमी और एक लड़की को चोटें आई ।

(ख) और (ग). एयर-इंडिया द्वारा की जा रही विभागीय जांच के अलावा नागर विमानन के महानिदेशक भी एक जांच करवा रहे हैं । दोनों जाचें अभी चल रही हैं ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने का प्रस्ताव

6635. **श्री मरंडी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की पद्धति पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Grants to Allahabad University for Research and Excavation Work in Kaushambi

*6636. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission gives financial aid to the Ancient History and Archaeological Department of the Allahabad University for conducting research and excavations work in Kaushambi ; and

(b) if so, the total amount of aid granted by the Commission during the last three years ?

The Minister of Education and Youth Services (Prof. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The University Grants Commission had agreed in December, 1959 to give assistance to the Allahabad University at a scale not exceeding Rs. 3.50 lakhs non-recurring and Rs. 75,000 recurring per annum, for five years, i e. upto 31st March, 1966, for the development of the Department of Archaeology. The period of assistance was later extended to 31st March, 1967. The detailed proposals sent by the University included Rs. 10, 00 for excavation, exploration and archaeological tours, without indicating the site for excavation.

The following amounts were paid to the University during the last three years against the grants approved for the Department for the period ending March 31, 1967 :

		Rs.	
1967 68	...	18,370.33	(Staff and Equipment)
1968-69	...	50,000	(Buildings)
1969-70	...	55,000	(Buildings)

संसद् सदस्यों द्वारा लांबी में प्रचार पर रोक

6637. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **संसद् कार्य-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों द्वारा सभा भवन के परिसर में अपने दल के लिये समर्थन करने हेतु सभा की लाँबी में प्रचार किये जाने पर कोई रोक लगी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद् कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : (क) से (ग). सभा भवन का परिसर अधिष्ठाता के अधिकार क्षेत्र में है अतएव उल्लिखत विषय संसद् कार्य मंत्री के क्षेत्र में नहीं आता ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के स्काईमास्टर विमानों की एक गैर-सरकारी विमान कम्पनी को बिक्री

6638. **श्री अगड़ी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के स्काईमास्टर विमानों को पिछले वर्ष एक गैर-सरकारी विमान कम्पनी को बेचा गया था ;

(ख) यदि हां, तो बेचे गये विमानों की संख्या कितनी है और विक्रय मूल्य और भुगतान का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सौदे में यह बात स्पष्ट हो गई थी कि गैर-सरकारी विमान कम्पनी को दिल्ली से काबुल तक बरास्ता भाड़ा सेवा में चलाने की अनुमति होगी ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह शर्त अफगानिस्तान की सरकार की स्वीकृति से रखी गई थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत और विदेशों में व्यापक प्रचार के बाद इंडियन एयरलाइन्स ने अपने तीन डी० सी-4 (स्काईमास्टर विमान) अतिरिक्त पुर्जों सहित मैसर्ज जामएयर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को 5 सितम्बर, 1969 को तीन वर्षों में अदा की जाने वाली 12 किस्तों के आधार पर 14.5 लाख रुपये में बेचना मंजूर किया ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने बिक्री इस समझौते के आधार पर की कि खरीददार को तीन वर्ष तक की अवधि के लिये इंडियन एयरलाइन्स के सहयोगी के रूप में और उसकी ध्वजा के अर्न्तगत अमृतसर काबुल-अमृतसर तथा दिल्ली-अमृतसर-काबुल-अमृतसर-दिल्ली के बीच मालवाडी सेवायें चलाने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(घ) और (ङ). क्योंकि खरीददारों को इंडियन एयरलाइन्स के सहयोगी के रूप में और उनकी ध्वजा के अन्तर्गत परिचालन करना था अतः रायल अफगान सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं समझा गया ।

मैसर्ज जामएयर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन एयरलाइन्स के बीच अब एक बिवाद खड़ा हो गया है, तथा इन दोनों पक्षों के बीच इस मामले पर बातचीत चल रही है ।

बेलगांव हवाई अड्डा टरमिनल इमारत

6639. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यातायात के लिये बेलगाँव हवाई अड्डा टरमिनल इमारत को सुधारने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो कितनी राशि मंजूर की गई है, क्या-क्या सुधार करने का विचार है और इस कार्य के कब पूरा होने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). धन की कमी के कारण चौथी योजना में इस प्रयोजन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी।

संयुक्त सचिवों को वरिष्ठ निजी सहायक देना

6640. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त सचिवों को एक वरिष्ठ निजी सहायक देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने 1966 में किया था ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कार्यान्वित न की जाने के क्या कारण हैं और इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का कब इसे कार्यान्वित करने और पदोन्नतियों की सूची जारी करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का पुनर्गठन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त सचिवों के वरिष्ठ वैक्तिक सहायक की व्यवस्था है, मार्च, 1968 में मंत्रिमडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया था और जुलाई, 1969 : उस पर सरकार के आदेश जारी हुए।

(ख) और (ग). पुनरीक्षित केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम 25 जुलाई, 1969 को अधिसूचित किये गये और 1-8-1969 को प्रवृत्त हुए। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 11 के 800 अधिकारियों के सम्बन्ध में, जो विचार क्षेत्र के भीतर थे, श्रेणी 1 में 160 पदों पर पदोन्नति के लिए आँकड़े/सेवा रिकार्ड एकत्रित करने थे। इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति ने अब विचार-क्षेत्र के भीतर के सभी अधिकारियों का मूल्यांकन कर लिया है और एक चयन-सूची तैयार की है जो 8 अप्रैल, 1970 को जारी कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल में सड़कों एवं गाड़ियों के नाम रखना

6641. **श्री दे० अमात** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में लेनिन, हो ची मिन्ह और माओ, कारूलिया के नामों पर बस्तियों, सड़कों तथा गलियों के नाम रखने की नवीनतम प्रवृत्ति और कलकत्ता के एक भाग का नाम हो ची मिन्ह और एक गली का नाम "लेनिन सरणी" रखे जाने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सीमावर्ती राज्य में माओ वादी, लेनिनवादी विचारधारा तथा अन्य देशों के प्रति राज्य निष्ठा रखने वाले और राष्ट्र विरोधी तत्वों की वृद्धि को रोकने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल से प्राप्त सूचना के अनुसार, कलकत्ता निगम ने हरीगटन स्ट्रीट का नाम बदल कर हो-ची-मिन्ह स्ट्रीट तथा धर्मत्तला स्ट्रीट का नाम बदल कर लेनिन सरणी रख दिया है। किसी गली अथवा सड़क का नाम बदल कर माओ-त्से-तुंग के नाम पर रखे जाने के बारे में राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं है। कुछ अरसा पहले जिला 24 परगना में पुलिस थाना नाओपाड़ा के अन्तर्गत गारूलिया नामक स्थान पर साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का एक सम्मेलन हुआ था तथा उस समय उस सम्मेलन के स्थान का नाम हो ची-मिन्ह नगर रखा गया। गांव का नाम नहीं बदला गया है।

(ख) ऐसी गतिविधियों के सम्बन्ध में सतर्कता बरती जा रही है जहां कहीं आवश्यक होता है ऐसी गतिविधियों को दबाने के लिए कानून के अधीन उचित कार्रवाई की जाती है।

Smuggling of Liquor from Bhilwara to other States

6642. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thousands of gallons of country liquor are daily smuggled into Ahmedabad or other States from Bhilwara (Rajasthan) :

(b) whether it is also a fact that this smuggling trade has been increasing day by day on account of the lower price of liquor in Rajasthan than that prevailing in other States ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to stop this unlawful smuggling business.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The State Governments of Rajasthan and Gujarat have reported that no case of smuggling of liquor from Bhilwara to Ahmedabad or other States has come to their notice.

(b) It is not a fact that smuggling trade has been increasing day by day. The prices of liquor in Rajasthan are higher as compared to prices in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and lower compared to those in Punjab and Haryana.

(c) State Governments take all possible measures to enforce the prohibition laws of the States strictly.

सेतु समुद्र नहर परियोजना के बारे में व्यवहारिकता प्रतिवेदन

6643. **श्री मुरासोली मारन** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेतु समुद्रम नहर परियोजना के बारे में व्यवहारिकता प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना, का चौथी योजना में शामिल न करने के क्या कारण है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार को सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। यह रिपोर्ट सभी संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से विचाराधीन है।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की फायर आपरेटरों के रूप में पदोन्नति

6644. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1970 तक असैनिक उड्डयन विभाग में विभागीय कोटे में से चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारियों की फायर आपरेटरों के रूप में पदोन्नति कर दी गई है ; और

(ख) असैनिक उड्डयन विभाग में चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारियों की सीधी भर्ती कोटे में से फायर आपरेटरों के रूप में नियुक्ति की गई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 66

(ख) 50 (फर्वरी, 1970 तक)।

असैनिक उड्डयन विभाग में कर्मचारियों की श्रेणीवार स्थिति

6645. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक उड्डयन विभाग में 1 फरवरी, 1948, 1 फरवरी, 1952, 1 फरवरी, 1957, 1 फरवरी 1962, 1 फरवरी, 1965 और 1 फरवरी, 1970 को तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी ; और

(ख) 1 फरवरी, 1948, 1 फरवरी, 1952, 1 फरवरी, 1957, 1 फरवरी, 1962, 1 फरवरी, 1965, और 1 फरवरी, 1970 को सहायक संचार अधिकारियों, सहायक तकनीकी अधिकारियों तथा सहायक हवाई अड्डा अधिकारियों की संख्या कितनी थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

हवाई अड्डों पर कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

6646. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1970 को असैनिक उड्डयन विभाग के नियन्त्रणाधीन सभी हवाई अड्डों पर विभिन्न वेतन वर्गों के कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर उपलब्ध थे ; और

(ख) 1 जनवरी, 1970 को असैनिक उड्डयन विभाग के नियंत्रणाधीन सभी हवाई अड्डों पर विभिन्न वेतन वर्गों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा कुछ समय पश्चात् सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्री मदनलाल लाम्बा को पालम हवाई अड्डे पर भोजन व्यवस्था का ठेका देना

6647. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री मदनलाल लाम्बा को नई दिल्ली, में पालम हवाई हड्डे पर

रेस्तरां एवं होटल की भोजन व्यवस्था और एयर इंडिया आदि को खाद्य पदार्थ सप्लाई करने का ठेका दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ठेके की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को पता है कि श्री मदन लाल लाम्बा के विरुद्ध आय छिपाने, आयकर आदि का भुगतान न करने के दोषों के कारण कानूनी कार्यवाही चल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए उनका मन्त्रालय श्री लाम्बा को दिये गये ठेके को रद्द करेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). 1967 के आरम्भ में निविदा आमंत्रित करके मैसर्ज बोलगास को, जिनके एक भागीदार श्री मदन लाम्बा है, दिल्ली (पालम विमान क्षेत्र) पर 5,200/- रुपये प्रतिमाह तथा कुल बिक्री 12-1/2 प्रतिशत के अदायगी के आधार पर भोजन व्यवस्था ('केटरिंग') का ठेका दिया गया। परन्तु उन्हें रेस्टोरेंट स्थल हस्तांतरित नहीं किया जा सका क्योंकि मैसर्ज रैफल्स रेस्टोरेन्ट ने, जोकि 2९-2-67 तक की अवधि तक के लिये प्राधिकृत ठेकेदार थे, अदालत से रोक आदेश प्राप्त किया। मैसर्ज बोलगास को प्रारम्भ में देशीय लौंज में और बाद में अन्तर्राष्ट्रीय 'कानकोर्स' में 'स्नैक बार' एवं भवन के विस्तारित भाग में भी रेस्टोरेंट चलाने का स्थान दिया गया। अदायगी की शर्तों के संशोधन का एक प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

एयर-इंडिया ने मैसर्ज बोलगास के साथ भोजन की सप्लाई के सम्बन्ध में अलग से व्यवस्था कर रखी है। एयर-इंडिया के अपने फ्लाइट किचन के चालू हो जाने पर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिये जाने की आशा है।

(ग) एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा जाँच की जा रही है।

(घ) जाँच परिणाम ज्ञात होने पर कार्यवाही करने के प्रश्न पर सावधानी पूर्वक विचार किया जायेगा।

दिल्ली में कालेज की छात्राओं का अपहरण

6648. **श्री रा० रा० सिंह देव :**

श्री न० कु० सोंधी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक विदेशी दूतावास के एक भारतीय कर्मचारी ने हाल में कालेज की कुछ छात्राओं का अपहरण किया है ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). नई दिल्ली, लोदी स्टेट के बाह्य-भवनों में रहने वाली दो लड़कियों, पुष्पा और कान्ता के बारे में रिपोर्ट की गई थी कि उनका 20 मार्च, 1970 को लोदी स्टेट से अपहरण कर लिया गया था। ये दोनों लड़कियां माडर्न कालेज, डिफेन्स कालोनी में पढ़ती थीं।

जांच पड़ताल के दौरान दिल्ली पुलिस ने यह पाया कि यू० एस० आई० एस० नं० 1, सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली के एक कर्मचारी श्री एम० मुखर्जी ने अपने एक दोस्त, अमरीकी दूतावास में एक चपरासी लक्ष्मण की सहायता से इन लड़कियों का अपहरण किया था। श्री मुखर्जी दैनिक वेतन पर कार्य करता है। बताया जाता है कि गायब होने से पहले पुष्पा ने अपने पिता के मकान से कुछ गहने और नकदी भी ले ली थी। श्री मुखर्जी को 31 मार्च, 1970 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बताने पर दोनों लड़कियों को कलकत्ता से बरामद किया गया था। आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

राजस्थान और पंजाब में यात्री सेवायें चलाने के लिए जामेयर एयरलाइन्स को लाइसेंस देना

6649. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और पंजाब में यात्री सेवाएं चलाने के लिए जामेयर एयरलाइंस को लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) क्या उक्त सेवाओं के लिए जाने वाले भाड़े के बारे में कोई शर्त रखी गई है ;

(ग) क्या उक्त एयरलाइन्स ने किराये का संशोधन कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो किस तिथि को भाड़े में संशोधन किया गया था और इसके क्या कारण थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) मैसर्स जामेयर के पास नागर विमानन महानिदेशक द्वारा प्रदत्त एक अनुसूचित परमिट है जो उन्हें राजस्थान और पंजाब में अनुसूचित उड़ाने परिचालित करने का अधिकार देता है बशर्ते कि ऐसी प्रत्येक उड़ान के लिये नागर विमानन महानिदेशक अथवा सम्बन्धित विमान क्षेत्रों के नियन्त्रक से निर्वाधिता प्राप्त हो गयी हो।

(ख) अननुसूचित परमिट की एक शर्त यह है कि जनता की सूचना के लिए प्रकाशित या विज्ञापित अथवा अन्य प्रकार से घोषित यात्री किरायों तथा भाड़े की दरों का परिचालकों द्वारा अनुपालन किया जायेगा और इन्हें तीन महीने में एक बार से अधिक बार नहीं बदला जायेगा।

(ग) और (घ). जी, हां। पेट्रोल तथा टायरों के शुल्क में वृद्धि तथा राजस्थान सरकार द्वारा बिक्री कर में वृद्धि के कारण किरायों में 15 मार्च, 1970 से वृद्धि कर दी गयी है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की श्रेणी दो से श्रेणी एक के पदों पर पदोन्नति के कोटे से सम्बन्धी सिफारिशें

6650. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की इन सिफारिशों की कि श्रेणी दो से श्रेणी एक के पदों पर पदोन्नति के कोटे को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये, क्या कार्यवाही की जा रही है जिसका सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग के एक सदस्य के विमति टिप्पण में भी किया गया है ;

(ख) क्या सरकार इस सिफारिश का अर्थ लगाने का विचार कर रही है कि यह राज्य सेवाओं से सम्बन्धित व्यक्तियों पर भी लागू होगा ; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्य सेवाओं में बढ़ रहे असन्तोष को कम करने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की बहुत कम गुन्जाइश है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). कर्मचारी प्रशासन विषयक प्रशासनिक सुधार आयोग की सम्बन्धित सिफारिश अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जादवपुर विश्वविद्यालय के गांधी केन्द्र में लूट-खसोट के समाचार

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"जादवपुर विश्वविद्यालय के गांधी केन्द्र में 10 अप्रैल, 1970 को तथा कथित नक्सल-पंथियों द्वारा लूट-खसोट के समाचार" ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 100 व्यक्तियों के एक दल ने जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रागंण में स्थित विश्वविद्यालय सेवा केन्द्र और गांधी अध्ययन केन्द्र पर 10 अप्रैल को लगभग 1.30 बजे हमला किया । उन्होंने सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंचाई और लगभग 500 पुस्तकें और गांधी जी के एक तैल चित्र को आग लगा दी । पुलिस ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 147, 435 और 427 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया है और इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है । इस बात की शंका है कि इस गुण्डागर्दी में विद्यार्थियों के एक दल और कुछ बाहर के लोगों का, जो उग्रवादी विचार धारा के थे, हाथ है । इस सम्बन्ध में अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ।

राज्य सरकार ने जादवपुर विश्वविद्यालय के उप-राज्यपाल से सलाह कर स्थिति का पुनर्विलोकन किया है और विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस की एक टुकड़ी की नियुक्ति की है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि इस मामले में शरारत करने वाले व्यक्ति नक्सलवादी थे अथवा अन्य व्यक्ति । कलकत्ते में कुछ ऐसे सिनेमाओं पर बम फेंके गये थे जो चीन विरोधी फिल्में दिखा रहे थे । कलकत्ता विश्वविद्यालय के निकट गांधी पुस्तक प्रदर्शनी में भी गम्भीर घटनाएँ घटीं प्रदर्शनी पर हमला किया गया और उसे क्षति पहुंचाई गई । ऐसी कार्यवाही करने वाले व्यक्ति अपने इरादों को नहीं छिपा रहे हैं । वे अपने को चीनवादी, माओवादी और गांधी विरोधी और चुनाव विरोधी कहते हैं । ऐसा मैं इसलिये कह रहा हूँ कि अभी और ऐसी घटनाओं के घटने की सम्भावना है ।

इस बात से कोई इन्कार नहीं करता कि ये घटनाएँ खेदजनक हैं । मेरे विचार से जो लोग ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं वे उग्रवादी तत्वों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और यदि उन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो वह लोकतन्त्र को समाप्त कर देंगे ।

सरकार ने इस बारे में जो महत्वपूर्ण कार्यवाही की है वह यह है कि उसने पुलिस को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है । लेकिन यह कार्यवाही

उचित नहीं है क्योंकि पुलिस मामूली सी रिपोर्ट पर भी विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश कर विद्यार्थियों अध्यापकों आदि को मार पीट सकती है ।

देश में सब ओर हिंसा का वातावरण विद्यमान है। छबासा में बहुत निर्दयी घटनाएँ घटीं हैं। इन घटनाओं में समाज-विरोधी तत्वों का हाथ प्रतीत होता है । राज्य में घटने वाली घटनाओं से हम बहुत चिन्तित हैं। युवकों और विद्यार्थियों में फैली इस अशान्ति को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में युवक बेरोजगार हैं। उनमें निराशा की भावना विद्यमान है। उनके लिये उन्नति के अवसर नहीं हैं । हमारे कालिज और विश्वविद्यालयों में बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी हैं जिसके परिणामस्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों का सीधा सम्पर्क नहीं हो पाता। कलकत्ते में घरों की स्थिति ऐसी है कि वहां विद्यार्थी गम्भीरता से अध्ययन नहीं कर सकते । क्या इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार की है क्या सरकार केवल पुलिस के बल पर ही निर्भर रहना चाहती है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम इस बात से चिन्तित हैं कि देश का युवा वर्ग इस प्रकार की कार्यवाही में लगा है । यह बहुत गम्भीर मामला है ।

मुझे विदित है कि विद्यार्थियों में असंतोष विद्यमान है। लेकिन उनका असंतोष राष्ट्र-पिता के नाम का अपमान करने से दूर नहीं हो सकता। इस उग्रवादी अभियान की उपेक्षा नहीं की जा सकती । पुलिस को विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करने के निदेश नहीं दिये गये हैं। राज्य में अधिकांश शिक्षा संस्थाएँ राजनीति में भाग ले रही हैं। विद्यार्थियों में सामान्यतया असंतोष है । शिक्षा सम्बन्धी और भी बहुत-सी समस्याओं को हल करना है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा जादवपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्ध है। इस बात का समाचार समाचारों में प्रकाशित नहीं हुआ है कि उक्त गुण्डागर्दी के विरुद्ध 90 प्रतिशत विद्यार्थियों ने आन्दोलन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय सभा की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। मैं इसे भविष्य में सहन नहीं करूँगा ।

श्री हेम बरूआ (मंगलदायी) : कलकत्ते में 'गांधी जी मुर्दाबाद और माओ जिन्दाबाद' के नारे लगाये गये । क्या पेंकिग के बाजार में कोई भारतीय अपने नेता के सम्मान में नारे लगा सकता है। उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने दो महत्वपूर्ण पत्रिकायें, 'लोक युद्ध' हिन्दी में और 'लिबरेशन' अंग्रेजी में निकाली हैं । 'लिबरेशन' में 70 प्रतिशत स्थान चीनी सामग्री को दिया जाता है। उन्होंने देश में अशान्ति का वातावरण बनाया हुआ है। यहां तक पता लगा है कि मार्क्सवादी नेता कहते हैं कि "जीवन दो और जीवन लो" महात्मा गांधी ने हमें सिखाया है कि "जीवन दो और जीवन मत लो"

जादवपुर विश्वविद्यालय में गांधी केन्द्र में सैकड़ों विद्यार्थियों और उग्रवादियों द्वारा हमला किया गया लेकिन केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। क्या इस बारे में पूरी जांच की

जायेगी और क्या सरकार पुलिस को शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश की अनुमति देगी क्योंकि वे नकसलवादियों की गतिविधियों का गढ़ हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस को प्रवेश की अनुमति देना बहुत गम्भीर मामला है।

जहां तक कलकत्ता विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है सलाहकार इस प्रश्न पर विचार करेंगे। मैंने इस विषय पर विचार किया है और मुझे इस बारे में शिक्षा मंत्री से विचार विमर्श करना होगा। मेरे विचार से पुलिस को विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश के आदेश नहीं दिये गये हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा (बाढ़) : माननीय मंत्री ने राज्य में घटने वाली घटनाओं को शर्मनाक बताया है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गांधी जी के विरुद्ध काफी समय से आन्दोलन चल रहा है। श्री रित्विक घटक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके विपरीत उन्हें पद्म श्री से विभूषित किया गया। जादवपुर विश्वविद्यालय में ऐसी गतिविधियां काफी समय से चल रही हैं लेकिन उनको रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या गांधी जी के विरुद्ध किये जा रहे आन्दोलन के प्रति भारत सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी ? यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार वहां घटने वाली घटनाओं के प्रति उदासीन क्यों है। "हत्याओं के कार्यक्रम का कस्बों तक प्रसार किया जाना चाहिये" जैसे परिपत्र साम्यवादी (मार्क्सवादी) और नक्सलवादियों द्वारा जारी किये गये हैं। बर्दवान में तीन लड़कों की निर्दयता पूर्वक हत्या की गई। राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत इस प्रकार की घटनायें घट रहीं हैं। पुलिस जनता को संरक्षण देने में असमर्थ है। गुण्डों द्वारा बहुत से बच्चों की हत्यायें की गयीं हैं। (**अन्तर्बाधायें**) सरकार को इन हत्याओं की जानकारी थी लेकिन उसने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार इस बारे में कुछ भी जांच करे लेकिन उन बच्चों को जीवित नहीं किया जा सकता।

श्री ज्योति बसु की यदि छोटी उंगली जख्मी हो जाती है तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जाती है। लेकिन बंगाल में सैकड़ों व्यक्तियों की हत्यायें की गई पर भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार उस पत्रिका के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

सरकार ने वहां कानून और व्यवस्था बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। क्या सरकार उक्त पत्रिका पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार कर रही है ?

क्या सरकार नक्सलवादियों पर, जो बड़ी संख्या में हत्यायें करने की घोषणा करते हैं, प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है। सरकार राज्य में मूक दर्शक की भांति कार्य कर रही है और वहां की स्थिति के प्रति उदासीन है (**अन्तर्बाधायें**) सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ गया है क्योंकि सरकार बड़े पैमाने पर हत्यायें रोकने में असमर्थ रही है।

छात्र परिषद् के दो विद्यार्थियों की हत्या की गई। ऐन्टाली, कलकत्ते में विद्यार्थियों

पर 50 बम फेंके गये लेकिन पुलिस देखती रही और उसने कोई कार्यवाही नहीं की। (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : आप असंगत बातें कह रहीं हैं। आप कृपा कर बैठ जायें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आप विभिन्न दलों के बीच भेद भाव कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें भेद भाव का कोई प्रश्न नहीं है। जादवपुर विश्वविद्यालय के बारे में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूँगा।

श्री मोरार जी देसाई : क्या इस बात का निर्णय करना कि अमुक प्रश्न ततसंगत है अथवा नहीं मंत्री या किसी सदस्य का काम है या इसका निर्णय करना अध्यक्ष का काम है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि वे केवल जादवपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर दें क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जादवपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य ने अनेक बातों का उल्लेख किया है। यदि गृह-कार्य मंत्री समझे कि उनका जादवपुर विश्वविद्यालय से कुछ सम्बन्ध है तो वह उन बातों का उत्तर दे सकते हैं।

श्री पे० वेंकटासुब्बया (नन्दपाल) : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी अनेक बातों का उल्लेख किया है। आप स्वयं इस बात का निर्णय करें कि कौन सी बात सम्बन्धित है और कौन सी बात सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस घटना का उल्लेख किया था और कहा था कि किशोर गुमराह हो गये हैं अथवा कुछ गलत काम कर रहे हैं।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यह बहुत ही असम्बन्धित है और मैंने इस ओर आपका ध्यान दिलाया था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह बात सम्बन्धित थी।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : हम भी जानते हैं कि सम्बन्धित क्या है और असम्बन्धित क्या है।

Mr. Speaker : I am the judge to decide what is relevant and what is irrelevant.

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : क्या वह श्री रंगा को इस प्रकार सम्बोधित कर सकते हैं 'कि तुम बूढ़े व्यक्ति बैठ जाओ'।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे खेद है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : क्या आधे घण्टे तक यह सब कुछ देखने के पश्चात भी आपने जो टिप्पणी मेरे बारे में की थी वह अभी तक ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : आपके मामले में क्या सम्बन्धित है और क्या असम्बन्धित है इस बारे में मैं विशेष नियमों के बारे में सोच रहा हूँ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण माननीय सदस्य ने जादवपुर विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न

उठाया था और उन्होंने कुछ अन्य पहलुओं का भी उल्लेख किया है। मेरे विचार में वह यह कहना चाहती थी कि इसका सम्बन्ध नक्सलवादियों से है।

बंगाल में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अन्य कस्बों में भी जो घटनाएँ घटी हैं उनके बारे में हमने चिन्ता व्यक्त की है। राज्यपाल ने भी इस बारे में न्यायिक जांच कराने का वचन दिया है। जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है हम एक कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। हम एक ऐसी अवस्था में पहुँच चुके हैं जहां स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब इसमें कुछ सुधार किया जाना है। समूचे प्रशासन में दक्षता लानी होगी। अतः कुछ समय लगेगा।

जादवपुर विश्वविद्यालय के बारे में मुख्य कठिनाई यह है कि यद्यपि हमारे पास वहां पर कुछ गड़बड़ की सम्भावना के बारे में सूचना थी तथापि पुलिस विश्वविद्यालय के अहाते में प्रवेश नहीं कर सकी। समूची घटना दो मिनट में घट गई। इसके बाद विद्यार्थियों का पता लगाना कठिन था। कुछ जांच की गई थी जिससे पता लगा कि इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जो कि विद्यार्थियों के नेता नहीं थे। अतः उनको गिरफ्तार कर लिया गया था।

श्री समर गुह : अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है। जहां तक आसाम की घटना का सम्बन्ध है श्री सैयद हुसैन के बारे में इस सभा में चर्चा हुई थी। एक वर्ष पूर्व श्री बरुआ ने इस बारे में प्रश्न उठाया था और मैंने इस बारे में कुछ जानकारी दी थी कि वह आसाम से कुछ लोगों को भर्ती कर उनको नागालैंड में प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। हाल में इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। यह सच है कि ये ग्रुप देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे हैं। जहां तक आजादी सम्बन्धी कागजों का सम्बन्ध है हमने दिल्ली प्रशासन को इस बारे में कानूनी कार्यवाही करने को कहा है। इस बारे में कुछ कार्यवाही की भी गई है। मुख्य काम इन गतिविधियों को रोकने का है और इसके लिए यह अच्छा है कि हम इसके मूल कारणों का पता लगाकर उनको दूर करने के लिए प्रभावशाली कार्यवाही करें।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : नक्सलवादी सिद्धान्तों का खुलेआम प्रचार किया जा रहा है। अब समय आ गया है जबकि भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह आन्दोलन पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में बहुत बढ़ गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि घटक जैसे व्यक्तियों को जिन्होंने खुलेआम गांधी जी पर आक्षेप किया है पद्मश्री की उपाधि दी जाती है। ऐसी बातों से गांधी विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी उपाधियां देने में गृह-कार्य मंत्रालय को सावधानी से कार्य करना चाहिए। नक्सलवादी आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार ने अब तक जो कार्यवाही की है वह न तो प्रभावशाली थी और न ही पर्याप्त थी। यदि इस देश में साम्यवाद बढ़ता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है क्योंकि सरकार ने इसको प्रोत्साहित किया है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है कि विद्यार्थी हिंसात्मक कार्यवाहियां न करें।

क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करेगी जिससे पुलिस बल को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके ताकि पुलिस घटनास्थल पर तेजी से पहुंच सके। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सरकार पश्चिम बंगाल प्रशासन से ऐसे लोगों को निकालने, जो राजनैतिक दलों से सम्बद्ध हैं और जो विधि व्यवस्था की स्थिति बहाल करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जिन मामलों में हमें पहले से कुछ जानकारी मिल जाती है हम विश्वविद्यालयों को चेतावनी दे देते हैं। इस मामले में जैसा कि मैंने पहले कहा हमें वहां पर विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति के बारे में कुछ जानकारी थी। हम इस बारे में कुछ कार्यवाही भी करना चाहते थे परन्तु उप-कुलपति इस बारे में कुछ निर्णय नहीं कर सके। पुलिस को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई अन्य बातों से उत्पन्न होती है।

जहां तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है मेरे विचार में पुलिस की कार्यवाही पर्याप्त नहीं होगी। हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। राजनैतिक मामलों तथा राष्ट्रीय मामलों के बारे में उनको उचित शिक्षा देने की आवश्यकता है। उग्रवादी विचार रखने वाले राजनीतिक दलों पर नियंत्रण रखने तथा उनको विनियमित करने की आवश्यकता है। इसके लिए न केवल सरकार की कार्यवाही की आवश्यकता है बल्कि कुछ और कार्यवाही किये जाने की भी आवश्यकता है। जैसा कि श्री समरगुह ने कहा जादवपुर विश्वविद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। यह एक अच्छा चिह्न है और हमें इसको और मजबूत करना होगा।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : आप जादवपुर विश्वविद्यालय में घटने वाली घटनाओं को पश्चिम बंगाल के सामान्य वातावरण से पृथक नहीं कर सकते।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमारी यह इच्छा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल की सांठगांठ से बात न करें। नियम यह है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखने चाहिए। यदि हमें इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो अथवा आवाश्यक साक्ष्य प्राप्त हो कि किसी सरकारी कर्मचारी का किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध है तो हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

———

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE.

भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखें तथा शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के लेखे के लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ : ---

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, वर्ष

1968-69 के लिए भारत के राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) का एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) 13, मार्च, 1970 को सदन में की गई आपत्ति के अनुसरण में, वर्ष 1967-68 के लिए शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के लेखे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3219-70]**

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम 1970

गृप-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 28 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या, जी० एस० आर० 497 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3220-70]**

दिल्ली मोटर गाड़ी (चौथा संशोधन) नियम, 1969

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939, की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, दिल्ली मोटर गाड़ी (चौथा संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक, 16 मार्च, 1970 के दिल्ली पाजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (49)/69 टी पी टी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3221/70]

अनुदानों की मांगें 1970-71—जारी

DEMANDS FOR GRANTS 1970-71—CONTD

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जायेगी। सभा दो बज कर 30 मिनट तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दोबज कर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till half past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पैंतीस मिनट पर पुनः समवेह हुई।

The Lok Sabha re. assembled after the lunch thrity five minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

Denards of Grants, 1970-71 अनुदानों की मांगें : 1970-71

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I have to made an very important submission. The Bihar Assembly has passed an motive to do away with the Bihar Council. But now I have come to know that some Conspiracy is going on to restore that council. I want that Government should make some statement in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ कहना था आप कह चुके हैं । श्री क० प्र० सिंह देव अपना भाषण जारी करें ।

श्री क०प्र० सिंह देव (ढेंकानाला) : यद्यपि मुझे सीमित समय ही दिया गया है तथापि मैं सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करुंगा ।

इस्पात एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका प्रयोग रेलवे, प्रतिरक्षा, कृषि तथा अन्य लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्माण हेतु होता है । इस विषय पर प्रारम्भ से ही पूरी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया है । उच्च स्तर पर भी इस बारे में कोई ठोस नीति नहीं अपनाई गई जो कि निरन्तर बनी रही हो । आशा है कि वर्तमान मंत्री इस विभाग के कार्य संचालन में सुधार करेंगे क्योंकि उनको इस बारे में कुछ तकनीकी जानकारी प्राप्त है ।

किसी भी देश के आर्थिक स्तर को उस देश में प्रयोग होने वाली इस्पात की मात्रा से नापा जाता है । हम प्रतिदिन उत्पादन में कमी, इस्पात में कमी, अप्रयुक्त क्षमता तथा सप्लाई के अभाव के समाचार पढ़ते हैं जिससे पता लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में कमियां हैं । जहाँ तक इस्पात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का प्रश्न है यह समस्या बहुत गम्भीर है । यदि हम विश्व बाजार में प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो हमें परिवहन के तरीकों का विकास करना होगा ।

प्रतिवेदन में यह प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है कि विक्री योग्य इस्पात का उत्पादन इस वर्ष अधिक हुआ है । मेरे विचार में इस्पात का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम हुआ है ।

हाल में सरकार ने इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने का जो निर्णय किया है इससे अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव हुआ है । इस का इन्जीनियरिंग उद्योगों तथा सभी सहायक उद्योगों के सामान्य मूल्य ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को होने वाले घाटों को पूरा करने की दृष्टि से ही मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी गई है । इस प्रकार सरकार इस उपक्रम के घाटे में तथा अध्यक्षता में भागीदार बन गई है । इस का बोझ उपभोक्ताओं तथा सामान्य लोगों पर पड़ेगा मेरे विचार में मूल्यों को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था और यह काम उत्पादन शुल्क को कम करके किया जा सकता था ।

आयात और निर्यात के बारे में प्रतिवेदन में पुरानी कहानी ही दोहराई गई है । देश में इस्पात की अभी भी भारी कमी है और बड़ी मात्रा में इस्पात का आयात किया जाता है । मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बारे में एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करें और इस बात का निर्णय करें कि चौथी पंच वर्षीय योजना में किस किस स्थान पर इस्पात

कारखाने स्थापित किये जाने हैं। इस बारे में सलेम, हासपेट, गोआ तथा विशाखापटनम के नाम सुझाये गये हैं। हम आरम्भ से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तलचर में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित किया जाये क्योंकि उड़ीसा सरकार वहां पर उद्योग समूह की स्थापना करने जा रही है।

यदि आप मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को समाप्त करना चाहते हैं और यदि हम अपने निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं तो अन्य देशों में इस्पात के क्षेत्र में जो प्रौद्योगिक उन्नति हुई है हमें उससे लाभ उठाना चाहिए। इस समय आवश्यकता पत्तनों के समीप छोटे छोटे कारखाने लगाने की है। इसके लिये औद्योगिक नीति संकल्प में कुछ संशोधन करना होगा। यह बड़े खेद की बात है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को पिछले वर्ष 40 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इस परियोजना पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये की पूँजी लगाई गई है। इस पर कम से कम पांच प्रतिशत लाभ होना चाहिए था। इसका अर्थ यह हुआ है कि गत वर्ष चालीस का नहीं बल्कि 90 करोड़ रुपये की हानि हुई है। अब तक कुल 250 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इतनी बड़ी राशि से एक और इस्पात संयंज लगाया जा सकता था।

सरकार इस्पात कारखानों में श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने तथा प्रबन्ध में मजदूरों को भागीदार बनाने में असफल रही है। और वहां पर प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के सम्बन्ध तनावपूर्ण हैं। इन सम्बन्धों को सुधारने के लिये तथा मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। श्रमिक कठिनाइयों का एक कारण उन कारखानों में एक से अधिक मजदूर संघों का होना है, इस चीज को यथा सम्भव शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए।

भिलाई इस्पात कारखाने का आयोजन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। इसका देश की तथा उपभोक्ता की आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम वहां पर ऐसी मदों का उत्पादन कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता केवल रूस को ही है। 'दी सिटीजन' में प्रसिद्ध इस्पात विशेषज्ञ श्री दस्तूर का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी की पूरी तरह उपेक्षा की गई है और भारतीय विशेषज्ञों को परियोजनाओं की जिम्मेदारी संभालने के अवसरों से वंचित रखा गया है। उस लेख में यह भी कहा गया है कि सरकारी सर्किल में यह धारणा है कि भारत सहायता देने वालों को नाराज नहीं कर सकता। यह भी कहा गया है कि जो सहायता हम जप्त कर रहे हैं वह वाणिज्यिक ऋण है और हमें इसे व्याज सहित लौटाना है। फिर भी हम इसका प्रयोग ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं में कर रहे हैं जिनकी उपयोगिता सन्देहजनक है। मेरे विचार में सरकार को अर्हताप्राप्त इस व्यक्ति के जिस ने अमरीका में इस्पात के क्षेत्र में नाम पैदा किया है और जो पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नियंत्रण पर भारत आया था, सुझाव को स्वीकार करना चाहिए और इन उपक्रमों को उन लोगों के नेतृत्व में देना चाहिए जिनको इस बारे में तकनीकी जानकारी हो। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के सम्बन्ध ठीक न होने के कारण वहां पर भी घाटा हो रहा है हालांकि इस कारखाने का आयोजन

बहुत अच्छा है। इन प्रबन्धकों तथा मजदूरों के सम्बन्धों को सुधारने के लिए स्वयं माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से यह आश्वासन चाहता हूँ और प्रतिक्रिया भी क्या मिश्रित इस्पात संयत्र के विस्तार के बारे में भारतीय परामर्शदाता को कार्य देने के बारे में कोई करार हो गया है। मुझे आशा है कि सरकार भारतीय वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिक बिलों की सेवाओं का लाभ उठायेगी।

मैं जानना चाहता हूँ कि इन कारखानों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने क्या ठोस कार्यवाही की है और इस बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारें क्या भाग अदा कर रही है तथा इस बारे में भारत सरकार का क्या रवैया है। क्या उन्होंने औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की है? यह बड़े खेद की बात है कि भारत जैसे देश में जहां लोह अयस्क, कोयला तथा चूने का पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है इस्पात की उत्पादन लागत बहुत अधिक है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन कारखानों को होने वाली इतनी बड़ी हानि के लिए कौन जिम्मेदार है।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि विभिन्न इस्पात कारखानों में पृथक-पृथक प्रबन्ध व्यवस्था करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ वर्तमान केन्द्रीकृत प्रबन्ध व्यवस्था के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जहां तक घाटे का प्रश्न है अनेक स्थानों पर बचत की गुन्जायश हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि मदों की सूची में कमी करदी गई है। इससे पूंजीगत लागत कम हो जायेगी।

इस तथ्य के बावजूद कि देश में तकनीकी जानकारी तथा टैक्नालोजी उपलब्ध थी सरकार ने रूस के दबाव में आकर इसका लाभ नहीं उठाया है और परामर्शदात्री का कार्य गिपरोमेक्स को सौंप दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि एक हजार करोड़ रुपये की पूंजी भारतीयों को रोजगार देने अथवा रूसी तकनीशनों को रोजगार देने के लिए लगाई जा रही है। इस परियोजना के कार्यान्वयन में जो विलम्ब हुआ है उससे हमें इस परियोजना पर एक सौ करोड़ रुपये अधिक व्यय करने पड़े है। निर्मिय वस्तुओं की लागत भी अधिक होगी। भारतीय परामर्शदाताओं के साथ जो गलत व्यवहार किया गया है उसको दूर किया जाना चाहिए। इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि 1969 में संसद में जो आश्वासन दिया गया था माननीय मंत्री उसको पूरा करेंगे और पदामर्शदात्री का कार्य दस्तूर एण्ड कम्पनी को दिया जायेगा।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : श्रीमान्, मैं इस्पात और भारी इंजीनियरिंग की मांगों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। इस मंत्रालय के लिए कितनी राशि मांगी जाती है। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जो पूंजी विनियोजन किया है, उससे पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है या नहीं।

यह चिन्ता की बात है कि जब भारत की गली-गली में हजारों लाखों की संख्या में लोग भूखे-प्यासे रहते हैं। तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में विपुल धन राशि खर्च करती हैं और बड़ी भारी क्षति उठाती हैं। क्षति का कारण कभी श्रमिक आन्दोलन बताया जाता है और कभी उद्योग की शुरूआत में स्वाभाविकतया होने वाली गड़बड़ी बताया जाता है। मगर सरकार को

इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिये। जब पूंजी विनियोजन किया जाता है तो सरकार को उससे अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के प्रयत्न में तत्पर रहना चाहिए। यदि किसी उपक्रम में निरन्तर रूप से हानि होती है, तो सरकार को उसके कारणों की जांच करने और उसका हल खोज निकालने के लिए एक प्रवर समिति का गठन करना चाहिए। किसी भी उपक्रम में वहां काम करने वाले लोग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अतः ऊँचे पदों पर की जाने वाली नियुक्ति में अधिक ध्यान बरता जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र की फर्मों के अध्यक्षों का निर्वाचन कैसे होता है ? छः सात महीने तक उक्त पद को रिक्त रचा जाता है और उस के बाद कहीं से एक आदमी को नियुक्त किया जाता है। इन्जीनियरों का अखिल भारतीय संवर्ग बनाया जाना चाहिए। इस के बिना यह समस्या हल नहीं होगी। इन्जीनियरों की वरिष्ठता की सूची बनाई जाए और नियुक्ति उसी में से की जाए। मगर सरकार यह कार्य करना नहीं चाहती। कहीं से एक आदमी नियुक्त किया जाता है और यह इस आधार पर नहीं किया जाता कि वह क्या जानता है' मगर इस आधार पर कि 'वह किसे जानता है'। यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र में बड़ी भारी हानि क्यों होती है ? मूल कारण है कि एड़ी से चोटी तक अपना राष्ट्रीय स्वभाव खोगया है। चोटी के जो लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार के संशय से परे रहना चाहिए। अतः मेरा निवेदन यह है कि इन अध्यक्षों के निर्वाचन में बड़ी सावधानी बरती जाए। यह एक तथ्य है कि जो भी व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है, वह भेदभाव, भाई भतीजावाद, प्रांतीयता आदि घृणित भावनाओं का शिकार बन जाता है। यह समाप्त होना चाहिए।

हमें यह बात माननी चाहिए कि विदेशी सहयोग चाहे वह कितनी ही आकर्षक शर्तों पर आधारित हो, हमारे राष्ट्रनिर्माण कार्य में उस का बुरा असर पड़ा है। हमें तकनीकी जानकारी आदि बातों में आत्म निर्भर होना चाहिए। आज होता क्या है ? एक वर्ष के लिए विदेशों से विशेषज्ञ यहां आते हैं। काम पर लगने में तीन महीने लग जाते हैं। छः महीने वे काम करते हैं और शेष तीन महीनों में वे अपने देश लौट जाने की तैयारी करते हैं। केवल छः महीने के काम के लिए उन्हें एक वर्ष का वेतन दिया जाता है। अल्प काम के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को लाने के बजाए दीर्घ काल के लिए छोटी संख्या में विशेषज्ञों को क्यों नहीं लाया जाता ? इन्हें वेतन के रूप में जो विपुल राशि दी जाती है वह हमारे इन्जीनियरों को हताश करेगी। यथा संभव यह कम किया जाना चाहिए।

आज भी सहकारी उपक्रमों में ऊँचे पदों पर सिविल सर्विस या प्रशासनिक सेवा के लोग नियुक्त किए जाते हैं। मगर लोग हानि के लिए इंजीनियरों को ही दोष देते हैं, सिविल सर्विस या प्रशासनिक सेवावालों को नहीं। अतः मेरा निवेदन यह है कि सरकारी उपक्रमों में ऊँचे, जिम्मेदार पदों पर इंजीनियरों की नियुक्ति की जाए। यदि सरकार सही अर्थ में सार्वजनिक क्षेत्र में दिलचस्पी रखती है, तो उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की सृष्टि करनी चाहिए।

1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में बताया गया है कि सरकारी कारखाने देश के विभिन्न स्थानों में स्थापित किए जाने चाहिए ताकि क्षेत्रीय असंतुलन मिट जाए।

मगर काम इसके एक दम विपरीत चल रहा है। सरकारी कारखानों में जहां भी हो, योग्य व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिलती। भारी इंजीनियरिंग निगम के लिए आदिवासी लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं। मगर उन्हें तनिक भी लाभ नहीं पहुँचा। सरकार बड़ी-बड़ी नीति बनाती है मगर उस का कार्यान्वयन नहीं करती। ऐसी नीतियों से क्या लाभ है? अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे यथासंभव शीघ्र औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए।

हमारा कार्यभार बहुत बड़ा है। हमारी समस्याएं बहुत व्यापक हैं। सरकारी क्षेत्र द्वारा व्यापक एवं भारी प्रयत्न किये बिना इन मूल समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस का मुकाबला करने के लिए हमें क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए। अतः मेरी आज्ञा है कि मंत्री महोदय इन बातों पर गहराई से विचार करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Speaker, Sir, the richness of a country depends on the deposits of iron, coal, steel etc., in that country. We have big deposits of these minerals. But even after 22 years since we became independent, this country is still poor. The problems of unemployment, shortage of foodstuff became more explosive than ever before. Monopoly has grown to the jaint's size. The Government is swearing in the name of socialism. If this Government were honest to this cause, by this time unemployment could have been drive off. If the Government had implemented the policy of exploiting the raw materials in full, we would have been in a position to export Steel and other things in large quantity. But they only paid lip-service to their so-called radical policies. If they want to prosper in the field of iron, steel etc. and if they want to participate in the international competition, they must cat as under the shackles of capitalist bonds and throw away the capitalist policies.

The People from Kerala and from other States demanded steel plants. Keeping in view the back wardness of states, steel plants should be set up wherever it is necessary, and wherever it is possible.

I would like to say one thing regarding Bokaro steel plant. The antisocialist monopolist lobby here launch severe attack on the Soviet. Union and the Government on the Bokaro issue. First of all the Government had knocked the doors of America and Britain for aid. But they rejected our request. But the Soviet Union came to our help. The policy of Soviet Union and other Socialist countries is that in order to cut down the imperialist hold on the developing countries and make them self-reliant, economic aid should be given to them.

The Soviet Union reached an agreement in 1964 with India regarding Bokaro steel plant. The Swathantra party and all the other reactionary elements in this country make an out cry that the expense is mounting up and that the plant is not being completed within the prescribed time. It is true that expense is increased. In the first round the amount calculated for production of 1.7 million tons of steel was Rs. 590 crores but now it is Rs. 700 crores. In the second round the amount calculated for the production of 4 million tons was Rs. 770 crores which is now 1090 crores. But Mr. Ashok Mehta and his colleagues an responsible for that who dragged this country to the stage of devaluation. In Rourkela Bhilai and Durgapur, the total expense per 10 lakhs tones of steel was Rs. 200 crores. After 14 years, not with standing the steep rise in price of almost all commodities, the expense of production in Bokaro is only 270 crores per 10 lakh tons steel. There is only an increase of Rs. 70 crores. Then so far as delay is concerned it is due to the fact that the materials

in our country are not supplied in time. The Government and the officers concerned are responsible for this state of affairs. The Soviet Union was to give 1 lakh tones equipments out of which they gave 70,000 tonnes. The share of Government of India is 1,54,000 tonnes out of which they gave only 18,000 tonnes. We can now decide who is responsible for committing delay. The roof cause of delay is the fluctuating policy of the Government and the sinister intrigrues of the monopolists and capitalists in this country. They go to such an extent to say that so long as we depend upon constituency of Soviet Union we will not be after to become self-sufficient. I say that the Soviet Union is the true friend of ours.

Now-a-days a deleberate attempt is going on to scandal the Soviet Union. Anti-Soviet and anti-Socialist feelings are being induced. Anti-Social elements are behind all these defamatory attempts. The materials produce in Heavy Engineering Corporation are not supplied in time. We must strengthen our time with Soviet Union.

In Bokaro, the contractors are not interested in implementing the agreement reached with Soviet Union. As a result feeling of unrest grece among the labourers. The Government is not seeking the co-operation of labour unions. My contention is that the Government must do away with the contractors and seek the co-operation of Labour Unions.

Heavy Engineering Corporation has shown some signs of improvement. But is it not a fact that the Government is purchasing materials from either individual monopolists or from foreign countries ? If they were to ultimately pursue this policy then why did they set up this engineering plant in Public Sector? Is it a fact that only 25 percent of the total productivity of all the engineering plants is utilised ? Is it also a fact that Public Sector factories use materials produced in the factories of Tata, Birla etc.? If we pursue this policy, and it will have a regarding effect on our economy.

In the Heavy Engineering Corporation, in Hatia, Commercial violence erupted in 1967. The Muslim brothers affected by this riot could not be rehabilitated hitherto. The Government is requested to take adequate measures in this regard. The officers in connivance with Jan Sangh on playing political game there.

Finally I would like to draw the attention of the Government towards the legitimate demands of the labourers working in various Steel Plants, Engineering corporations etc. The Government should approach their problems with compassion and good-will. The Security Force Staff in Heavy Engineering Corporation of Ranchi is on strike since one month demanding the grade recommended by wage Board to be made effective from that date in which others were given. I submit to the Government to concede their demands and help create an atmosphere for an early settlement of the problem.

श्री प्र० कु० घोष (रांची) : ऊपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मेरा मित्र श्री रामावतार शास्त्री ने कहा कि भारी इंजीनियरिंग निगम के प्रबन्धकों ने मुसलमान कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए कोई कार्य नहीं किया । मैं रांची से आता हूँ । उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल गलत है । मुसलमान कर्मचारियों के पुनर्वास कार्यों में मैंने भी सक्रिय कार्य किया था । यह एक प्रशासनिक कार्य नहीं है । यह मूलतः एक मानवीय समस्या है और इसको उस आधार पर सुलझाया जाना चाहिए । 50 से 60 तक दंगाग्रस्त परिवारों का पुनर्वास किया गया है । सारे लोगों के पुनर्वास के लिए हमें और प्रयत्न करना चाहिए । विभिन्न समुदायों के बीच मैत्री भाव बढाने का उचित वातावरण बनाया जाना चाहिए । जनसंघी लोगों को भी हमने इस बात से अवगत कराया कि दंगाग्रस्तों के लिए अलग कालोनी नहीं बनाई जा सकती । उनके पुनर्वास के लिए हमने एक योजना बनाई है । हमें विभिन्न समुदाय के लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो रहा है । यहां

तक कि जनसंघ वाले भी इस कार्य में ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। अब वहां पारस्परिक सद्भावना का वातावरण कायम हो गया है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि इस्पात मंत्रालय के अन्तर्गत जितने उद्यम हैं। वे सब घाटे में चल रहे हैं। मेरे विचार से श्री पन्त जब से मंत्री बने, तब से वे बड़ी कुशलता से इस मंत्रालय को चला रहे हैं। आशा है कि उनकी देख-रेख में इस मंत्रालय में बड़ी उन्नति होगी।

सरकारी उपक्रमों में जो निरंतर हानि हो रही है। उसका एक कारण मंत्रालय में होने वाले हेर-फेर है। हम आशा करते हैं कि श्री पंन्तजी को कम से कम कुछ वर्षों तक इस मंत्रालय में रखा जाएगा।

अन्य कारण हैं प्रबन्धकों की अकुशलता जिन्हें सामान्य प्रशासनिक कोटि में से निर्वाचित किया जाता है। उन्हें उद्योग को चलाने संबंधी व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों के पदों पर हम प्रशासनिक सेवा में से लोगों को नियुक्त करते हैं जिन का प्रशिक्षण अंग्रेजों के अधीन हुआ था। अतः इनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। उनका मुख्य काम अपने लिए सुविधा के साधनों को संचित करना है। वे अपने निजी कार्य के लिए आधा दर्जन ड्राइवरों को और आधा दर्जन चपड़ासियों को नियुक्त करते हैं। वे कुछ पदों की सृष्टि कर अपने भाई-बन्धुओं को वहां पर नियुक्त करते हैं। निन्दुस्थान स्टील के संचालक मंडल का अध्यक्ष महीने में 25 दिन बाहर रहते हैं।

मेरे कुछ माननीय मित्र इन उपक्रमों को स्वायत्तशासी बनाने के पक्ष में हैं। मगर उत्तरदायित्वहीन स्वायत्तशासन खतरनाक है। यदि इन्हें स्वायत्तशायी बना दिया जायगा। तो वे अपनी निजी आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए अधिक राशि खर्च करेंगे। उनके निर्णयों से केवल ऊँचे पद पर रहने वाले अधिकारियों को ही लाभ पहूँचेगा। अतः मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर इन्हें स्वायत्तशायी बना भी दिया जाए तो महत्वपूर्ण निर्णय करने का अधिकार केवल मंत्रालय को होना चाहिए।

एक बात और है। इन लोगों को संसद की तनिक भी परवाह नही है। हाल में, इस्पात और भारी इन्जीनियरिंग पर परामर्श समिति की बैठक से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का अध्यक्ष बिना सदस्यों की अनुमति के, बाहर चले। अगर इन्हे स्वायत्तशासन दिया जाएगा तो वे मंत्रियों का भी आदर नहीं करेंगे। हाल में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कुछ मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई और कई चोटी के इंजीनियरों को दोषी पाया गया। इनके भ्रष्टाचार के कारण यह कारखाना घाटे में चल रहा है। यदि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोका नहीं गया तो सरकारी उद्योगों को लाभकारी नहीं बनाया जा सकता। अतः भ्रष्टाचारियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए।

दुर्गापुर में जो श्रमिक संघर्ष चल रहा है वह वहां की असामान्य राजनैतिक परिस्थिति के कारण है। मगर कई मामलों में चोटी के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार दिखाई पड़ते हैं। श्रमिकों के साथ शिष्टता का व्यवहार नहीं किया जाता। वे उनके साथ बैठना भी नहीं चाहते।

इस रवैये के कारण श्रमिक वर्ग अधिक उद्धत बनता जा रहा है। भारत के श्रमिक वर्ग अपने आत्म सम्मान के प्रति अधिक सचेत है। अतः हमें ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए ताकि ये चोटी के अधिकारी श्रमिकों से सहानुभूतिपूर्ण एवं शिष्टतापूर्ण व्यवहार करे। भारी इंजीनियरिंग निगम में कुछ अधिकारी प्रबन्ध मंडल को बदनाम करने के लिए श्रमिकों को हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों को नौकरी से हटा दिया जाना चाहिए।

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मंत्रालय जो कि देश के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, सरदार स्वर्णसिंह, श्री क्र. चं. पंत जैसे कुशल मंत्रियों की देख-देख में कार्य कर रहा है। अतः मेरा विश्वास है कि यह मंत्रालय देश की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेगा।

जैसा कि हम सब जानते हैं औद्योगिक क्रांति के दो महत्वपूर्ण साधन हैं कोयला और लोहा।

हामारे देश मे इस्पात और कच्चे लोहे की मांग और पूर्ति का अन्तर बढ़ता जा रहा है जो कि मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार 1978-79 में इस्पात और कच्चे लोहे के सम्बन्ध में क्रमशः 64.20 लाख और 29.80 लाख टन हो जायेगा। इस अन्तर को समाप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। प्रतिवेदन में बनाया गया है कि इसके लिए हम तीन नए इस्पात कारखाने स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। इस सम्वन्ध में तो सरकार बहुत वर्षों से विचार कर रही है और अब भी विचार ही हो रहा है। हम पिछले कई वर्षों से सलेम में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि हम अभी इसके स्थान के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लेने वाले हैं। पर अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इस सम्बन्ध में मै यह भी बता दूं कि जापान की एक बड़ी लोहा और इस्पात कम्पनी जवाना आइरन एण्ड स्टील कम्पनी सलेम में इस्पात कारखाना स्थापित करने में सहायता देने को तैयार है तथा इसके सम्बन्ध में हो रही प्रगति बड़े ध्यान से देख रही है। अतः सरकार या तो स्वयं इसकी स्थापना के कार्य को अपने हाथ में ले या फिर तामिल नाड़ सरकार को सलेम मे कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दें। जब भी कोई इस्पात कारखाना प्रारम्भ किया जाता है तो क्षेत्रीय आधार के पूर्व तकनीकी आधारों पर विचार करना पड़ता है। परन्तु हमें क्षेत्रीय असमताओं को भी दूर करना चाहिए। आयोजना का यह एक महत्वपूर्ण विषय है तथा इसी कारण हम सलेम में इस्पात कारखाना स्थापित करने की मांग करते आ रहे हैं जब दस्तूर एण्ड कम्पनी नें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तो उसने 95 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान बताया था, पर अवमूल्यन के बाद वह बढ़कर 110 करोड़ रुपये हो गई है। सरकार को चाहिए कि वह इस कारखाने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करें।

एक और गलत धारणा जो सरकार ने बना रखी है वह यह है कि जहाँ कहीं कारखाना

स्थापित किया जाये वहाँ कोयला, खनिज लोहा और बिजली उपलब्ध हो। यह एक बहुत ही पुराना सिद्धान्त है। जापान सारा खनिज लोहा और कोयला आयात करता है परन्तु फिर भी बाहर से तैयार किए गये उत्पादनों का निर्यात करते है। अतः सरकार को चाहिए कि वह पुरानी लीक को छोड़ कर नई रोशनी को देखे।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं। उन्होंने तीनों संयत्रों के महा प्रबन्धकों के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा करदी हैं। उनका एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरण किया जा रहा है और बिना किसी कारण के तंग किया जाता है। अध्यक्ष का काम प्रशासन को देखना है। परन्तु यहाँ उन्होंने सब कार्यो पर अपना एकाधिकार कर रखा है यहाँ तक कि कीमतों का निर्धारण करने से लेकर चपरासियों तक की नियुक्ति का अधिकार उन्होंने अपने हाथ में रखा है। अतः सरकार को इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री और आयोजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नए इस्पात कारखानों के विकास के लिए 110 करोड़ रुपयों का उपबन्ध किया गया है। सरकार ने इस योजना के दौरान नरम इस्पात के उत्पादन के लिए है। एकीकृत संयंत्र और विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए तीसरे संयंत्र की स्थापना के लिए कार्य आरम्भ करने का निर्णय किया है। तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से कारखानों की स्थापना के लिए कई स्थानों का अध्ययन किया गया है, तथा बन्दरगाह के निकट होने के लाभ को देखते हुए सरकार ने इनमें से एक कारखाने को विशाखापटनम के तटीय क्षेत्र में स्थापित करने का निश्चय किया है।

हास्पेट के पास के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी किस्म के खनिज लोहे का विशाल भण्डार है पर आजकल किसी कारखाने के अभाव में इसका आंशिक ही उपयोग हो पाता है और वह भी निर्यात के रूप में अतः इसका समुचित उपयोग करने के लिए एक कारखाना इस क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

प्रस्तावित होस्पेट और विशाखापटनम के कारखाने केवल नरम इस्पात का ही उत्पादन करेंगे पर देश में विशेषकर तमिलनाडु और मैसूर में विशेष प्रकार के इस्पात की बड़ी मांग है, अतः इस मांग को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में और अधिक औद्योगिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने सलेम जिले में नेवेली लिग्नाइट और स्थानीय लोहे पर आधारित एक विशेष इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निश्चय किया है।

सरकार इन तीनों इस्पात संयंत्रों पर इस चौथी योजना के दौरान शीघ्र से शीघ्र कार्य आरम्भ करना चाहती है।

क्योंकि इन कारखानों का नक्शा भारतीयों द्वारा बनाया जायेगा तथा उपकरण भी भारत में ही निर्मित होंगे इसलिए इनकी स्थापना और निर्माण का कार्यक्रम देश में उपलब्ध तकनीकी क्षमता तथा उपकरण सप्लाई करने वाले कारखानों तथा इन्जीनियरों की क्षमता के अनुरूप होगा।

देश के बढ़ते हुए उद्योगों और आर्थिक उन्नति के साथ-साथ इस्पात की मांग दिनों-दिन बढ़ती जायेगी तथा यह आशा है कि अगले दस साल में इस्पात का उत्पादन दुगुना हो जायेगा और इसलिए इनके अतिरिक्त और नए कारखाने स्थापित करने पड़ेंगे।

नए कारखानों की स्थापना के लिए हमारे ध्यान में कई उपयुक्त स्थान हैं।

श्री एस. आर दामाजी (शोलापुर) : चौथी योजना के दौरान इस्पात कारखानों के उत्पादन में थोड़ा सुधार हुआ है परन्तु हमारी निर्धारित 59 लाख टन की क्षमता की तुलना में इस वर्ष केवल 40 लाख टन उत्पादन हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये कारखाने 66 प्रतिशत क्षमता की दर से काम कर रहे हैं। इस तरह सरकारी क्षेत्र में हम केवल दो-तिहाई क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। तथा एक तिहाई क्षमता बेकार जा रही है, जबकि गैर सरकारी क्षेत्र में 99 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है। यही मुख्य कारण है कि हिन्दुस्तान स्टील को लाभ के बजाय हानि हो रही है।

प्रतिवेदन में कहा गया है मुख्य कारण मजदूरों का असयोगात्म रवैया है। यह बात पिछले वर्ष बेकार जाने वाले उन दिनों के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाती है। प्रबन्धक मजदूरों की समस्याओं में निपटाने में हीं लगे रहते हैं क्योंकि कोई न कोई समस्या हर समय खड़ी रहती है। परिणामतः निर्धारित क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाता। यह एक राष्ट्रीय क्षति है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS.

61 वां प्रतिवेदन

श्री एस. जी. उइके : मैं प्रस्ताव करता हूँ :---

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 61 वें प्रतिवेदन से, जो 14 अप्रैल, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 61वें प्रतिवेदन से, जो 14 अप्रैल, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

बेरोजगारी की समस्या के बारे में संकल्प जारी

RESOLUTION RE. UNEMPLOYMENT PROBLEM CONTD.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The resolution put forward by Shri Ram Subhag Singh is an incomplete one. Mere making provisions the Fourth Plan will not solve the problem of unemployment. We should hit at the very root of it.

Every person who wants to work should have the right of work. This can be done only by amending Article 16 of the Constitution. This will be the first step towards welfare state.

It is possible that Government may say that from where the resources will come. In that case I will say that she is not very been to solve it. If it is not possible for the Government to amend the Constitution then the other alternative is that she must at least give the guarantee of work of 200 days out of 365 days of the year. At least this much Government can do.

If Government cannot even since the guarantee of 200 days they should accept the proposal of Jaiprakash Committee of giving full employment in tribal areas. But the Government do not to do even this. Now the fourth step which they can take is to start Employment Bureau in the University Campus so that the students may get employment. This will create a sense of responsibility and discipline.

It is very necessary to end capitalism for full employment, so far as it is there cannot be full employment. Simply lip service cannot bring socialism, something creative and effective should be done.

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहले ही इस संकल्प पर 2 घंटे 40 मिनट लगा चुके हैं। अब और कितना समय लगा सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह बहुत महत्त्वपूर्ण संकल्प है अतः कम से कम 1 1/2 घंटा समय तो बढ़ाना चाहिए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण संकल्प है। राष्ट्रपति गिरि ने भी इस पर लेख लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम निर्णय कर लेते हैं कि मंत्री महोदय को कब बुलाया जाए।

श्री कंवर लाल गुप्त : 5 बजे के बाद।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें 5 बजे बुलाया जाएगा। श्री भंडारे।

श्री रा. धो. भण्डारे (बम्बई-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ एक तो यह कि सरकार ने 28 नवम्बर 1969 को बेरोज़गारी की समस्या से सम्बद्ध टिप्पणी को स्वीकार कर लिया है और दूसरे यह कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूपण के समय विभिन्न अध्ययन दल नियुक्त किए गए थे जिन्होंने बेरोज़गारी की समस्या पर उचित ध्यान दिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या प्रस्तुत संकल्प को पारित करना ठीक होगा।

बेरोज़गारी की समस्या की चर्चा करते हुए हमें अल्प रोज़गार और बेरोज़गार पर विचार करना होगा। देश की विशालता, संसाधनों की समृद्धता और पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। जब भी हम इस समस्या पर विचार करते हैं हम केवल शिक्षित बेरोज़गार लोगों पर ही ध्यान देते हैं। अशिक्षित बेरोज़गारों और ग्रामीण बेरोज़गारों की समस्या पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकार ने तरह-तरह के अध्ययन किए हैं। राष्ट्रीय रोज़गार सेवा योजना के अन्तर्गत विभिन्न रोज़गार कार्यालय बनाए गए हैं किन्तु स्थिति यह है कि पिछले अप्रैल से दिसम्बर तक 32,63,338 लोगों को रोज़गार मिल सका। 34,32,885 लोगों के नाम चालू रजिस्टर में दज हैं और ये आश्चर्यजनक आकड़े हैं।

लोगों में आलस्य और निराशा की भावना बुरी तरह से घर कर गई है। बहुत कम लोग रोज़गार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराने जाते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि जब तक इन कर्यालयों में वे कुछ रिश्वत नहीं देते उन्हें नौकरी नहीं मिलती भले ही उनका नाम दर्ज किया गया हो। अथवा नहीं। मंत्री महोदय इस बात को गम्भीरता से लें।

[श्री क० न० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K.N. Tewari *in the Chair*]

मैं आपका ध्यान मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस देश की अधिकांश जनता का जीविकोर्पाजन का साधन कृषि है। यह सर्वविदित है कि कृषि पर निर्भर लोगों में से 74 प्रतिशत छोटे किसान हैं अथवा ऐसे किसान हैं जिन्हें इससे बहुत कम लाभ होता है। भूमिहीन और खेतिहर मज़दूर इससे अलग हैं। 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को ध्यान में रखते हुए इसका अनुमान लगायें कि भूमिहीन और खेतिहर मज़दूरों को वर्ष में कितने दिन रोज़गार मिलता होगा। इनमें से भी अधिकांश लोग बेकार भूखे अथवा अधभूखे रहते हैं। अतः सरकार को कृषि-उद्योग खोलने चाहिए जिससे इन किसानों और मज़दूरों को वैकल्पिक रोज़गार मिल सके।

औद्योगिक नीति तीन बातों पर आधारित होती है वैयक्तिक सहयोग और सरकारी क्षेत्र। जहाँ तक सहयोग क्षेत्र का सम्बन्ध है यह भी कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार बन कर रह गया है। अतः यदि सहयोग क्षेत्र को सफल बनाना है तो कृषि उद्योगों का वितरण कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि खेतिहर मज़दूर और भूमिहीन को जीविकोपार्जन के लिए कुछ भाग मिल सके। यदि ऐसा नही किया गया तो बेरोज़गारी की समस्या बनी रहेगी! मैं यहाँ डा. अम्बेडकर द्वारा दी गई चेतावनी की याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था यदि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बनी रहीं तो ये पददलित लोग समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर देंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): सभापति महोदय, सदन में इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। कुछ सप्ताह-पूर्व राष्ट्रपति ने समाचार पत्रों में एक लेख लिखा था। जिसके अनुसार बेरोज़गारों की संख्या 1 से 5 करोड़ के बीच है और 10 से 15 करोड़ लोगों के पास केवल आधा रोज़गार है। सच बात तो यह है कि समस्त खेतिहर मज़दूर अर्धरोज़गार हैं। इन मज़दूरों में से अधिकांश की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है क्योंकि ग्रामीणों के पास आय का और कोई साधन नही होता। हम जानते हैं कि जिस दिन खेत में जुताई नहीं होगी उस दिन उन्हें रोटी भी नसीब नहीं होगी और बच्चों का पेट भरने के लिए कर्जदारों के पीछे भागना होगा।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसने चौथी योजना को और केन्द्रीय बजट का अनुमोदन किया था। उसने देश की सबसे गम्भीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया। यह समस्या है जन शक्ति साधनों को काम में लगाना। डा. हजारे जो रिजर्व बैंक में नियुक्त उप राज्यपालों में से एक हैं उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय यह कहा था कि यदि राष्ट्रीयकृत बैंकों को देश को कुछ लाभ पहुंचाना है तो देश का सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचा बदलना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चौथी योजना के ढाँचे में आमूल परिवर्तन किया जाए। डा. गालब्रेथ ने भी कहा कि इन योजनाओं के कारण ही दूसरी योजना और तीसरी योजना से असन्तुलन बना है क्योंकि पहली और दूसरी योजना के बाद जो लोग बेरोजगार थे उन्हें इन योजनाओं के कारण रोजगार नहीं मिल पाया है। यदि चौथी योजना में यही ढर्रा रहा तो बेरोज़गारों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि देश की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो जाएगी। आज देश के विश्वविद्यालयों में गड़बड़ियाँ और उपद्रव हो रहे हैं क्योंकि आज के विद्यार्थी का भविष्य अन्धकारमय ही मालूम होता है

राज्यों का बजट यदि देखें तो पता चलेगा कि 100 करोड़ रुपयों में से 65 करोड़ रुपये तो कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर ही खत्म हो जाता है। शेष 18-20 करोड़ रुपये से विकास कैसे सम्भव है। गांधीजी की विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण विचार इसी सिद्धान्त पर आधारित था। उन्होंने यह अनुभव किया था कि देश में अन्य सभी सामग्रियों की सभी क्षेत्रों में कमी होते हुए भी श्रम शक्ति प्रचुरता में है और जनशक्ति तथा संसाधनों के बीच यह अन्तर हमेशा बना रहेगा। परन्तु हमारे समस्त आयोजन में या बजट में जनशक्ति आयोजन की कोई व्यवस्था नहीं है।

गांव के लोग नगर की ओर जा रहे हैं क्योंकि गांवों में उन्हें अपना भविष्य अन्धकारमय दिखता है। आज स्थिति यह है कि एक ओर तो ऐसे लोग हैं जो एक रात में 1000 रु. खर्च कर देते हैं और दूसरी ओर वे हैं जिनकी जिन्दगी फुटपाथों पर ही बीत जाती है। हमारे दल ने सुझाव दिया है कि प्रारम्भ में आपात्कालीन रोज़गार समस्या के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए जाने चाहिए। जब देश में बेरोज़गारी की समस्या गम्भीर है तो हजारों करोड़ रुपये वाले बोकारो संयंत्र को 3 या 4 वर्ष के लिए स्थगित करके और इस सम्बन्ध में पुनः प्राथमिकता देने के कार्यक्रम पर ज़ोर दिया जाना चाहिए था। आपात्कालीन आधार पर रोजगार देने के लिए पहली योज़नां के रूप में सरकार द्वारा देश में नलकूपों का जाल बिछा दिया जाना चाहिए। इससे अनेक लोगों को रोज़गार सुविधाए प्राप्त हो जायेंगी।

दूसरी योजना आवास निर्माण की है। एक छोटा सा मकान बनाने में ही 15 व्यक्तियों को रोज़गार मिल जाता है बड़ी योजना से तो देश के लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा।

बेक्टल निगम उर्वरक के वितरण के लिए विपणन सम्बन्धी सुविधाओं की मांग कर रहा है। इसकी इस योजना में स्थिति का बहुत यथार्थवादी विश्लेषण है। इसने यह सुझाव दिया है कि वह गांवों में मरम्मत करने सम्बन्धी व्यवस्था जुटाने के लिए पेट्रोल संग्रह केन्द्र का

उपयोग करेंगे। गांवों में कई मीलों तक कोई पैट्रोल सेवा केन्द्र नहीं है यदि ट्रैक्टर खराब हो जाते हैं तो उनकी मरम्मत नहीं हो सकतीं। यदि गांवों में पेट्रोल-संग्रह केन्द्रों पर मरम्मत करने सम्बन्धी सुविधाएं दी जा सके तो सरकार 4 लाख बेरोज़गार तकनीशनों और डिप्लोमा प्राप्त लोगों को रोज़गार दे सकती है। किन्तु लगता यह है कि सरकार को इस विषय में कोई चिन्ता नहीं है।

मुझे आशा है कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार कर लेगी और कुछ संरचनात्मक परिवर्तन करेगी तथा चौथी योजना को परिवर्तित कर देगी जब तक इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने की आशंका बनी रहेगी।

श्री रा. बरूआ : मजदूरों की समस्या पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि हमारे देश में कोई ठोस जनशक्ति नीति नहीं है। सरकार ने पहली बार इसकी गम्भीरता को स्वीकार किया है। रोज़गार की सम्पूर्ण सम्भाव्यता में केवल 4 प्रतिशत ही मैट्रिक अथवा स्नातक है और इस पर भी नये नये कालिज खोलने के लिए ज़ोर दिया जाता है क्योंकि लोग चाहते हैं कि स्नातक बनकर अच्छी नौकरी पा सकें। किन्तु कोठारी आयोग की सिफारिशों के बावजूद हमारी कोई नीति नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए कभी गम्भीरता से विचार ही नहीं किया गया। यह स्थिति तो शिक्षित बेरोज़गारों की है।

ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश जनता बेरोज़गार है या उसे अल्प रोज़गार प्राप्त है। ये लोग अपने मालिकों की दया पर आश्रित हैं। स्थिति इतनी खराब है कि यह किसी समय भी विस्फोटक बन सकती है।

नक्सलवादियों को गांवों में अड्डे इसलिए बनाने दिए जाते हैं क्योंकि हमने इन क्षेत्रों की उपेक्षा कर दी है। हमने बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन हमने बेरोज़गार लोगों को रोज़गार में लगाने की ओर ध्यान नहीं दिया है। हमें पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार बेरोज़गारों को काम दिया जाए। इसके लिए वांछित कृषि उद्योगों के लिए पर्याप्त योजनाएं एवं धनराशि का प्रबंध होना चाहिए। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा प्रस्तावित नलकूप योज़ना पर भी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया। इससे न केवल लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था भी विकसित होगी।

मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस ओर उचित ध्यान देगी और इस समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक समुचित जनशक्ति नीति बनाएगी। केवल तभी बेरोज़गारी की समस्या कुछ हद तक हल की जा सकेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, Sir, this Government is treating the unemployment problem strabbily. It is evident from the fact that they are not having the precise data as to howmany are unemployed in this country. In the directive Principles of the constitution it is clearly stated that the State must endcavour to secure every citizen adequate means of livelihood. In the Directive Principles it is stated unambiguously "The state shall make provision for securing the right to work to education and to public assistance in cases of unemployment". This Government did not consider hitherto the unemployment problem seriously.

I would like to draw the attention of the House towards the fatility of the plans devised by this Government to curb unemployment. They prepared a scheme to provide employment for 5,000 persons. In India there are 35 million unemployed persons. Here this sort of schemes will not deliver goods. In order to ward off unemployment we must take some revolutionary steps for that we want a revelutionary leadership. This kind of off-handed approach to this gigantic problem will not yield any result. By the time the Fourth plan will be completed, the number of unemployed persons will be three times more than that it is now. The Government may not be able to preserve the *status que*. The Government is playing dirty political game. They have embarked or a policy of abolishing this Privileges of the former rulers and of the I.C.S. men. The aim of the Government is to make a psychological atmosphere and make believe the people that the Government is progressive. But ultimately they will have to face the genocide as a result of their own policies and programmes.

The Ministers said just now that electricity is in excess in our country. But in 1967, in India *per capita* production of electricity was 85 kwt. whereas in Italy it was 1850 kwt. In 1964-65, in India, *per capita* consumption of milk was (117) grams, whereas in Ireland it was 730 grams. In 1964-65 in India *per capita* consumption of calorie was 1920 whereas in France it was 2300. These data reveal that we are under fed.

Everyday news appear in the columns of papers that in various parts of the country people die of starvation. But the Government is quite unruffled. When the Government is indulged in toppling operations and other political manoeuvring, how these problems shall be solved ? Throughout the country law and order is in peril. Indiscipline is mounting up in every walk of public life. The image of this country is blurred. Has the Government made a breakthrough into these problems ? When the Britishers were ruling they broughtout to many reforms. They opened schools and colleges throughout the length and breadth of the country. But comparing to that, this Government has not done anything satisfactorily. This Government is laying stress on distribution. Needless to say distribution is a vital part of economy. But without production, the theory of distribution will be a farce.

Hence, the most important problem is how to step up production. When the production is increased, savings will go up. During the last fifteen years there is no increase in rate of growth. Rate of growth can only be increased when more and more amount is invested hither to the Government could save only 20 percent of the total additional income. The plan should be devised in such a way so that rate of saving can be raised to 40 percent and by 1974, rate of growth can be raised to 10 percent. Then only the Government will be able to provide employment to millions of people.

One thing I want to say specially. If the Government implements our 7 point programme they can provide employment to lakhs of people. First and foremost all foreign concerns, tea gardens, foreign oil companies should be nationalised. All non-developmental activities should be lessened by 10 percent. The luxury goods should be taxed heavily. Tangible steps should be taken to keep up the efficiency of public undertakings. There should be a ceiling on expenditure. The maximum expenditure must be fixed as Rs. 24,0000. 5 percent tax should be imposed on more than that amount. Import licenses, other than those of small scale industries, should be auctioned. The Government will get an additional income of Rs. 1500 crores, by way of these measures. Out of this, Rs. 1200 crores must be spent in villages and provide farmers seeds of high yielding varity and manure etc.

Often we speak of green revolution. If the Government resorts to the above measure, within three years there will be green revolution in the country. But if they are getting

indolent, green revolution may be replaced by bloody revolution. I request the Government to think over my proposals and take necessary steps.

श्री समर गुह (कन्टाई) : सभापति महोदय, हाल में एक दीक्षांत समारोह में कुछ विद्यार्थियों ने मांग की कि उन्हें नौकरी प्रदान की जाए, न कि उपाधि। इस और ऐसी अनेक घटनाओं से साफ पता चलता है कि इस देश में बेरोजगारी किस सीमा तक बढ़ गई है और उस से युवकों में कितना असंतोष व्याप्त हो गया है। योजना के लक्ष्यों और उस के कार्यान्वयन की रीति से इस समस्या को संबद्ध किया जाना चाहिए। योजना के ढांचे के निर्माताओं के दृष्टिकोण। उस के कार्यान्वयन में हुई बाधायें इस समस्या को अधिक विस्फोटक बनाने में सहायक हुईं। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि "तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हो गई। 1969 के पूर्वार्द्ध में शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या 13 प्रतिशत बढ़ गई। रोज़गार कार्यालयों के आंकड़े के अनुसार 1969 में बेरोज़गार मैट्रिकुलेशन वालों की संख्या 8.75 लाख, स्नातकों की संख्या 1.85 लाख, इंजीनियरों की संख्या 53,118 है। 1969 नवम्बर में नौकरी की तलाश करने वालों की संख्या 34 लाख है जो 1968 में 30.5 लाख थी। पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में 30 प्रतिशत लोग बेरोज़गार हैं।" इस से इस समस्या की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। योजना आयोग के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चौथी योजना के अंत में भी 1.90 करोड़ लोग बेरोज़गार रहेंगे।

बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा करते समय मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी नौकरी की समस्या रुस और अमरीका की समस्याओं से भिन्न है। वहाँ काम अधिक है, लोग कम। मगर यहाँ स्थिति इसके एक दम विपरीत है। हमारे योजानाकारों ने पूँजी बढ़ाने के लक्ष्य से योजना की रूपरेखा बनाई। न कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लक्ष्य से। इस के परिणाम स्वरूप बेरोज़गारी की समस्या अधिक विस्फोटक बन गई। राष्ट्रपति ने कहा कि "भारत की राष्ट्रीय योजना समिति की जो 1938 में आयोजित हुई थी एक मुख्य सिफारिश यह थी कि समाज के सभी विभाग के लोगों के कल्याण के लिए मानवीय शक्ति को पूर्ण उपयोग के लिए कदम उठाया जाए।" मगर यह कार्य अब तक नहीं किया गया यदि योजना के लक्ष्यों में और उसके मूल ढांचे में आमूल परिवर्तन करने के लिए सरकार तैयार नहीं होती, तो बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता।

इस संबंध में मैं दो तीन सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। योजना के लक्ष्य में परिवर्तन उपस्थित करने के बाद, पूंजी बढ़ाने के लिए किए जानेवाले योजनाकार्यों को प्रतिरक्षा, खनन और तेल समन्वेषण के क्षेत्रों में सीमित रखा जाना चाहिए। शेष पूंजी विनियोजन कृषि-उद्योग एवं अन्य संबद्ध उद्योगों के विकास के लिए छोटे उद्योगों में किया जाना चाहिए। इस के द्वारा ही बेरोज़गारी की व्यापक समस्या को दूर किया जा सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा था कि देश में 53,000 बेरोज़गार इंजीनियर हैं। दूसरे दिन यहाँ कहा गया कि भारतीय तेल निगम के पम्प स्थापित करने से 1000 इंजीनियरों को नौकरी

मिलेगी । हमें बाहर से तकनीकी विशेषज्ञों को लाना समाप्त करना चाहिए । बोकारों में 6000 के करीब रूसी इंजीनियर काम करतें हैं । यदि सरकार इस को बंद करेगी तो भारत के इंजीनियरों की तकनीकी जानकारी का सही उपयोग किया जा सकता है । इसके द्वारा इंजीनियरों की बेरोज़गारी दूर की जा सकती है ।

सिंचाई मंत्री और वित्तमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था की ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पी. एल. 480 निधि से कुछ रकम का उपयोग किया जाएगा । अगर यह कार्यक्रम समूचे देश में व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा, तो कृषि, छोटे उद्योग, गामीण उद्योग आदि में विकास होगा । अत: सरकार को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

मेरा तीसरा सुझाव है कि बेरोजगारी की समस्या पर विचार करने एवं उचित कदम उठाने के लिए एक रोजगार मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिए

Shri Raj Deo Singh (Jaunpur) : Mr. Chairman, Sir, it is a fact that unemployment is mounting up in our country. But we discuss here the unemployment of urban people. We must bear in mind that there are lakhs of people in villages who are unemployed. Theirs names are registered in the Employment Exchanges. According to my opinion their number is far in excess of the urban u employed people.

The problem is how can we solve the problem of unemployment of villages long ago the Government derived a plan of co-operative farming. If it is effectively implemented, unemployment problem can be tackled to a certain extent. Apart from this, there must be a wider effort to set up cottage industries in every village. Small-scale industries should be set up in the big market centres, and district head-quarters. In the co-operative farming a greater number of educated people can be absorbed. But these things can then only materialise when the Government tries to implement these programmes.

Hence appeal to the Government that they may give attention to the unemployed villagers.

सभापति महोदय : मंत्रीमहोदय ।

श्री लोबो प्रभु० (उदीपी) : उठे ।

सभापति महोदय : जब तक मैं अनुमति न दूं तब कोई भी शब्द रिकार्ड नहीं किया जायेगा । **(अन्तर्बाधा)***

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : सभापति महोदय, विपक्षी नेता ने इस संकल्प को सदन में प्रस्तुत किया । इसीलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

बेरोज़गारी की समस्या पर सरकार अधिक गंभीरता से विचार करती है । सवाल केवल आंकड़ा प्रस्तुत करने का नहीं है । बेरोज़गारी की समस्या पर सरकार अन्य माननीय सदस्यों के उद्‌गारों से सहमत है । सरकार इस बात से भी सहमत है कि रोज़गार की क्षमता और रोज़गार

*कार्यवाही वृन्तात में सम्मिलित नहीं किया गया ।

की मांगों में अंतर बढ़ता जा रहा है । मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि रोज़गार के संबंध में सरकार के पास कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है ।

1951 से 1966 तक के समय में रोज़गार मांगने वालों की संख्या 380 लाख थी जबकि रोज़गार देने की हमारी क्षमता केवल 315 लाख लोगों के लिए थी । चूँकि तीनों योजनाओं में हम ने खूब परिश्रम किया । इसीलिए रोज़गार देने की हमारी क्षमता बढ़ गई । मगर इस समय बेरोज़गारों की ठीक संख्या मैं बता नहीं सकता हूँ ।

श्री कंवर लाल गुप्त एवं अन्य कई सदस्यों ने आरोप लगाया कि बेरोज़गारों का सही आंकड़ा सरकार को प्राप्त नहीं है । जैसा कि आप को ज्ञात है, योजना आयोग हर साल रोज़गार की क्षमता और रोज़गार की मांग का आंकड़ा प्रस्तुत करता रहा । मगर माननीय सदस्यों ने इस से असहमति व्यक्त की । चूँकि रोज़गारी, अल्प रोज़गारी, बेरोज़गारी आदि की परिभाषा के संबंध में कुछ कठिनाई महसूस हुई । इस पर सलाह देने के लिए हमने प्रो. दांतवाला के नेतृत्व में एक समिति को नियुक्त किया । हालांकि समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, फिर भी हमें उसका सारांश प्राप्त हुआ है ।

समिति के मतानुसार हमारी अर्थव्यवस्था का और उसके परिणामस्वरूप श्रम शक्ति का स्वभाव इतना विभिन्न है कि इन दोनों को एक ही आयाम में समविष्ट करना न्याययुक्त नहीं है ।

कठिनाई यह है कि चालू रजिस्टरों से बेरोज़गारी का उस सीमा तक ही पता चलता है जितने कि रोज़गार दफ्तरों में नाम दर्ज हैं । यह सत्य है कि इन रोज़गार कार्यालयों में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है । परन्तु हम स्थिति की निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं और रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रहे हैं । हमने अपनी चौथी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है और हमारा विचार अपनी अर्थव्यवस्था के इस तरह के क्षेत्रों में परिश्रम बढ़ाने का है जो काफी रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे ।

कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों के लिये पहले हमने 2,217.5 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब हम 2719.6 करोड़ रुपये व्यय करेंगे । इसी प्रकार सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिये हमारा मूल अनुमान 963 करोड़ था परन्तु अब हम इन क्षेत्रों पर लगभग 1,097 करोड़ रुपये की राशि व्यय करेंगे बिजली के लिये यह व्यय राशि 2084 करोड़ रुपये थी परन्तु अब हमें 2,455 रुपये मिले हैं । परिवार नियोजन पर हमें 300 करोड़ रुपये व्यय करने थे लेकिन अब हम 3.15 करोड़ रुपये व्यय करेंगे । इन सब का उद्देश्य रोज़गार साधन क्षमता पैदा करना है ।

जहाँ तक यह प्रश्न उठाया गया है कि हमें प्रतिरक्षात्मक साधनों पर धन व्यय करना चाहिये, उचित ही है । जहाँ तक खनिज उद्योग तथा उद्योग के उन क्षेत्रों में जहाँ अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है, व्यय का प्रश्न है, हम ऐसे ही क्षेत्रों पर खर्चा कर रहे हैं । इस प्रकार माननीय सदस्यों द्वारा कृषि, सिंचाई बिजली एवं लघु उद्योगों आदि पर व्यय करने के जो सुझाव दिये गये हैं हम वैसा ही कर रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त जो एक प्रश्न उठाया गया है कि हमें गाँवों में बिजली लगाने पर अधिक खर्च करना चाहिये । इस समय हम सड़क, छोटी सिंचाई भूमिरक्षण, गाँवों में बिजली लगाने, ग्रामीण और छोटे पैमाने के उद्योग, आवास तथा शहरी निकास जैसी श्रम प्रधान योजनाओं पर बल दे रहे हैं । कृषि निकास की बढ़ती हुई गति ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अधिक अवसरों को पैदा करने के लिये प्रोत्साहन देगी । हम कृषि उद्योगों का विकास करना चाहते हैं और हमें आशा है कि रोज़गार क अवसर और अधिक बढ़ेंगे ।

देश में बेरोज़गार इंजीनियरों के सम्बन्ध में एक बात उठाई गयी है । यद्यपि शिक्षा मंत्रालय ने इस ओर ध्यान देकर कार्यवाही की है फिर भी हमारे यहाँ इस प्रकार के अनेक लोग हैं । हमारा अनुमान था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमें 25000 इंजीनियर तथा 50,000 डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और हम उनके लिये रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे । परन्तु चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमणों के कारण तथा दो सूखा पड़ने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था हमारे अनुमान के अनुसार प्रगति नहीं कर सकी । अतः इन इन्जीनियरों को रोज़गार प्रदान करने के अवसर तो उपलब्ध थे परन्तु हमारे पास उनको रोज़गार देने योग्य अर्थव्यवस्था नहीं थी । गत वर्ष की अपेक्षा अब हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और रोज़गार प्रदान करने के सम्बन्ध में 1.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है । मैं अन्य सदस्यों की भाँति निराशावादी नहीं हूँ । मेरा विचार है कि देश की चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जायगा ।

जहाँ तक बेरोज़गारी की समस्या की ओर ध्यान देने का प्रश्न है, हमने विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करने का सुझाव मान लिया है । इस सम्बन्ध में प्रत्येक बात को अन्तिम रूप दे दिया गया है । इस सम्बन्ध में जो भी नीति हम बनाते हैं उसे राज्य सरकारों को क्रियान्वित करनी होती है । इसीलिये हमने एक रूप रेखा बना कर राज्य सरकारों को भेज दी है । मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही समिति की स्थापना की घोषणा करने में समर्थ होंगे । और इस प्रकार प्रस्ताव के पहला भाग को स्वीकार कर लेंगे ।

प्रस्ताव का दूसरा भाग चौथी पंचवर्षीय योजना के आबंटन के विषयों से सम्बन्धित है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों के लिये हम आबंटन बढ़ा रहे हैं जो रोज़गार के अधिक अवसर प्रदान करेंगे । इसको ध्यान में रखते हुये सरकार को इन बातों को क्रियान्वित करने के लिये एक अवसर दिया जाना चाहिये । जैसे ही समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायगा, तभी हम उसके अनुरूप कार्य करने की स्थिति में होंगे । अतः इस प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिये ।

जहाँ तक 7 साल में प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार की गारन्टी देने का प्रश्न है तथा समिति के विषय में राज्य सरकारों द्वारा उत्तर दिये जाने का प्रश्न है, मेरा विचार है कि हम न तो 7 साल में रोज़गारी समस्या को सुलझाने की बात मानने हैं और न राज्य सरकारों के उत्तर की ही प्रतीक्षा करेंगे । संसद के आगामी सत्र के आरम्भ होने से पूर्व ही इस समिति की स्थापना कर दी जायगी ।

सभापति महोदय : श्री रामसुभग सिंह ।

श्री रामसुभग सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने समस्या के गम्भीर स्वरूप को पहिचाना है और समस्या से छुटकारा दिलाने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं । परन्तु जहाँ तक रोज़गार सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का प्रश्न है मुझे आशा है कि उन्हें समस्या के गम्भीर अध्ययन से ज्ञात हो जायगा कि संभवतया सरकार की कोई नीति ही नहीं है ।

एक समाजवादी राज्य में रोज़गार प्रदान करने की एक निश्चित नीति होनी चाहिये, और स्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों को योग्यतानुसार कार्य करने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये । परन्तु भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है । अतः ऐसी स्थिति पैदा करने की आवश्यकता है । सरकार ऐसी नीति का निर्माण करने के लिये समय ले सकती है परन्तु उसे ऐसी नीति अवश्य बनानी चाहिये जिससे कि प्रत्येक इच्छुक तथा शिक्षित व्यक्ति को रोज़गार दिया जा सके । इस सम्बन्ध में वेतनमान भी निश्चित किये जाने चाहियें वर्तमान समय में सरकारी तथा गैर सरकारी किसी भी क्षेत्र में ऐसे मान दंड नहीं बनाये गये हैं । आज किसी को भी यह विश्वास नहीं है कि श्रम के अनुपात में उसे वेतन मिल जायगा । यह भी कोई विश्वास पूर्वक नहीं कह सकता कि उसे रोजगार मिल ही जायगा । इन क्षेत्रों में कोई सरकारी नीति नहीं है, मेरा अनुरोध है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिये ।

जैसा कि बताया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 1 लाख इन्जीनियरों को रोज़गार के अवसर दिये जाएँगे । यदि यही आंकड़े हैं तो केवल भगवान ही हमारा रक्षक है ।

कार्य के अधिक अवसर प्रदान करने की बजाय, सरकार ने महाविद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और वह परिवार नियोजन पर बल दे रही है । परिवार नियोजन से तथा प्रवेश प्रतिबन्ध आदि से समस्या का समाधान नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में हमें एक कार्यक्रम बनाना चाहिए । जो भी वयस्क हो उसके लिये कार्य की व्यवस्था की जानी चाहिये । जैसे ही दसवीं पास अथवा स्नातक विद्यालय या महाविद्यालय से बाहर निकलता है उसके लिये कार्य की व्यवस्था होनी चाहिये । यदि कुछ लोगों को ऊँचे ऊँचे वेतन दिये जाते हैं तो देश के युवकों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर इनके वेतन कम किये जा सकते हैं । सरकार के कृपा पात्र व्यक्ति अधिक आयु तक भी सेवाओं में रहते हैं, यह नीति उचित नहीं है । पहले जो लोग 55 वर्ष की आयु के हो जाते थे उन्हें सेवा निवृत कर दिया जाता था । बेरोज़गारी की समस्या को हल करने के लिये सरकार इस नियम का पालन क्यों नहीं करती है, जो आज बहुत अधिक भयानक बनती जा रही है ।

श्रमिकों की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । योजना में उसके लिये कोई स्थान नहीं है । चौथी योजना के लागू करने की अवधि में, कम से कम शारीरिक श्रम करने वालों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं समझा जाना चाहिये ।

मंत्री महोदय ने विशेषज्ञ समिति के सम्बन्ध में उल्लेख किया है । परन्तु दान्तेवाला

समिति ने इस समस्या से संबन्धित किसी भी मूल सुझाव की सिफारिश नहीं की है। अतः मेरा विचार यह है कि इस समिति में विशेषज्ञ रखे जायँ। यह संसदीय समिति होनी चाहिये जिसका अध्यक्ष भी संसद सदस्य ही हो। यह विभागीय समिति नहीं होनी चाहिए।

मंत्री महोदय ने राज्य सरकारों के विषय में कहा है। लेकिन उनका इस विषय से बहुत कम सम्बन्ध है क्योंकि राज्य सरकारों को योजनाओं की रूप रेखा के अनुसार केन्द्रीय सरकार की सलाह से अपनी अर्थ व्यवस्था चलानी होती है। उससे आगे राज्य सरकारें कुछ भी नहीं कर सकतीं। इसलिये केन्द्रीय सरकार राज्यों से सलाह ले सकती है परन्तु अन्तिम निर्णय उसी को करना होता है।

सभापति महोदय : क्या कोई अपना संशोधन वापिस ले रहा है ?

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : सभा में संशोधनों को मतदान के लिए रखे जाने का आग्रह करने वाला ही कोई नहीं है ?

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : इस पर मौखिक मतदान कर लिया जाये।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 1 से 4 मतदान के लिये रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 से 4 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

Amendments Nos. 1 to 4 were put and negatived.

सभापति महोदय : क्या संकल्प के प्रस्तुत कर्त्ता ने सदन से संकल्प वापस लेने के अनुज्ञा प्राप्त की है ?

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मुझे इस पर आपत्ति ह। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि विरोधी पक्ष के नेता संकल्प वापस ले।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : "यह सभा देश में समाज के शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों में रोजगार की तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति पर गहन चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह देश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त व्यवस्था करे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

सम्पत्ति के अधिकार के बारे में संकल्प

RESOLUTION REGARDING RIGHT TO PROPERTY

श्री पी. राममूर्ति (मदुरै) : मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ :

"इस सभा की राय है कि उत्पादन के साधनों में निजी सम्पत्ति का अधिकार वास्तविक लोकतन्त्रात्मक समाज के निर्माण के अनुरूप नहीं है और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमारे संविधान में सम्पत्ति के अधिकार का न्यायोचित मूलभूत अधिकारों में शामिल होना देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिये एक भारी बाधा बन गया है, सरकार से सिफारिश करती है कि उसे संविधान में तदनुसार संशोधन करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।"

हम सब जानते हैं कि 1950 में स्वीकृत हुये भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (च) तथा 31 के अनुसार सम्पत्ति पर अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। हम यह भी जानते हैं कि जिस संविधान सभा ने इस संविधान को स्वीकृत किया वह वास्तविक और सर्वप्रभुता सम्पन्न संविधान सभा नहीं थी। यह जनता की पूर्ण इच्छा द्वारा स्थापित सभा नहीं थी। यह एक ऐसी सभा थी जो ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद् के सद्भाव के अनुसार बनाई गई थी। उस संविधान सभा के प्रतिनिधि किसी भी प्रकार की कल्पना से देश की जनता के प्रतिनिधि नहीं कहलाये जा सकते। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अन्तर्गत सभाओं के ऐसे प्रतिनिधि चुने गये थे, जो शिक्षित तथा सम्पत्ति रखने वालों में से थे। उन दिनों में धनी व्यक्ति ही पढ़ सकते थे।

स्पष्ट है कि जो व्यक्ति सम्पति धारी है तो चाहे वह अशिक्षित ही क्यों न हो, अच्छा आदमी है; गरीब आदमी इसके प्रतिनिधि नहीं हो सकते थे अतः यह संविधान सभा एक बड़े समूह जिसके पास सम्पत्ति नहीं है के विरुद्ध कुछ सम्पत्ति रखने वाले व्यक्तियों के पक्ष में बनी थी। अतः यदि संविधान के मूल अधिकारों में सम्पत्ति के अधिकार पर जोर दिया गया है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मूल अधिकार क्या है ? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद यह एक विशेष प्रश्न बन गया है। सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के बीच एक बड़ा अन्तर होता है। एक सम्पत्ति तो उपभोग के लिये है तथा दूसरी उत्पादन का साधन है। धन उत्पादन के साधनों पर लगाये गये श्रम से उत्पन्न होता है। पूंजीवादी समाज में चालू उत्पादन के नियमों के अनुसार सम्पत्ति के अधिकार को उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के अर्थ में लेते हैं तो इस अधिकार के अनुसार कम से कम लोगों के पास धन जमा होता रहे यही इसकी विचार धारा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य पूंजीवादी देश इसी सिद्धान्त पर पूंजीवादी बने हैं। भारत भी इस सिद्धान्त से अछूता नहीं है। समाजवादी समाज की इतनी घोषणाओं के बावजूद भी यहाँ कम से कम लोगों के हाथों में पूंजी एकत्रित है। क्या वास्तविक प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना की ओर यही रास्ता है ? गत राज्य सभा के निर्वाचन में जो कुछ हुआ उसे हम सब जानते हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के सदस्य यह शिकायत करते हैं कि उक्त चुनाव में पैसे का बहुत बड़ा हाथ रहा।

मैं संविधान में दिये गये मूल अधिकारों के बारे में कह रहा हूँ। गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय में बहुमत से निर्णय किया गया था कि मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। क्या सम्पत्ति का अधिकार भी प्राकृतिक अधिकार है ? क्या आदि काल से सम्पत्ति का अधिकार चला आ रहा है ? क्या यह सच नहीं है कि सम्पत्ति स्वयं समय-समय पर बने कानूनों की उत्पत्ति ही है ? उदाहरण के लिये हिन्दू लॉ को लीजिये। जो दाम भाग तथा मिताक्षर पद्धति के अनुसार चलते हैं, क्या सम्पत्ति का अधिकार उनके लिये भी वैसा ही है ? जब शासकों ने दास बनाना शुरू कर दिया तब मनु संहिता का प्रादुर्भाव हुआ।

अतः हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि यह अधिकार आदिकालिक नहीं है।

हमारे संविधान में राज्यनीति के निदेशक सिद्धान्तों एवं मूल अधिकारों का उल्लेख है परन्तु क्या इन दोनों में साम्य है ? क्या संविधान के भाग चार में दिये गये राज्य नीति के

निदेशक सिद्धान्तों का संविधान के भाग तीन में दिये गये मूल अधिकारों का मेल होता है ? ऐसा क्यों है, क्योंकि पिछले 22 वर्षों के दौरान राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में से किसी एक सिद्धान्त के किसी एक भाग को भी मूर्त्त रूप नहीं दिया गया है। कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय से यह कहने के लिये नहीं कह सकता कि सरकार ने संविधान के भाग चार में दिए गए निदेशकों के अनुसार नीतियों को लागू नहीं किया है। यह इसलिए हुआ है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने जो कि सम्पत्ति के अधिकारों से अधिक चिन्तित थे, सामान्य लोगों के साथ चालाकी की और कहा "यह निदेशक सिद्धान्त है, लेकिन आप उन्हें लागू करवाने के लिये उच्चतम न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं। वे केवल निदेशक सिद्धान्त हैं। लेकिन जो मूल अधिकार हैं, वे हैं सम्पत्ति का अधिकार और कुछ दूसरे अधिकार।"

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सभी अधिकार क्षणिक हैं। जब तक सम्पत्ति का मूल अधिकार मौजूद है तब तक उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 19 जिसके अनुसार सम्पत्ति रख कर उससे व्यापार किया जा सकता है आदि का वर्णन है वह सब बातें सामान्य व्यक्ति के लिये सुलभ नहीं है। इस देश का सम्पत्ति का अधिकार भूमि में और बड़े कारखानों में उत्पादन के साधन के रूप में है। जब ये सभी बड़े कारखाने और भूमियां कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाती हैं, तब दूसरे लोगों को यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि वे सब कानून के सामने बराबर हैं और उच्चतम न्यायालय उनके साथ समानता का व्यवहार करेगा। एक धनवान व्यक्ति तो अपने मामले में वादविवाद के लिये सुयोग्य वकील की सेवायें प्राप्त कर सकता है जबकि एक निर्धन व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिये भी धन का प्रबन्ध नहीं कर सकता है। ऐसी अवस्था में सबको समानता का व्यवहार देने की बात एक कपोल कल्पना मात्र है। जब तक संविधान में निजी सम्पत्ति का अधिकार सुरक्षित रहेगा तब तक सामान्य व्यक्ति को यह सब वस्तुयें प्राप्त नहीं हो सकती हैं। यह अच्छी बात नहीं है। बैंक राष्ट्रीयकरण के नवीनतम मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है "गैर महाजनी व्यापार को चलाने के लिये ऐसे बैंकों के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाना हमारे निर्णय के अनुसार सर्वथा अनुचित है, जिनका नाम लिया गया है। अधिनियम का समर्थन करने के लिये कोई भी प्रयास नहीं किया गया है जबकि लिखित रूप में नाम लिये गये बैंकों का गैर साहूकारी व्यापार को करने के लिये अधिकार सम्बन्धी घोषणा वाणिज्यिक रूप में बैंकों का कोई भी व्यापार करना असंभव बना देती है" ऐसा कहा जाता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार ने सब परिसम्पत् अपने हाथ में ले लिये हैं। यद्यपि यह अधिकार सैद्धान्तिक रूप से घोषित कर दिया गया है तथापि यह अनुचित है। यह उच्चतम न्यायालय का कहना है। देश के सामान्य व्यक्ति के साथ यही रवैया अपनाया गया होता तो कितना अच्छा होता। यह सम्पत्ति का अधिकार केवल सिद्धान्त की बात रह गई है, जहां तक सामान्य लोगों और श्रमिकों का सम्बन्ध है। यह तो केवल धनी व्यक्तियों के लिये है।

सम्पत्ति रखने के अधिकार के बारे में मेरा कहना है कि इस अधिकार को संविधान के

बाद योग्य मूल अधिकारों के अन्तर्गत नहीं लिया जाना चाहिए। यह निर्णय करना संसद और समाज का काम है कि निजी सम्पत्ति का क्या स्वरूप होना चाहिये, जो कि समाज के लिये लाभकारी सिद्ध हो।

जब हम यह कहते हैं कि सबको सम्पत्ति का अधिकार मिला हुआ है तो मैं यह चाहता हूँ कि यह अधिकार एक वास्तविक अधिकार बने। इस देश में सम्पत्ति भूमियों तथा बड़े बड़े कारखानों की है जो बहुत कम लोगों के पास है। अतः किस के पास सम्पत्ति होनी चाहिये इसका निर्णय करना किसी न्यायालय अथवा संविधान का काम नहीं है। जब तक सम्पत्ति का सामूहिकरण नहीं कर लिया जाता है अथवा सहकारी समितियों के अधिकार में नहीं दे दी जाती अथवा यह सम्पत्ति समाज की नहीं कर दी जाती, तब तक देश में प्रत्येक व्यक्ति को उस सम्पत्ति में भाग नहीं मिल सकता है। इसलिये जब हम निजी सम्पत्ति के अधिकार मूल अधिकार में सुरक्षित करते हैं, तब हम जनता के काफी बहुमत के सम्पत्ति के अधिकार के लिये मना करते हैं। इसलिये सामान्य व्यक्ति के लिये यह एक धोखे के रूप में है। इसे अनिवार्य रूप से हटा देना चाहिये। गोलकनाथ के मामले और नवीनतम बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले के बाद क्या हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हाथ में मूल अधिकारों के प्रश्न को छोड़ सकते हैं ? आखिर इसके पीछे भी कोई उद्देश्य है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के मामले और बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में अपने ही ढंग से निर्णय दिया था जैसा निर्णय देना वह चाहता था। हमें यह मालूम है कि यह प्रथम समय नहीं है जब से यह प्रश्न उठाया गया है।

1951 में संकरी प्रसाद के मामले में यह प्रश्न उठा कि क्या अनुच्छेद 368 से अन्तर्गत संसद को भाग 3 के सहित संविधान में संशोधन करने की सांविधिक शक्ति प्राप्त है ?

सभापति महोदय : हम उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं अथवा सम्पत्ति के अधिकार के बारे में ?

श्री रामूर्ति (मदुरै) : मेरी चर्चा के लिये इस पर वादविवाद करना आवश्यक हो गया है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। उस समय उच्चतम न्यायालय ने यह सर्व सम्मति फैसला दे दिया कि संसद को यह अधिकार है। 1951 में यह फैसला दिया गया था।

बाद में 1965 में भी सज्जनसिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1951 के फैसले को ही मान्यता देने का निर्णय किया। फिर 1967 में श्री गजेन्द्र गड़कर तथा अन्य बहुत से विद्वान न्यायाधीशों ने उच्चतम न्यायालय में यह फैसला दिया कि संसद को संविधान के मूल अधिकार अध्याय में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है।

ठीक इसी प्रकार 1970 अथवा 1969 में उच्चतम न्यायालय के दूसरे न्यायाधीशों ने बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में विभिन्न विचार व्यक्त किये। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 तथा 31 के बारे में बताया कि इन्हें एक साथ नहीं लिया जा सकता है। 20 वर्षों तक मामले के बाद मामले चलते रहे और न्यायाधीश अपनी वही बात रखते रहे परन्तु 1970 में वे कहते हैं कि ये अनुच्छेद परस्पर भिन्न नहीं है। दूसरी तरफ किसी विशेष अधिनियम का औचित्य

उसके कानूनी आधार पर निर्धारित न किया जाकर इस बात पर निर्धारित किया जायेगा कि संविधान का अनुच्छेद 19 में किसी व्यक्ति विशेष के मूल अधिकार कहां तक टकराते हैं। जो न्यायाधीश 20 वर्षों तक जैसा कहते रहे हैं उससे अब अचानक बदल गये हैं।

यह घटना घटित कैसे हुई ? इसके पीछे एक कारण है। जिन न्यायाधीशों ने गोलकनाथ के मामले में फैसला दिया वे इस देश की जनता तथा जनता के प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। यही वास्तविकता है।

ऐसा क्यों हुआ ? स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष पश्चात् देश के आर्थिक और राजनीतिक जीवन की नई विचार धाराओं ने प्रभावित करना आरम्भ कर दिया है। पिछले आम चुनावों के परिणाम विकसित हो रही नयी शक्तियों के प्रमाण हैं, जो सम्पत्ति को पूरी तरह से अपने अधिकार में रखने के प्रश्न पर शंका उत्पन्न करेंगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस तथ्य से अवगत हैं और वे उनकी चमचागिरी करना चाहते हैं। 1967 में पिछले आम चुनावों के परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद ही गोलकनाथ मामले का फैसला हुआ तथा न्यायाधीशों ने कह दिया कि संविधान के मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की विचारधारा वे लोग अपनाते रहे हैं।

इसी प्रकार हमें मालूम है कि बाद में आने वाले न्यायाधीशों ने भी कैसा व्यवहार किया। संविधान में चौथे संशोधन तथा क्षतिपूर्त्ति के प्रश्न पर उन्होंने किस प्रकार पूर्णतया अपने विचार बदल दिये। न्यायालय ने कुछ ही महीनों पूर्व शान्तिलाल मंगलदास मामले में दिये गये अपने फैसले पर पूर्णतया विपरीत स्थिति प्रकट करदी।

आखिर ऐसा क्यों हुआ ? मैं बताना चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो राजनीति, विचारधारा एवं अन्य सब बातों से सर्वोपरि हो—आखिर यह भी तो इतने वर्षों से हो रहे पालन-पोषण का एक अंग है। अभी हम हमारे संविधान में चौथे संशोधन के पारित होने के बाद की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। इसलिये उससे पहले की स्थिति की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षतिपूर्ति की स्थिति को स्पष्ट करते समय हमारे विद्वान न्यायाधीशों ने यह कहा कि उनके शब्दकोष में क्षतिपूर्ति का अर्थ है, अधिकृत वस्तु के मूल्य को बराबर करने के लिये कुछ भी दिया जाना। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि हमारे देश में कानून को बनाये रखना है तो क्षतिपूर्ति का अधिकार सम्पत्ति के अधिकार में अवश्य बना रहना चाहिये इसलिये उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि देशों में जो स्थिति है उनका उद्धरण दिया किन्तु हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा संविधान से सम्बन्ध है तथा संसद ने 1955 में इसके चौथे संशोधन में जो संशोधन पारित किया उससे सम्बन्ध है।

न्यायाधीशों के अनुसार वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं तथा न ही सम्पत्ति के अधिकार को हटा सकते हैं। गोलकनाथ के मामले में बहुमत से यही निर्णय दिया गया है कि उन्हें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर

विश्वास नहीं है। क्या यह देश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को देश का भाग्य सौंपेगा ?

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर वादविवाद करना बहुत त्रुटिपूर्ण है। यदि न्यायाधीशों ने त्रुटिपूर्ण निर्णय दे दिया तो फिर इस संशोधन की आवश्यकता कहां रह गयी ? हमें तो इस बात की चर्चा करनी है कि संशोधन किया जाना चाहिये अथवा नहीं।

सभापति महोदय : मैं भी यही महसूस कर रहा था। माननीय सदस्य ने संशोधन विधेयक से सम्बन्धित बातों के अतिरिक्त अपने संकल्प में उच्चतम न्यायालय के कार्यों के विरुद्ध अधिक प्रकाश डाला है।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : महोदय, निर्णय भी यहां प्रसारित कर दिया जायेगा। सदस्यों को निर्णय की आलोचना करने का अधिकार है।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharaj Ganj) : Mr. Chairman, Sir, I rise on a point of order. The hon. member has been criticising the personalites of the judges of the Supreme Court. Is it appropriate ? It is altogether wrong to talk of their blood and upbringing. It would not be tolerated.

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से अपने संकल्प से सम्बन्धित बातों पर चर्चा करने के लिये निवेदन करता हूँ। मेरा संकल्प यह है कि इस चीज को भारत के संविधान से हटाया जाये। हम इस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के बदलते रहने वाले निर्णय पर *नहीं छोड़ सकते। देश के भविष्य को सर्वोच्च न्यायालय के बदलते रहने वाले निर्णय पर *नहीं छोड़ा जा सकता।

सभापति महोदय : इन शब्दों को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री राममूर्ति : उक्त शब्द अपमानजनक नहीं हैं। मूल अधिकारों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए संविधान में दिये गये अनुदेशात्मक सिद्धान्तों के अनुसार कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। यह कहा गया है कि मुआवजे में न केवल बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए बल्कि सम्पत्ति विशेष से होने वाली आयको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा करना सम्भव है। अतः मेरा निवेदन यह है कि जब हम संविधान में इस प्रकार का मूल अधिकार बना हुआ है जिसे किसी प्रकार की सामाजिक प्रगति सम्भव नहीं है। इस अधिकार को प्राकृतिक अधिकार भी नहीं कहा जा सकता। इस देश में अधिकांश लोग जब जन्म लेते हैं तो उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं होती। यदि सरकार देश को आगे ले जाना चाहती है तो उसको संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय से अनुच्छेद 19 (च) और (छ) को हटा देना चाहिए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिये गये।

*Expuhged as ordered by the chair.

सभापति महोदय : श्री शिवचन्द्र झा ! क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri Madhu Limaye (Manghyr) : I rise to support the motion of Shri Ram Murti. In this connection I may say that our purpose will not be solved by merely criticising the Supreme Court but we should remove the basic defects of our Constitution. If we want to step further and bring social and economic reforms then we should make efforts to bring changes in the Constitution and in the existing laws. The Supreme Court in America took the initiative and safeguarded the rights of negro people. Similarly they took initiative in changing the constituencies. Similarly we should also see that in what particular circumstances we can fulfil the ambitions of the people and make use of the Supreme Court. Yesterday I have filed a writ whereby I have challenged the various sections of the Indian Penal Code and Criminal Procedure Code.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy speaker *in the Chair*]

The members of the Constitution Assembly who framed the Constitution were elected on the basis of limited franchise. The right to vote was given to the people holding some property. It is not true to say that this Constitution was framed by Shri Ambedkar. It is true that he made a lot of contribution in framing this constitution. The most important Contribution made by Shri Ambedkar was Article 32 whereby even an ordinary citizen can go to the Supreme Court if he is deprived of his Fundamental Rights. But this Article is also being misused. I, therefore, want that basic changes should be brought in our Constitution. This can be done by two ways *i. e.* either by forming a new Constitution Assembly or..... (*Interuptions*). If you are not going to call new Assembly I may tell you this thing will be done by the youngmen who are now coming forward.

In my view it has become impossible to nationalise anything as compensation has to be paid three or four times. I would, therefore, say that we should bring some changes in the Constitution with honesty.

So far as the Articles relating to property are concerned *i. e.* 19 (b) (g), 31, 31A and 26 (c) (d) they need modification. In my new Bill I have sought the removal of Article 19 (6) (g) and 26 (c) & (d). Similarly, I want that the words 'or property' may be added after the word 'state' in Article 31 A so that urban property may also be covered in this Article. So far as the question of the land belonging to small farmer or of property of small people is concerned I have stated that

"No person holding or possessing property below the ceiling prescribed by law in this behalf and which shall not exceed...."

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारत के खाद्य निगम को सहायता के बारे में*

RE. HELP TO FOOD CORPORATION OF INDIA BY NATIONALISED BANKS**

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : This discussion has been revised on the basis of an

---

* आधे घण्टे की चर्चा

** Half-an-hour-Discussion.

answer given to a question of 23 February. The hon. Finance Minister has stated in the answer to the said question that Government is not contemplating to give more than 200 crores of rupees to the Food Corporation which have already been fixed for it. In the meantime the prices of foodgrains have gone too high more specially in the scarcity-hit areas of north Bihar. Starvation conditions are prevailing in the area. Even after the nationalisation of banks the country has not been benefited at least in this field. Banks are still advancing loans to big businessmen and traders. It is also clear from the answer of starred question 835 dated 6th April, wherein it has been stated that after nationalisation 304 crores of rupees have been advanced to big businessmen by the State Bank of India. It means that 62 crores of rupees in excess have been given after nationalisation. On calculating we will come to the conclusion that 414.6 crores of more rupees have been advanced by these banks after nationalisation. I allege that this Government is responsible for the rise in prices in our country. It is true that now some steps have been taken in this regard and conditions for advancing loans have been made more stricter. The traders have taken advantage of this announcement and have increased the prices of foodgrains. This large amount of 414.6 crores of rupees should not have been advanced to the traders as they purchase the foodgrains at cheap rates from the farmers and locked them in the bank godown and thereby they create artificial scarcity and then they charge enhanced rates. Therefore, my submission is that Government should take some strict measures in this respect. The Government should also identify the persons responsible for granting such a large amount to traders. At the time of the nationalisation of banks the hon. Prime Minister had stated that the funds of the banks will be used for the benefit of the common people. But the factual position which has emerged is this that the profiteers and blackmarketeers have been benefited more by the nationalisation as more money has been advanced to them.

The Government should also take steps to recover the money already advanced to the traders because it will check further rise in prices as the traders will be forced to bring the stored foodgrains in the market. At least it will give some relief to the people. I want to know whether the Government or the banks have assured themselves that the price of the stored foodgrains will not allow to be raised in the whole year.

I also want to know whether the Government is going to nationalise the wholesale trade in foodgrains ? If they are not going to see the reasons therefor ? The nationalization of the wholesale is necessary as the traders are permitted to take as much advance from the banks as they like but the ceiling has been fixed for the Food Corporation of India in this regard. I would, therefore, say that Food Corporation cannot stand competition with the wholesale traders in this field. The traders also have their influence on the officials of the corporation as they can bribe them. I would, therefore, suggest that Government should take steps for the nationalisation of the wholesale trade in foodgrains. I do not know why the hon. Food Minister is hesitating in talking some steps in this regard. This thing should be done immcdiately otherwise difficult period is ahead of us.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I want to know the amount granted to the Food Corporation of India as loan from P. L. 480 Funds ? Secondly I want to know how much foodgrains are being stored this year and what is our factual requirements. Thirdly I want to know whether any scheme has been formulated to grant loans to farmers for the installation of tube-wells or pumping sets.

Fourthly I want to know whether Government is going to nationalise the wholesale trade in foodgrains ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : May I know whether Government is considering to open the grain Banks in the villages or nearby towns so that the farmers can deposit their produce there and can take some money immediately and the rest they may be paid after calculating the average price in a year ?

Secondly I want to know whether Government is contemplating to establish Agricultural Credit Corporation so that the small farmers may not have to know at the door of the money lender?

I further want to know whether the farmers will be given some representation in the Board of Directors of the Banks and whether some percentage for advancing loan to farmers will also be fixed ?

I also want to know whether Government will nationalise the trade in foodgrains?

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : अब समय आ गया है जबकि स्वयं मंत्री महोदय को यह मांग करनी चाहिये कि खाद्य निगम को अधिक राशि दी जाये । बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् निजी व्यापारियों को पहले से भी अधिक राशि दी गई है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने अनाज की वसूली के बारे में कोई ठोस नीति बनाई है और खाद्यान्नों में अत्यावश्यक मद कौन-कौन से हैं और वे कितने प्रतिशत वसूल किये जायेंगे ।

खाद्य निगम को ऋण के रूप में बैंकों से जो 200 करोड़ रुपये मिलते हैं उसमें से 90 प्रतिशत राशि मिल वालों के पास चली जाती है क्योंकि यही लोग खाद्य निगम के लिए अनाज वसूल करते हैं । क्या सरकार यह नीति अपनायेगी कि आवश्यक फसलों तथा खाद्य तिलहनों की वसूली केवल खाद्य निगम द्वारा ही की जाएगी । इस बारे में वित्तमंत्रालय को भी अपनी नीति स्पष्ट करके बतानी चाहिए कि खाद्य निगम को अधिक ऋण दिया जायेगा अथवा नहीं और गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र को कितना-कितना ऋण दिया जायेगा और वे अलग-अलग कितना अनाज वसूल कर सकेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : खाद्य निगम को 1970-71 में अनाज की वसूली हेतु ऋण के रूप में पहले ही 238.5 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं । यह राशि चौथी पंच वर्षीय योजना में भी इस निगम के पास ही रहेगी ताकि इस अवधि में भी वह वसूली का कार्य जारी रख सके । स्टेट बैंक तथा बैंक आफ पटियाला द्वारा 200 करोड़ रुपए की अत्यधिक सीमा के अतिरिक्त खाद्य निगम अब इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इण्डिया, कनारा बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, युनाइटिड कमर्शियल बैंक और युनाइटिड कमर्शियल बैंक से भी 25 करोड़ रुपये की राशि ले सकेगा । अत: निगम को रुपये की कोई कमी नहीं है ।

खाद्य निगम की नीति एक ओर तो उत्पादकों के हितों की रक्षा करता है ताकि उत्पादन के समय उनको अपना अनाज कम मूल्य पर न बेचना पड़े और व्यापारी इसको जमा कर इससे लाभ न उठा सके । इसी कारण सरकार ने मुख्य वस्तुओं विशेषकर गेहूँ के मूल्य 76 रुपये पर नियत कर दिये हैं । दूसरी ओर उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रख कर सरकार ने गेहूँ के वितरण मूल्य भी नियत कर दिये हैं । हो सकता इस कारण खाद्य निगम को कुछ

हानि भी उठानी पड़े क्योंकि वसूली तथा वितरण मूल्यों में बहुत कम अन्तर रखा गया है। सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही किये जाने से मूल्य स्थिर करने में सहायता मिलती है। अतः हमारे उद्देश्य है कि उत्पादकों के हितों की रक्षा की जाये तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज मिले ताकि खाद्यान्नों के मूल्यों को बढ़ने से रोका जाये ताकि उपभोक्ता को बाजार से ऊंचे मूल्य पर अनाज न खरीदना पड़े।

मेरी जानकारी के अनुसार दिसम्बर 1969 और मार्च 1970 की अवधि के बीच अनाज के मूल्य बढ़े हैं परन्तु बहुत अधिक नहीं। चावल के मूल्यों में भी इस बीच कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। चौथी पंच वर्षीय अवधि में अनाज का 50 लाख टन था बफर स्टाक बनाने का विचार है। इस समय खाद्य निगम के पास पैंतीस लाख टन अनाज का स्टाक है।

श्री स० कुन्दू : हम आप से ऋण नीति के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : खाद्य निगम द्वारा 50 लाख टन अनाज का स्टाक किया जायेगा ताकि मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सके और उनको उचित स्तर पर बनाये रखा जा सके।

यह कहना ठीक नहीं है कि बैंकिंग नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है। ऋण देते समय बैंकों द्वारा इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि किन उत्पादी प्रयोजनों हेतु ऋण दिया जा रहा है। चौथी पंच वर्षीय अवधि में 3000 करोड़ रुपयों के बैंकों में जमा होने की आशा है। इसमें से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को लगभग 400 करोड़ रुपये दिये जाने की सम्भावना है, और लगभग 750 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों द्वारा दिये जायेंगे। अतः बैंकिंग क्षेत्र से कृषि को पर्याप्त राशि दिये जाने की सम्भावना है। कुल मिलाकर लगभग 2000 करोड़ रुपये की राशि कृषि क्षेत्र को दी जायेगी और यदि वह क्षेत्र पूरा लाभ उठाना चाहें तो उसको 4000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अतः हम इसको बैंकिंग क्षेत्र से पूरा नहीं कर सकेंगे। परन्तु हमारी नीति यही है कि सभी उत्पादी प्रयोजनों हेतु ऋण दिया जाये। जमाखोरी को तथा मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋण पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने भी इस सम्बन्ध में अपनी नीति कुछ कठोर कर दी है।

श्री भोगेन्द्र झा : खाद्य निगम को कितनी राशि दी जायेगी अथवा अब तक दी गई है और गैर-सरकारी व्यापारियों को अब तक कितनी राशि दी गई है और आगे कितनी राशि देने का विचार है।

श्री प्र० च० सेठी : सरकारी ऋण के अलावा वाणिज्यिक बैंकों से खाद्य निगम को 200 करोड़ रुपये दिये जाते हैं, खाद्य निगम ने 31 मार्च 1970 तक 4·5 करोड़ रुपये लिये थे। हमने यह सीमा नियत की हुई है और इतनी राशि खाद्य निगम के लिए सुरक्षित रखी जाती है। खाद्य निगम का कार्य भी बढ़ रहा है और इसमें इस समय लगभग 26,000 कर्मचारी काम करते हैं। मुझे हाल में खाद्य मंत्री ने बताया है कि खाद्य निगम सोयाबीन तथा दालें भी खरीद

रहा है। यदि खाद्य निगम को इस सीमा से अधिक रुपयों की आवश्यकता हुई तो स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक तथा सरकार इस सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इस 200 करोड़ रुपये में से भी खाद्य निगम ने कुल 12 करोड़ रुपये का ही प्रयोग किया है, अतः उसको धन न देने की तो बात ही नहीं है। जेसा मैंने पहले कहा कि यदि निगम को और धन की आवश्यकता हुई तो इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यह ऐसी सीमा नहीं जिसको पार नहीं किया जा सकता। वाणिज्यिक बैंकों ने भी खाद्य निगम को 25 करोड़ रुपये देने का वचन दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने निगम को 230 करोड़ रुपये दे रखे हैं।

जहां तक इस व्यापार के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है मेरे विचार में इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और माननीय खाद्य मन्त्री ने काफी स्पष्ट उत्तर दिया था। देश में लगभग 1,38,000 उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनके द्वारा अनाज का वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को ऋण देने पर और प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं और बफर स्टाक भी बनाया जा रहा है। हम अनाज के मूल्यों को नियंत्रण में ही रखना चाहते है।

श्री भोगेन्द्र झा : वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यापारियों को जो राशि दी जा चुकी है क्या उसको वापस लिया जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने पहले कहा रिजर्व बैंक ने हाल में व्यापारियों को ऋण देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। परन्तु इस बारे में कोई सख्त नीति नहीं अपनाई जा सकती।

देश की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार की आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें कुछ परिवर्तन करने ही पड़ते हैं। कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को वरीयता दी जायेगी।

राज्य सरकारों के परामर्श से ही अनाज की वसूली की जाती है। इस बारे में खाद्य निगम राज्य सरकारों से पूरा सहयोग कर रहा है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : आप हरियाणा सरकार पर ज़ोर दे कि वह खाद्य निगम को हरियाणा में काम करने दे।

श्री प्र० चं० सेठी : यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह खाद्य निगम को भारत का ग्रेन बैंक कह सकते हैं। जहां तक ऋण निगम बनाने का प्रश्न है राष्ट्रीयकृत बैंक सहकारी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों से कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण दिया जा रहा है। अतः ऋण निगम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य ही समाज ऐसे वर्गों जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता था रक्षा करना है। यही कारण है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा देहातों में अधिक शाखाएं खोली जा रही है। इस वर्ष जो 1200 शाखाए खोली जायेंगी उनमें से 750 शाखाएं देहाती क्षेत्र में खोली जायेगी। अतः किसानों के हितों की भली भांति रक्षा हो सकेगी। यदि किसानों की ओर से और अधिक ऋण की मांग की गई तो उस पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

जहां तक अनाज के व्यापार के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है खाद्य निगम अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। खाद्य मन्त्री इस बारे में पहले ही अपनी नीति बता चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार 20 अप्रैल, 1970/30 चैत्र 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, April 20, 1970/30 chaitra, 1892 (Saka).

———

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.